लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 34, बुधवार 7 अप्रैल, 1965/27 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
768	राजधानी में शिक्षा की दुकानें	3171—74
769	तेल कम्पनियां	3174—77
770	बामपंथी साम्यवादियों की गिरफ्तारी	3177—80
771	कोरबा उर्वरक कारखाना	3180—82
772	रूस में भारतीय तेल तकनीशियनों का प्रशिक्षण	3182–83
773	गोआ में बम विस्फोट	3183–84
774	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें	3184—87
775	प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें	3187–88
776	अबोहर में मकानों का आवंटन	3189—91
777	"हेमाईसिन"	3191–92
779	दिल्ली के स्कूलों में छात्र सैनिकों का प्रशिक्षण	3192–93
781	कैरों हत्याकाण्ड	3193—98

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
778	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को ऋण	3199
780	ऊंचे स्थानों पर खिलाड़ियों का प्रशिक्षण	3200
782	तेल की खोज सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये रूसी आयोग	3200
783	बरौनी तेल शोधनशाला की पाइप लाइन	3200–01
784	गंधक के तेजाब का कारखाना	3201
785	पिलानी में टेलीविजन निर्माण एकक	3201–02
786	भारतीय औद्योगिकी संस्था, बम्बई	3202
787	हिमशिला के गिर जाने से बद्रीनाथ में क्षति	3202
788	विज्ञान में भारत का योगदान	3202–03
789	माध्यमिक शिक्षा	3203

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 34—Wednesday, April 7, 1965/Chaitra 17, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
768.	Teaching Shops in Capital	3171—74
769.	Oil Companies	3174—77
770.	Arrests of Left Communists	3177—80
771.	Korba Fertilizer Plant	3180—82
772.	Training of Indian Oil Technicians in Russia	3182-83
773.	Bomb Explosions in Goa	3183-84
774.	National Laboratories	3184—87
775.	Text-Books in Regional Languages	3187-88
776.	Allotment of Houses in Abohar	3189—91
777.	Hamycin	3191-92
779.	Training of Cadets in Delhi Schools.	3192-03
781.	Kairon Murder Case	3192—98

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
778.	Loans of Migrants	3199
780.	Training of Sportsmen at High Altitudes	3200
782.	Soviet Collaboration for Oil Exploration Programme	3200
783.	Barauni Oil Refinery Pipe line	3200-01
784.	Sulphuric Acid Plant	3201
785.	T. V. Production Unit, Pilani	3201-02
786.	Indian Institute of Technology, Bombay.	3202
787.	Damage in Badrinath by Avalanche	3202
788.	India's Contribution to Science	3302-03
789.	Secondary Education.	3203

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1999	कत्थक नृत्य सम्बन्धी फिल्म	3203–04
2000	वैशाली में पुरातत्वीय खुदाई	3204
2001	हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद	3204
2002	जलगोरा में केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था	3205
2003	जिला गजटियर	3206
2004	विय्यूर, केरल में नजरबन्द व्यक्तियों को भत्ता	3206
2005	स्पेशल सबजेल, बिय्यूर, केरल में नंजरबन्द व्यक्ति	3206–07
2006	लाला लाजपत राय और पंडित पन्त की मूर्तियां	3207
2007	भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	3207–08
2008	दिल्ली में रिक्त प्लाट	3208
2009	भोपाल में राष्ट्रीय लेखागार शाखा	3208
2010	ईरानी अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल	3208
2011	बस्तर में जूनियर तकनीकी स्कूल	3209
2012	कालका जी में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि	3209
2013	"भारत, नेपाली काग्रेस तथा महाराज महेन्द्र" नामक पुस्तिका	3210
2014	मिज़ो की पहाड़ियों में बर्मी जासूसों की गिरफ्तारी	3210
2015	केरल इमारत पट्टा तथा किराया नियंत्रण अधिनियम	3210
2016	राजनैतिक बन्दी	3211
2017	बहरे व्यक्तियों के लिये खेल	3211
2018	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में अग्निकाड	3211–12
2019	भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां	3212
2020	गन्धक	3212
2022	बिहार में कास्टिक सोडे का कारखाना	3213
2023	पुलिस महानिरीक्षक, गुजरात	3213
2024	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये पत्रव्यवहार द्वारा पाठ्यक्रम शुरू करना	3213–14
2025	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के पूल-अधिकारी	3214
2026	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3214
2027	लोक-निर्माण विभाग, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	3215
2028	दिल्ली के विद्यार्थियों के लिये आवास	3215
2029	गोआ में बम चोरी-छिपे पहुंचना	3216
2030	भा तीय प्रशासन सेवा की परीक्षायें, 1964	3216
2031	नंगल उर्वरक कारखाना	3216
2032	न्यूयार्क में भारतीय मूर्तिकला की प्रर्दशनी	3217
2033	स्वीडन की छात्रवृत्तियां	3217
2034	सर्वोत्तम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले	3217–18
2035	उड़ीसा में युवक होस्टल	3218
2036	कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी	3218

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subjec*	PAGES
1999.	Film on Kathak Dance . . .	3203–04
2000.	Archaeological Excavations in Vaishali	3204
2001.	Hindustani Akademi, Allahabad . .	3204
2002.	Central Fuel Research Institute at Jealgora	3205
2003.	District Gazetteers.	3206
2004.	Allowance to Detenus in Viyyoor, Kerala.	3206
2005.	Detenus in Special Sub-Jail, Viyyoor, Kerala .	3206–07
2006.	Statues of Lala Lajpat Rai and Pandit Pant.	3207
2007.	I.A.S. and I.P.S. Officers	3207–08
2008.	Vacant Plots in Delhi. . . .	3208
2009.	National Archives Branch at Bhopal	3208
2010.	Iranian Teachers Delegation .	3208
2011.	Junior Technical School in Bastar	3209
2012.	Land for D. Ps. in Kalkaji, Delhi.	3209
2013.	Booklet "Indian, Nepali Congress and King Mahendra"	3210
2014.	Arrest of Burmese Spies in Mazo Hills .	3210
2015	Kerala Building Lease and Rent Control Act.	3210
2016.	Political Prisoners	3211
2017.	Sports for Deaf Persons . . .	3211
2018.	Fire Incident in North Block, New Delhi. .	3211–12
2019.	Privy-purses of Ex-Rulers.	3212
2020.	Sulphur .	3212
2022.	Caustic Soda Factory in Bihar .	3213
2023.	Inspector General of Police, Gujarat .	3213
2024.	Correspondence Course for Higher Secondary Education	3213–14
2025.	Pool Officers, C.S.I.R. .	3214
2026.	Central Universities . .	3214
2027.	P.W.D. Andaman & Nicobar Islands	3215
2028.	Accommodation for Delhi Students	3215
2029.	Smuggling of Bombs into Goa.	3216
2030.	I.A.S. Examination, 1964	3216
2031.	Nangal Fertilizer Factory. . .	3216
2032.	Exhibition of Indian Sculptures in New York .	3217
2033.	Swedish Scholarhips. . .	3217
2034.	Cases pending before Supreme Court	3217–18
2035.	Youth Hostels in Orissa	3218
2036.	Car Nicobar Trading Co. .	3218

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2037	लेखक-पेंशन	3218–19
2038	उड़ीसा में पुस्तकालयों को सहायता	3219
2039	भारत–नेपाल सीमा पर चीनी जासूसों की गिरफ्तारी	3219
2040	पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों की सम्पत्तियां	3219–20
2041	मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों का नामांकन	3220
2042	तिहाड़ जेल में छुरेबाज़ी के मामले	3320–21
2043	हिमालय के तराई क्षेत्र में तेल निक्षेप	3221
2044	मध्य अन्दमान के स्कूल	3221
2045	गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की अंदमान यात्रा	3221
2046	केन्द्रीय वक्फ़ परिषद	3222
2047	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी	3222
2048	सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत का गायन	3223
2049	डाकुओं को हथियारों की सप्लाई	3223
2050	दिल्ली में भूखंडधारियों (प्लाटहोल्डर्स) के लिये ईंटें और सीमेंट	3823–24
2051	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	3225
2052	केन्द्रीय पुस्तक उत्पादन कार्यालय	3225
2053	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	3225
2054	मंत्रियों के निजी सचिव	3225
2055	वीर सावरकर की चिकित्सा	3226–27
2056	दिन्हत्ता थाना क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	3227
2057	दिल्ली के विद्यार्थियों के लिये पुस्तकालय	3227
2058	जाली पासपोर्ट	3227–28
2059	बड़ौदा विश्वविद्यालय	3228

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना 3228

(क) भारतीय वायुसेना के एक विमान की हुई दुर्घटना 3228–29

श्री हुकम चन्द कछवाय 3229

श्री यशवन्तराव चह्वाण 3229

(दो) पाकिस्तान की सीमा के निकट गुजरात के कच्छ जिले में गृह-कार्य मंत्री का हाल ही का दौरा 3262—64

श्री दी० चं० शर्मा 3262

श्री नन्दा 3263—64

गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 3230

बासठवां प्रतिवेदन 3230

प्राक्कलन समिति 3230

बहत्तरवा प्रतिवेदन 3230

Unstared Question Nos.	*Subject*	*Pages*
2037.	Writers Pensions.	3218–19
2038.	Aid to Libraries in Orissa	3219
2039.	Arrest of Chinese Spies on Indo-Nepal Border	3219
2040.	Properties of Refugees in East Pakistan.	3219–20
2041.	Enrolment of Students in M. P.	3220
2042.	Stabbing Cases in Tihar Jail	3220–21
2043.	Oil Deposits in Himalayan Terai Area	3221
2044.	Schools of Middle Andamans.	3221
2045.	Visit to Andamans by Minister of State, Home Affairs.	3221
2046.	Central Wakf Council	3222
2047.	Refugee from East Pakistan	3222
2048.	Playing of National Anthem in Cinema Houses	3223
2049.	Supply of Arms to Dacotis	3223
2050.	Bricks and cement for plot holders in Delhi	3223–24
2051.	Delhi Rent Control Act.	3225
2052.	Central Book Production Bureau	3225
2053.	Central Hindi Directorate	3225
2054.	Private Secretaries of Ministers	3225
2055.	Medical Treatment of Shri Vir Savarkar	3226–27
2056.	Pak intrusion in Dihhatta Thana Area	3227
2057.	Libraries for Delhi Students.	3227
2058.	Forged Passports	3227–28
2059.	University of Baroda.	3228
	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	3228
	(*i*) I. A. F. aircraft accident	3228
	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	3229
	Shri Y. B. Chavan.	3229
	(*ii*) Home Minister's recent visit to areas bordering Pakistan in Kutch district of Gujarat	3262–64
	Shri D. C. Sharma	3262
	Shri Nanda.	3263–64
	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	3230
	Sixty-second Report	3230
	Estimates Committee	3230
	Seventy-second Report	3230

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	3230
दूसरा प्रतिवेदन	3230
समिति के लिये निर्वाचन	3231
प्रौद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत परिषद्	3231
पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित	3231
अनुदानों की मांगें	3232–67
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	3232–62
श्री तन सिंह	3232–33
श्रीमती विमला देवी	3233–34
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा	3234–35
श्री बसवन्त	3236–37
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	3237–38
श्री धुलेश्वर मीना	3239
श्री गोकरन प्रसाद	3239–40
श्री समनानी	3240–41
श्री सोनावने	3241–42
श्री राम सेवक यादव	3242–43
श्री मानसिंह पृ० पटेल	3243–45
श्री शिव चरण माथुर	3245–46
श्री श्रीनारायण दास	3246–47
श्री मोहन स्वरूप	3247
श्री अ० सिं० सहगल	3247–48
श्री दि० सिं० चौधरी	3248–50
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	3250
श्री गौरी शंकर कक्कड़	3251
श्री पैं० वेंकटासुब्बया	3251–53
श्री राजेश्वर पटेल	3253–54
श्री कृष्णपाल सिंह	3254–55
श्री सु० कु० डे	3255–62
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3264–67
श्री हेम बरुआ	3265–66

Subject	PAGES
Committee on Public Undertakings .	3230
Second Report .	3230
Election to Committee	3231
Council under Institutes of Technology Act, 1961. .	3231
Antiquities (Export Control) Amendment Bill—*Introduced* .	3231
Demands for Grants	3232—67
Ministry of Community Development and Co-opeation. . .	3232—62
Shri Tan Singh .	3232-33
Shrimati Vimla Devi .	3233-34
Shri Braj Bihari Mehrotra	3234-35
Shri Baswant . .	3236-37
Shri P. R. Chakraverti .	3237-38
Shri Dhuleshwar Meena	3239
Shri Gokaran Prasad	3239-40
Shri Samnani	3240-41
Shri Sonavane . .	3241-42
Shri Ram Sewak Yadav	3242-43
Shri Man Singh P. Patel	3243—45
Shri Shiv Charan Mathur	3245-46
Shri Shree Narayan Das	3247-47
Shri Mohan Swarup	3247
Shii A. S. Saigal .	3247-48
Shri D. S. Chaudhuri .	3248—50
Shri J. P. Jyotishi .	3250
Shri Gauri Shankar Kakkar	3251
Shri P. Venkatasubbaiah	3251—53
Shri Rajeshwar Patel.	3253-54
Shri Krishnpal Singh .	3254-55
Shri S. K. Dey.	3255—62
Ministry of Information and Broadcasting . .	3264—67
Shri Hem Barua	3265-66

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 7 अप्रैल, 1965/17 चैत्र, 1887 (शक)
Monday, April 5, 1965/Chaitra 15, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राजधानी में शिक्षा की दुकानें

राजधानी में शिक्षा की दुकानें

+

*768. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में शिक्षा की दुकानों के कार्यकरण की, जो कहा जाता है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों का शोषण करती हैं, पूरी पूरी जांच करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know the number of such institutions running on this pattern ?

श्री मु० क० चागला : हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। किन्तु ऐसी कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं और ऐसी संस्थाओं को बन्द करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : Teachers Working in such institutions are paid very meagre Salary which is even less than the Salary of teachers of Municipal Corporation Schools. As a result of this, teachers do not take any interest in Coaching and it causes harm to them. May I know as to what action the Government propose to take in this regard?

श्री मु० क० चागला : ये नकली संस्थाएं हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । हम इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते कि वे अपनी संस्थाओं में किस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं और अध्यापकों को क्या वेतन देते हैं, किन्तु हम इस सम्बन्ध में कानून बनाने का विचार कर रहे हैं जिससे कि बिना सरकार की अनुमति के ऐसी संस्थाएं कार्य नहीं कर सकेंगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में आदर्श विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है .

श्री मु० क० चागला : संकल्प पारित किया गया था .

श्री प्र० चं० बरुआ : मैंने अभी तक पूरा सवाल नहीं पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : आमतौर पर अनुपूरक प्रश्न छोटा होना चाहिए और शायद इसीलिए, माननीय मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हो गये ।

श्री प्र० चं० बरुआ : और वह विधान सभा के समक्ष कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने कहा अक्तूबर में संकल्प पारित किया गया था । हमने राज्यों से उनके सुझावों के बारे में पूछा है, सुझावों के प्राप्त होने के पश्चात् हम एक आदर्श विधान का प्रारूप तैयार करके उसे राज्यों को भेजेंगे क्योंकि यह विषय मुख्यतः राज्यों से सम्बन्धित है । हम दिल्ली में चलने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बना सकते हैं, किन्तु समस्या सम्पूर्ण भारतवर्ष में चलने वाली संस्थाओं की है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया कि इन संस्थाओं को बन्द करने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती सावित्री निगम । माननीय महिला सदस्य को हमेशा यह शिकायत रहती है कि मैं उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं देता हूं और दूसरी तरफ श्री कपूर सिंह जी यह शिकायत करते हैं कि उन्हें (श्रीमती सावित्री निगम) आवश्यकता से अधिक अवसर दिया जाता है । मैंने दोनों को अपने कक्ष में बुलाकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी ।

श्रीमती सावित्री निगम : सलाहकार बोर्ड में पारित किये गये संकल्प के अनुसार सरकार क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार करती है और इस सम्बन्ध में पहले क्या कदम उठाये जा चुके हैं ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी संस्था अपने को विश्वविद्यालय की संज्ञा नहीं दे सकती यह एक दण्डनीय अपराध है । नकली संस्थाओं द्वारा दी गई डिग्रियों अथवा डिप्लोमाओं को सरकार मान्यता नहीं देती । हम चाहते हैं कि सरकार की अनुमति के बिना ऐसी कोई भी संस्था काम

न करे और न ही ऐसी कोई संस्था खोली जाय, इसी उद्देश्य के लिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले, माननीय महिला सदस्य की अनुपस्थिति में, सभा में कहा कि हम एक आदर्श विधान का प्रारूप तैयार करके उसे राज्यों को भेजने की बात सोच रहे हैं।

डा० चन्द्रभान सिंह : यदि सरकार को किसी गम्भीर धोखाधड़ी के मामले के बारे में बताया जाय, तो क्या वह उस संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अवश्य, माननीय सदस्य को ऐसे मामलों के बारे में सरकार को बताना चाहिए ।

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Minister has just now stated that suggestions have been invited from the State Governments in regard to the proposed legislation. I want to know as to why any step has not been taken by the Central Government or the Ministry of Education in regard to the Centrally administered territories such as Delhi and others.

श्री मु० क० चागला : ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत मैं कार्यवाही कर सकूं । इंगलैंड जैसे देश में भी ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जिन्हें रटाने वाली दूकानें कहा जाता है और जहां छात्रों को परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए रटाया जाता है । यह बहुत कठिन समस्या है । पहली बात तो यह है कि हम शिक्षा के मामले में प्रयोगों को रोकना नहीं चाहते, और हम गैर-सरकारी अथवा निजी संस्थाओं का बन्द नहीं करना चाहते हैं । दूसरी तरफ यह बात है कि हम इन नकली संस्थाओं के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं; अतः हम एक ऐसा विधेयक तैयार करेंगे जो कि इन दोनों उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या ये तथाकथित शिक्षा की दुकानें कोई वास्तविक मांग की पूर्ति करती है ; और यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी बहुत बड़ी मांग है और यह हमारे लिए हर्ष का विषय है। देश में नवयुवक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं किन्तु कॉलेजों में स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । इसीलिए हमने पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम तथा सायंकालीन विद्यालयों की व्यवस्था की है और इन छात्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे किन्तु ऐसी संस्थाओं के द्वारा नहीं ।

Shri Yudhvir Singh : It appears from the reply given to this question that the Government have not followed the spirit of the question. In the Con text of this question, it is a well known fact that some Universities allow private candidates to appear themselves in their University examinations through these private institutions. Before these institutions are prevented from functioning may I know whether the Central Government and the State Governments propose to take a decision or to direct the Universities under their jurisdictions not to allow students as private candidates for any University examinations so that such institutions may not come into existence ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे जानकारी है, कोई भी व्यक्ति किसी विश्व-विद्यालय की परीक्षा में तब तक नहीं बैठ सकता है जब तक कि वह किसी कॉलेज का छात्र नहीं है अथवा जिसने दिल्ली में पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम का अध्ययन न किया हो। मैं नहीं समझ पाता कि कोई छात्र किसी कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में भर्ती हुए बिना किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में कैसे बैठ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आगे जांच करेंगे, मुझे भी इस बात की जानकारी है कि कुछ विश्वविद्यालय प्राइवेट छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देते हैं।

श्री मु० क० चागला : उदाहरणार्थ, इंगलैंड में एक वाह्य–छात्र पद्धति है। फिर भी उन्हें अपना नाम किसी विश्वविद्यालय में रजिस्टर करवाना पड़ता है। संशिक्षकीय (ट्यूटोरियल) संस्थाओं के बारे में मुझे ज्ञान है। किसी कॉलेज में अपना नाम रजिस्टर करवाने के बाद उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाना पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में अवश्य ही जांच करवाऊंगा।

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Minister has just stated that Government have no control over these institutions, but Delhi State is under Centres' Control. In spite of this fact, there are such institutions functioning in Delhi which realise Examination fees from Students for Nepal University examinations etc., and later on Students are disappointed. Is Government aware of such institutions; and if so, the action proposed to be taken by the Government to put down these institutions?

श्री मु० क० चागला : दिल्ली में भी हमें कानून का पालन करना पड़ता है। जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं होता, मैं उसे बन्द नहीं कर सकता। अतः मैं इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र विधान प्रस्तुत करने के प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार करूंगा।

Oil Companies

\+

*769. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri Yashpal Singh:
Shri R. S. Tiwary:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the oil companies sell petrol and other products at different rates in big and small cities and in rural areas;

(b) if so, the basis of these different rates;

(c) whether it is also a fact that from the consumers in small cities and rural areas the oil companies are charging more than the expenses borne by them on the transport of petrol, and

(d) if so, the action being taken by Government to ensure uniform rates?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) बड़ी बन्दरगाहों पर कीमतों में असमानता के निम्न कारण हैं:—

(i) फारस खाड़ी की लदान बन्दरगाहों से लेकर भारत में उतराई–बन्दरगाहों तक समुद्री भाड़ा दर का अन्तर।

(ii) घाटभाड़ा (wharfage) के आपात (incidence) में अन्तर ; और

(iii) विभिन्न बन्दरगाहों पर लागू किये गये दूसरे लाज़मी उत्तराई भाड़ों में अन्तर।

तट–दूर मूल्यों में समीपतम मुख्य बन्दरगाह केन्द्र से वास्तविक रेल भाड़े का हिस्सा, बिक्री-कर और चुंगी आदि जैसे दूसरे स्थानीय कर शुल्क शामिल हैं। ये वर्ष स्थान स्थान पर अलग अलग हैं।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या वर्तमान आयव्ययक के कारण पेट्रोल तथा पेट्रोलियम से बने पदार्थों के मूल विक्रय-मूल्य में कोई परिवर्तन होगा ?

श्री हुमायून् कबिर : मेरे विचार में लगभग 2 पैसे की वृद्धि हुई है। किन्तु यह मामला विचाराधीन है। वित्त विधेयक पर विचार करते समय हमें इस बारे में मिश्चित रूप से मालूम हो जायेगा। मैं इस समय निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री स० चं० सामन्त : भारत प्रतिरक्षा नियम के अधीन सरकर ने किस प्रकार के नियंत्रण आदेश जारी किये हैं ताकि मिट्टी के तेल का फुटकर भाव, विशेषकर गांवों में न बढ़ने पाये ?

श्री हुमायून् कबिर : इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है। सरकार ने इस बात के लिये कार्यवाही की है कि भावों में वृद्धि न हो।

Shri M. L. Dwivedi : Are Government aware of the fact that the Burmah Shell and other Companies have closed down their depots in the rural areas and in the urban areas they charge much more than the expenses borne by them on the transport of petrol? May I know the arrangements being made, if any, by the Government to see that the rates thus increased are checked in the rural areas?

श्री हुमायून् कबिर : मैंने बताया है कि हमें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि उन्होंने अधिकतम निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत ली है। यह एक जुर्म है; यदि किसी ऐसे मामले के बारे में हमें बताया जाये, तो हम शीघ्र कार्यवाही करेंगे, माननीय सदस्य को विशिष्ट उदाहरण देना चाहिए। उनके ऐसा करने पर हम जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Shri M. L. Dwivedi: My question was that the Companies charge more than the actual transport charges, and this part has not been answered.

श्री हुमायून् कबिर : परिवहन सम्बन्धी उनकी अपनी दरे हैं। किन्तु जहां तक मूल्य का प्रश्न है, वह किसी भी एक स्थान पर विभिन्न कम्पनियों का एक ही है।

Shri Yashpal Singh : These are different rates at different places in the same State for one variety of oil May I know whether Government have any policy to ensure uniform rates?

श्री हुमायून् कबिर : मैंने पहले ही कहा है कि किसी एक स्थान पर मूल्य में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु यदि "ए" नगर में कुछ विशेष चुंगी लगी हुई हो जो कि "बी" नगर में न हो, तो ऐसी स्थिति में मूल्य में कुछ अन्तर हो जायेगा जिसका कारण केवल चुंगी है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 'इंडियन ऑयल' तेल की कम्पनियों में से एक है; पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थों को पश्चिमी तेल कम्पनियों से प्राप्त करके भारत में लाने की आवश्यकता नहीं है; क्या सरकार भारतीय तेल कम्पनी की सेवाओं का, मिट्टी के तेल तथा पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करके उन्हें विभिन्न पेट्रोल पम्पों इत्यादि के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर बेचने में उपयोग करेगी ?

श्री हुमायून् कबिर : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मेरी माननीय मित्र दो वर्ष पहले की बात कर रही हैं क्योंकि भारतीय तेल कम्पनी लगभग गत 22 वर्ष से मिट्टी के तेल को बेचने का काम कर रही है। दूसरे भाग के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि पेट्रोल पम्पों के द्वारा मिट्टी के तेल को बेचना कहीं भी व्यवहारिक सिद्ध नहीं हुआ है।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या तिनसुखिया, कलकत्ता और नूनमाटी में मिट्टी के तेल की कीमतें अलग-अलग हैं, और क्या यह भी सच है कि नूनमाटी में, जहां मिट्टी के तेल का उत्पादन होता है, इसे और भी अधिक ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : मल्य आयात समाहता के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं, अतः ये मूल्य विभिन्न क्षेत्रों में, जहां भारत में पेट्रोल आता है, भिन्न-भिन्न होते हैं। किन्तु हमारे पास कुछ लाइसेंस हैं जिनके अनुसार हमें मूल्यों का फारस की खाड़ी में पेट्रोल के मूल्यों से साम्य रखना पड़ता है। सारे मामले पर एक समिति विचार कर रही है कि क्या हम पेट्रोल के मूल्य स्वतंत्र रूप से निश्चित कर सकते हैं अथवा नहीं।

Shri R. S. Tiwary: Sir, diesel is not available in rural areas for tractors and the farmers have to procure it from towns, which causes inconvenience to them? May I know whether Government propose to fix some diesel quota for rural areas in order to make it easily available to the farmers?

श्री हुमायून् कबिर : हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेट्रोल की व्यवस्था की जाय और विभिन्न तेल समवाय होड़ के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक वाणिज्यक मामला है, मुझे आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मांग होने पर वहां पेट्रोल की व्यवस्था अवश्य हो जायेगी।

Shri Gulshan: Have the Government ever tried to ascertain that diesel is supplied to the farmers, using engines and tractors for the production of food grains, at cheaper rates?

श्री हुमायून् कबिर : तेल का भाव सब के लिये एक ही होगा। परन्तु अन्य तरीकों से सहायता दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पता होगा कि सरकार ने अधिकतम और निम्नतम मूल्य पहले से ही निर्धारित कर दिये हैं; अन्य प्रकार के प्रोत्साहन भी हैं। मैं नहीं समझता कि एक ही वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर बेचना भव हो सकता है।

Shri Sheo Narain: Mr. Speaker, Sir, in our areas big towns are situated at a distance of about 32 miles from the city and during the election time great difficulty is felt by the farmers and other motor drivers for want of petrol there. Why do the Government not issue more permits to other people for petrol to ease the situation?

Mr. Speaker: Did you ever invite the Minister to your area.

Shri Sheo Narain: Nobody goes to our area.

श्री हुमायून् कबिर : मैं नहीं समझता कि चुनाव के समय में पेट्रोल की कमी का किसानों पर विशेष प्रभाव पड़ता है ; दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं , परन्तु किसान नहीं; हम सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं बहुत से क्षेत्रों में शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जायेंगे ।

वामपंथी साम्यवादियों की गिरफ्तारी

+

*770. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय नज़रबन्द वामपंथी साम्यवादी दल के कुछ अहलकारों ने सरकार को लिखा है कि यदि सरकार उनको मुक्त कर दे तो वे अपनी साम्यवादी कार्यवाहियां त्याग देंगे ; और

(ख) क्या भारतीय वामपंथी साम्यवादी दल के कुछ सदस्यों ने, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, दक्षिणपंथी भारतीय साम्यवादी दल में शामिल होने का प्रयत्न किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस मामले के बारे में कोई स्पष्ट सूचना देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने और वामपंथी साम्यवादी दल को गतिविधियों में परिवर्तन होने से केरल सरकार के सामने कहां तक नई समस्या पैदा हो गई है?

श्री हाथी : केरल सरकार गौर से देख रही है । 6 तारीख से उन्होंने एक आन्दोलन चालू करने की योजना बनाई थी । सरकार गतिविधियों को उत्सुकता से देख रही है । अभी तक कोई हिन्सात्मक कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह ध्यान में रखते हुए कि दक्षिणपन्थी साम्यवादी चुनावों में असफल रहेहैं और वामपन्थी साम्यवादीसरकार बनाने में सफल रहेहैं, वे दोनों आपस में कहां तक मेल-मिलाप कर सके हैं ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि वे दोनों एक हो रहे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि वामपन्थी साम्यवादियों द्वारा क्षमायाचना करने से यह साफ पता लगता है कि वे राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियां कर रहेहैं और यदि हां, तो क्या सरकार यह समझती है कि इस संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाये ?

श्री हाथी : जहां तक उनकी लिखत और खेद का सम्बन्ध है, निर्णय करने के लिये केवल यही एक कसौटी नहीं है । कसौटी यह होगी कि वे किस प्रकार की कार्यवाहियों में लगे हुए हैं । यदि वे राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों में लगे हुए हैं तो केवल लिख देने का कोई अर्थ नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : जब कि सरकार ने श्री नम्बूदरीपाद और श्री ज्योति बसु को छोड़ कर कुछ वामपन्थी साम्यवादियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या सरकार इस से अवगत है कि वामपन्थी साम्य-वादी दल सारे भारत में और विशेषत: गांवों में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और लोगों को हिन्सात्मक कार्यवाहियां करने के लिये भड़का रहा है ? क्या सरकार को इसकी कोई निश्चित जानकारी है ?

श्री हाथी : सरकार के पास निश्चित जानकारी थी और इसी लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और सरकार उनकी निगरानी रख रही है ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether after the arrests of the Communists some facts have come to light revealing that they are still indulging in anti-Indian activities, if so, whether Government will publicise the material seized just as it published a white paper regarding the activities of the Communists earlier?

Shri Hathi: At present there is no question of bringing out "a white paper. But if, any such information comes to us that will be placed before the House.

Shri Sarjoo Pandey: Just now the Minister said that their mere apologies will not do, there activities have got to be examined. How many persons have tendered apology, and without release how can it be ascertained whether they do the right thing or not?

Shri Hathi: Three persons have apologised. Two of them said that they published a ne2spaper and that they did it only for the monetary purpose. They have also said that they will not join with the Left or the Right Communists and that they are also getting cancelled their declaration of the paper. Along with apology they have done this concrete act and therefore they have been pardoned.

Shri R. S. Pandey: Have some letters written by Left Communists to China been seized in which mention has been made of arms and ammunitions?

Shri Hathi: This is not in my knowledge.

Shri Raghunath Singh : What is the number of Left Communists who are in jails.

Shri Hathi: Near about one thousand.

श्री वासुदेवन् नायर : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि उनके पास बहुत सारी रिपोर्टें हैं, और यही कारण है कि उन्हें जेल में बन्द किया गया है । परन्तु क्या कारण है कि सरकार ने अभी तक एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया है ? सरकार को शरम क्यों आती है ?

श्री हाथी : राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक चीज न्यायालय के सामने नहीं रख सकते ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मंत्री द्वारा पहले दिये गये उत्तर से पता चलता है कि केवल लिख देना ही काफी नहीं है । तो क्या हम इसका यह अर्थ समझें कि ऐसी बातों के लिखने की भी स्वतन्त्रता होगी जो राज्य में वर्तमान स्थिति के लिये हानिकारक हों ?

श्री हाथी : मैं ने लिखने की स्वतंत्रता के बारे में नहीं कहा है । मैं ने कहा था कि केवल यह लिख देना ही काफी नहीं है कि अब उसका वामपन्थी साम्यवादियों से कोई सम्बन्ध नहीं है और दक्षिणपन्थी साम्यवादियों के साथ मिल रहा है, जब तक कि वे अपने सारे सम्बन्ध न तोड़ दें और ठोस कार्य द्वारा यह न बतायें कि वे अब राष्ट्रविरोधी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह देखते हुए कि चीन समर्थक साम्यवादियों की खतरनाक राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों के बारे में गृह मंत्री ने इस सभा में बताया था और दूसरी सभा में भी जहां उन्होंने कहा कि इस देश में भी चीनी एजेंट पैदा हो गये हैं, क्या मंत्री महोदय ने प्रधान मंत्री या वैदेशिक-कार्य मंत्री को किसी समय यह सुझाव दिया है कि क्योंकि इन खतरनाक कार्यवाहियों में चीनी

दूतावास सक्रिया रूप से भाग ले रहा है, सरकार को चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ देने चाहियें, और यदि ऐसा नहीं तो कम से कम भारत में चीनी राजनयिकों के घूमने पर सख्त प्रतिबन्ध लगा दिये जायें ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): इस प्रयोजन के लिये और या इससे सम्बन्धित अन्य संदर्भों में इन बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न विशिष्ट था । क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वह माननीय सदस्य को नहीं बतायेंगे कि उन्होंने सुझाव दिया है या नहीं । परन्तु उन्होंने कहा है कि इन बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उन्हें बताना नहीं चाहते ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह भी गोपनीय है ? वे प्रत्येक चीज़ को गोपनीय बनाते जा रहे हैं ।

Shri Ram Sewak Yadav: Shri Jyoti Basu and Shri Namboodripad are the Chief leaders of Left Communists. May I know whether Shri Dange has not been arrested because Government wants to make him a supporter of the Government?

Shri Nanda: It only indicates that we may be wrong in conceding to a man's saying that he is not a pro-Chinese and that he has no relations with pro-Chinese Communists but actually he may be having very bad intentions. This mistake can be rectified.

Mr. Speaker: The question is whether you did so for boosting up Shri Dange and arrested other prsons ?

Shri Nanda: Shri Dange is more near to him than to me.

Shri Bibhuti Mishra: The Minister said that Shri Dange said to him that he was not a pro-Chinese. But he has been constantly advocating the cause of Chinese. Does it not indicate that he said so just to defraid you?

Shri Nanda: What I have replied can at least be an answer to this question.

Shri Surendranath Dwivedi : The Minister said that 1000 Leftist Communists are in Jails. I want to know the number of Leftist Communists outside the Jails. Have Government any proof to establish that the so called Rightist Communists are not Leftists ?

Shri Hathi : There is no such thing that arrests have been made on the basis of Left Communists or Right Communists, but Government has taken action due to their activities.

Mr. Speaker: How many are outside ?

Shri Vishram Prasad: It is reported in today's daily Hindi 'Hindustan' that a Congress woman legislator of Jaipur, Rajasthan keeps close relations with Chinese Ambassador. Will the Government stop her visiting the Chinese Embassy and put her in Jail?

Mr. Speaker: It is only a press report. The hon. Member should have confirmed it first.

Shri Sheo Narain: It is written 'a lady Member' and not Congress Member.

Shri Onkar Lal Berwa: In newspapers it is written, 'Congress Lady Member.'

Mr. Speaker: It is only reported in Hindi Newspaper and not in English newspaper.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने गृह-मंत्री के इस वक्तव्य को चुनौती दी है कि वामपन्थी साम्यवादियों ने चीन के साथ बनाए हुए हैं और यह कि वह कथन "बिल्कुल निराधार, मनघड़न्त और अपमान वचन है" और यदि हां, तो चीनी दूतावास के इस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नन्दा : यदि मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूं तो यह बिल्कुल बेबुनियाद और विचार करने के काबिल नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : यदि उन्होंने ये शब्द चीनी दूतावास के विरुद्ध कहे हैं तब तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय इसका अर्थ नहीं निकाल सकता कि ये शब्द माननीय सदस्य के विरुद्ध कहे गये हैं अथवा चीनी दूतावास के विरुद्ध ।

श्रीमती अकम्मा देवी : माननीय मंत्री ने बताया कि जेल में 1000 वामपन्थी साम्यवादी हैं । क्या इतने साम्यवादी केवल केरल की जेल में हैं या देश की अन्य जेलों में भी ?

श्री हाथी : जी नहीं ; सारे देश में इतने साम्यवादी जेलों में हैं ।

कोरबा उर्वरक कारखाना

\+

*771. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री चांडक :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोरबा में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने के परियोजना प्रतिवेदन पर निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं। योजना आयोग और दूसरे सम्बन्धित मंत्रालयों की सलाह से परियोजना रिपोर्ट परीक्षाधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh: Can the Government give any specific date ? The Government should give a date. After all this work is pending for a considerable time.

श्री अलगेशन : मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि हम अन्य मंत्रालयों, विशेषत: वित्त मंत्रालय के परामर्श से सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : Will there be Foreign Collaboration in this enterprise or Government will undertake it independently in Private or Public Sector ?

श्री अलगेशन : इसे सरकारी क्षेत्र में रखने का विचार है, और विदेशी सहायता के बारे में बाद में फैसला किया जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह संयंत्र कोयले पर आधारित होगा ?

श्री अलगेशन : जी, हां।

डा० चन्द्रभान सिंह : यह देखते हुए कि नैफ्था पर आधारित उर्वरक देश की सारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है और कोरबा में द्वितीय श्रेणी का कोयला प्रचुर मात्रा में है, सरकार अन्तिम निर्णय कब लेगी और मध्य प्रदेश की मांग को पूरा करने के लिये इस परियोजना को कब पूरा करेगी ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न का कुछ तो उत्तर मैंने दे दिया है। यही प्रश्न विचाराधीन है, क्या नैफ्था पर आधारित उर्वरक कारखानों को स्थापित करना अधिक अच्छा है अथवा कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों को भी स्थापित करना। सम्बन्धित आर्थिक प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री दाजी : ऐसा क्यों हैं कि जब कि इस विशिष्ट परियोजना के सम्बन्ध में हमें बार बार यह बताया गया था कि निर्णय कर लिया गया है और हंगरी के लोगों के साथ बातचीत काफी आगे तक कर ली गई है, मामले पर पुन: विचार किया जा रहा है ? क्या ऐसा इसलिये है, जैसा कि लोगों में भय है, संयंत्र को मध्य प्रदेश से हटा कर मद्रास ले जाया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : इस संयंत्र को हटा कर मद्रास ले जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि वहां पर कोयले की कमी है। जैसाकि मैंने बताया इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि नैफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाना अधिक सस्ता रहेगा अथवा कोयले पर आधारित। हमारे संसाधन बहुत कम हैं, इसलिये हम उनका सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहते हैं।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन् कबिर): मैं भी कुछ कह दूं कि मेरे माननीय मित्र के पास ऐसी जानकारी है जो किसी के पास नहीं है, कि हंगरी वाले इस मामले में सहयोग देने को राज़ी हो गये हैं।

Shri R. S. Tiwary : When the Government has already spent some money for the establishment of this Fertiliser Factory, we are not able to understand why it is being delayed. It appears that this Fertiliser Factory is being shifted to some other place from there ?

श्री हुमायून् कबिर : जैसा कि मेरे साथी ने बताया यह विचाराधीन है। देखने में ने था का अधिक लाभ है। इसलिये शीघ्र निर्णय करना शायद इसके विरुद्ध होगा। क्योंकि हम संभावनाओं की जांच कर रहे हैं कि क्या यह संभाव्य भी है, समय लग रहा है।

श्री सिंहासन सिंह : क्या कोरबा के कर्मचारियों को गोरखपुर उर्वरक कारखाने में भेजा जा रहा है ? कोरबा कारखाने के प्रबन्धक को गोरखपुर कारखाने के प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या इन कर्मचारियों को गोरखपुर कारखाने में भेजने का यह भी एक कारण है ?

श्री अलगेशन : कर्मचारियों का वितरण प्रत्येक स्थान पर केवल काम की मात्रा पर ही निर्भर है।

रूस में भारतीय तेल तकनीशियनों का प्रशिक्षण

\+

*772. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोवियत संघ में भारतीय तेल तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिस योजना को अन्तिम रूप दिया गया है उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी हां। रूस में 27 भारतीय तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव परीक्षाधीन है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षण की जो ये सुविधायें अब उपलब्ध की गई हैं वे खोज तथा परिष्करण के सम्बन्ध में रूस के साथ और सहयोग होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए की गई है और, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह बातचीत किन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है ?

श्री हुमायून् कबिर : हमने बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में रूस के साथ बातचीत की थी--जसे खोज, परिष्करण तथा खुदाई। इन 27 व्यक्तियों में से कुछ को भूविज्ञान में, कुछ को भूभौतिकी में, कुछ को भूकम्पविज्ञान में और कुछ को खुदाई तकनीक में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : भारत में इस समय कितने रूसी तकनीशियन इस काम को कर रहे हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि उन सभी स्थानों पर भारतीय तकनीशियनों को रखने की कोई योजना है और, यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : भारत में काम कर रहे रूसी विशेषज्ञों की कुल संख्या मैं इस समय नहीं बता सकता हूं । उनकी संख्या बदलती रहती है क्योंकि कुछ लोग यहां आते हैं और कुछ वापस चले जाते हैं । यदि किसी विशेष दिन की जानकारी चाहिये तो सूचना मिलने पर मैं आंकड़े इकट्ठे करके दे सकता हूं । हमारा उद्देश्य अवश्य ही यह है कि अन्ततः हम उन सभी स्थानों पर भारतीयों को रखें ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये कोई ऐसी शर्त रखी गई है जिस से रूस द्वारा सहयोग प्राप्त तथा भारत द्वारा प्रायोजित किसी योजना में भारतीय तकनीशियनों को काम करने के लिये बाध्य किया जा सके ?

श्री हुमायून् कबिर : हमारे पास इतना काम है कि इस समय किसी शर्त लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । हम लोगों को एक परियोजना से दूसरी परियोजना में ले जा रहे हैं । जब वे एक बार शिक्षा प्राप्त कर लेंगे हम जहां चाहें उन से काम ले लेंगे ।

श्री अन्सार हरवानी : क्या अपने प्रशिक्षार्थियों को रूमानिया भेजने की भी कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में रूमानिया सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया गया है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हमें यह समझ लेना चाहिये कि कई वर्ष पहले जब रूस के साथ तेल के क्षेत्र में सहयोग-समझौता हुआ था, तब से लेकर अब तक किसी भारतीय तकनीशियन को प्रशिक्षण के लिये विदेश में नहीं भेजा गया था और यह पहली ही बार है जबकि वे भेजे जा रहे हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : मेरे माननीय मित्र गलती पर हैं जब वे यह कहते हैं कि यह पहली ही बार है .....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तो आपसे पूछ रहा हूं । आप का ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है कि मैं गलती पर हूं ?

श्री हुमायून् कबिर : बरौनी के लिये 88 व्यक्तियों को पहले ही प्रशिक्षण दे दिया गया है । गुजरात तेल शोधक कारखाने के लिये 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि रूस को भेजने के लिये प्रशिक्षार्थियों का चयन कैसे किया जाता है ?

श्री हुमायून् कबिर : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अथवा तेल शोधक कारखानों में काम करने वालों को पूर्ववर्तिता दी जायेगी ।

गोआ में बम विस्फोट

*773. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री 18 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जून, 1964 के आस पास गोआ में हुए कई बम विस्फोटों के बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा की गई जांच में कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस मामले की जांच केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग द्वारा न की जा कर उसके सहयोग से गोआ पुलिस ने की थी। जांच पूरी हो गई है और मर्गाओ में एक प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के सामने मामला पेश कर दिया गया है। इस समय इस मामले की गहराई में जाना उचित नहीं होगा क्योंकि अब यह मामला न्यायलय में है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने गोआ पुलिस को इसलिये सहयोग दिया था क्योंकि यह उनका सामान्य कर्त्तव्य है या वहां पर पर्याप्त पुलिस न होने के कारण उन से सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की गई थी ?

श्री हाथी : यह बात केवल पर्याप्त पुलिस न होने की ही नहीं है। यदि कोई भी राज्य सरकार सहायता के लिये प्रार्थना करती है तो हम साधारणतया दे देते हैं। इसके अतिरिक्त गोआ संघ क्षेत्र होने के नाते हमें वह सहायता देनी ही थी ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अपराध की जांच करने के लिये जो कि एक बड़ा अपराध था कोई विशेष दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है या कि वहां आम काम करने वाला दण्डाधिकारी ही नियुक्त किया गया है ?

श्री हाथी : हमने कोई विशेष दण्डाधिकारी नियुक्त नहीं किया है ।

Shri Raghunath Singh : Have you been able to find out from the enquiry which was done so far that the bombs which were exploded were Indian made or imported ones ?

Mr. Speaker : It will be known when the enquiry is completed ?

National Laboratories

\+

*774. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have tried to assess the financial implications of the schemes of various National Laboratories through expert and independent agencies ;

(b) whether Government have evaluated the research work of these laboratories in respect of (i) pure research, (ii) use of that research for industrial purposes ; and

(c) whether the work done in these laboratories has resulted either in bringing down the prices of some commodities or in making available any new commodities as a substitue for other ones or in the saving of the foreign exchange or in increasing defence potentialities in obvious terms ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Financial implications of each research project/scheme incorporated in the research programme of a National Laboratory are fully examined and assessed firstly by the Executive Council of the Laboratory; secondly by the Finance

Sub-Committee of the Governing Body of the C.S.I.R. which approves the Budget and finally by the Governing Body of the Council. All these bodies include experts from outside also.

(b) The research programme of every National Laboratory is examined and reviewed by its Executive Council at least twice in a year. Special programmes, such as large Pilot Plants etc. are also examined by the Board of Scientific & Industrial Research. Besides, a Reviewing Committee is periodically appointed by he President, C.S.I.R. (Prime Minister) to evaluate and review the work of the C.S.I.R. and its laboratories. The Third Reviewing Committee under the Chairmanship of Dr. A.R. Mudaliar has recently completed its task and submitted a Report which is available in the Library of the Parliament.

(c) Over 450 processes covering new products, indigenous substitutes for imported materials, indigenous technical know-how and utilisation of indigenous raw materials, have been evolved by the National Laboratories. It is difficult to say whether these have resulted in bringing down the price of any commodity but a saving of foreign exchange to the exent of about Rs. 22 crores has been achieved. 87 problems of Defence interest have also been successfully tackled by the National Laboratories.

Shri Madhu Limaye : I want to draw the attention of the Hon. Minister to the second part of the reply of my question. I think the Mudaliar Committee about which he made a mention has made adout thirty recommendations. I want to know which of those recommendations have been implemented by Government and would also request him to explain especially recommendations Nos. 8, 29 and 30 which are about research programme, research for population Control and research programme evaluation respectively.

श्री मु० क० चागला : मुदालियर समिति का प्रतिवेदन कुछ ही समय पहले प्रस्तुत किया गया था। उस पर विचार करने के लिये मैंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के शासी निकाय की एक विशेष बैठक बलाई थी। शासी निकाय ने इस पर विचार कर लिया है। हमने जितनी भी उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और जिन को कार्यान्वित करना हम उचित समझते हैं उन को कार्यान्वित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : It has been stated in the third part of the reply that by doing researches the laboratories have done 450 important things which have resulted in the saving of Foreign exchange to the extent of Rs. 22 crores. I want to know which those important things are—Four or Five of them may be named—by which more Foreign axchange has been saved. I would also like to know as to how much Foreign exchange we have spent on these national laboratories since their establishment till now ?

श्री मु० क० चागला : मैंने संसद् की पुस्तकालय में एक पुस्तिका रख दी है जिसे मैंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का द्वारा विशेष रूप से कह कर प्रकाशित करवाया था ताकि संसत्सदस्य को यह जानकारी मिलती रहे कि हमारी प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है और यदि मेरे माननीय मित्र उसे पढ़ें तो उनको पूरा पता चल जायेगा कि हमारी प्रयोगशालाओं में कौन से महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुए हैं, उनका कहां तक प्रयोग किया गया है और विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है। मेरे लिये इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि उन्होंने कौन से बड़े कार्य किये हैं; परन्तु एक पुस्तिका है जिसमें यह सारी जानकारी दी गई है जो मेरे माननीय मित्र जानना चाहते हैं और यदि उनको इससे अधिक जानकारी चाहिये तो मुझे वह देने में बहुत प्रसन्नता होगी।

Shri Kishan Pattnayak : Emphasising this part of the question that much is spent on decoration even for scientific works, I want to know that when I made a charge last year that the Director-General of C.S.I.R. had spent rupees one lakh for the deocoration of his room the Hon. Minister has declared that charge as baseless but later on that was proved, so may I know after that what steps the Hon. Minister has taken to check overspending ?

श्री मु०क० चागला : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । अब हम प्रयोगशालाओं की बात कर रहे हैं ।

Shri Kishan Pattanayak : It certainly arises.

श्री मु० क० चागला : मेरा ख्याल है कि जब यह प्रश्न मेरे से पूछा गया था तो मैंने उसका उत्तर दे दिया था कि कितनी राशि व्यय की गई थी । यह मेरे मन्त्री बनने के पहले की बात थी । इस समय हम प्रयोगशालाओं के काम, अनुसन्धान, विदेशी मुद्रा की बचत और अनुसन्धान के उद्योगों में प्रयोग में लाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं । इसलिये मैं अपने मित्र को सम्मान के साथ कहता हूं कि प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir, The Hon. Minister has said that the question asked by Shri Kishan Pattnayak does not arise out of it so I want to draw his attention to the first part of my question where I have asked the Government if they have considered the financial implications of these laboratories. So, is not this question of overspending of rupees one lakh connected with the financial implications ? So, how can the Hon. Minister say that this question does not arise out of it ?

Mr. Speaker : At this time we cannot take individual cases.

श्री रंगा : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Member has asked an important question for which he has given an example.

श्री रंगा : यह एक लाख का मामला है, कोई छोटा मामला तो नहीं है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : जिस पुस्तिका का माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है मैंने वह पढ़ ली है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो 22 करोड़ रुपये की बचत हुई है यह बचत वास्तव में सारे देश द्वारा की गई है या सरकार द्वारा या वाणिज्यिक उद्योगों द्वारा या कि यह संभाव्य बचत ही है ?

श्री मु० क० चागला : नहीं, श्रीमन्; 22 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की वास्तव में बचत हुई है ।

श्री श्रीनारायण दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् के जांच समिति ने सुझाव दिया है कि मौलिक अनुसन्धान तो अधिकतर विश्वविद्यालयों को करना चाहिये और इन प्रयोगशालाओं को अपना अधिक समय व्यावहारिक अनुसन्धान पर लगाना चाहिये, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में भी कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मु० क० चागला : हमारी यही नीति रही है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत स्थापित की गई प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक अनुसन्धान ही किया जाता है ताकि उद्योग आगे बढ़ सके तथा मौतिक अनुसन्धान अधिकतर विश्वविद्यालयों में किया जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वेतनमान तथा सेवा की शर्तें तुलनात्मक असन्तोषजनक होने के कारण बहुत से युवक तथा सक्षम अनुसन्धान वैज्ञानिक गैर-सरकारी क्षेत्र में चले जाते हैं और, यदि हां, तो सरकार कौन से ऐसे तरीके अपना रही है या उत्प्रेरणा दे रही है जिससे वे प्रयोगशालाओं की ओर आकृष्ट हों।

श्री मु० क० चागला : हमने हाल ही में अपने निदेशकों के वेतन क्रम बढ़ा दिये हैं। मुझे सभा को यह बताने में खुशी हो रही है--प्रत्येक चयन समिति का सभापति होने के नाते--मुझे पता है कि युवक आते हैं और कहते हैं, "चाहे हमें उद्योगों में अधिक वेतन मिलता है परन्तु हम प्रयोगशालाओं में आना चाहते हैं क्योंकि हम अनुसन्धान करना चाहते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : चाहे इन प्रयोगशालाओं में बहुत अच्छा काम हो रहा है परन्तु मुझे एक शिकायत है कि विभिन्न अनुसन्धानों के परिणामों को उद्योगों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को नहीं भेजा जाता है जिससे वे समय पर उचित उपयोग कर सकें।

श्री मु० क० चागला : उनमें से अधिकतर भेज दिये जाते हैं। परन्तु मैं ऐसी कार्यवाही कर रहा हूं जिससे उद्योगों तथा हमारी प्रयोगशालाओं में प्रगाढ़ सहयोग हो सके। यह कहना ठीक नहीं है कि हम अनुसन्धानों के परिणामों को नहीं भेजते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से उद्योगों में प्रयोग में लाये गये हैं और बहुत से लाये जा रहे हैं।

प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें

*775. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा में प्रयोग किये जाने के लिये प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तथा शब्द-कोष प्रकाशित करने की सलाह दी है ? और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की मानक पुस्तकों का प्रकाशन, अनुवाद और उन्हें तैयार करने की योजना उच्चतर शिक्षा के लिए हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने की दिशा में शिक्षा मन्त्रालय का प्रारम्भिक कदम है। यह योजना सन् 1960 से अमल में लाई जा रही है। इसी वर्ष केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने इस योजना की जानकारी राज्य शिक्षा मन्त्रियों और विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को दी थी और विश्वविद्यालयों व राज्य सरकारों के शैक्षिक निकायों के जरिए इस योजना को अमल में लाने के लिए उन सब का सहयोग चाहा था। अभी तक केवल बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास, गुजरात, पंजाब, मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों ने ही इस योजना में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान की है।

Shri Vishwa Nath Pandey : Is the statement laid on the Table of the House it has been mentioned that the scheme for preparation, translation and publication of standard works of University level in Hindi and regional languages

and introduction of Hindi and regional languages as medium of instruction for higher education is a preparatory step taken by the Ministry. It has also been mentioned that this scheme is being implemented from 1960. I want to know the progress made in this direction and whether the Ministry considers it to be satisfactory, if not, whether the Government is contemplating some other scheme to accelerate this progress ?

Shri Bhakt Darshan : I want first to reply to the last part of the Hon. Members' question. The Ministry is not satisfied with the progress made in this direction. The position is that on 25th August, 1960, the then Education Minister wrote a letter in this connection to the Education Minister of all the States and Vice Chancellors of all the Universities, Bihar, Rajasthan, U.P., Madhya Pradesh, West Bengal, Madras, Gujarat, Punjab, Mysore and Maharashtra have accepted it in principle. There is no doubt that the progress has been very slow so far.

I want to give some figures for the information of the Hon Member. 425 books have been selected in all. 16 books have been published, 33 books are in press, 14 books are ready to be sent to press, 102 books are at different stages and 249 books are being translated.

Shri Vishwa Nath Pandey : I want to know whether University Grants Commission was consulted in this connection, if so what suggestions have been made by them to accelerate the rate of progress ?

Shri Bhakt Darshan : When the selection for these books was made, Dr. Kothari, Chairman of the University Grants Commission was the Chairman of this Commission. We have their complete co-operation in this matter.

श्री मुथिया : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये कुछ वित्तीय सहायता दे रही है, यदि हां, तो कितनी सहायता दे रही है ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां। इस योजना के अनुसार उन पुस्तकों के अनुवाद के लिये जो केन्द्रीय सूची में हैं, सम्बन्धित राज्यों अथवा विश्वविद्यालयों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है, और यदि पुस्तकों का चयन राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय ने स्वयं किया हो तो 50 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In the books and dictionaries which are being prepared in regional languages, whether care is being taken to see that the words selected for them should bear resemblance to Hindi words.

Shri Bhakt Darshan : Yes sir. The dictionary that is being prepared is mainly meant for Hindi-speaking people but the State Government's will roughly absorb 80% of the words.

श्री दाजी : क्योंकि हिन्दी राजभाषा बनने वाली है क्या सरकार इस ओर कोई प्रयत्न कर रही है कि कम से कम हिन्दी-भाषी राज्य हिन्दी में एक ऐसी समान शब्दावली बनायें जो सरल हो और न कि इतनी कठिन कि श्री अन्सार हरवानी, संसद्-सदस्य, जो हिन्दी-भाषी क्षेत्र में पैदा हुये और पले, इसे न समझ सकें। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि इंजीनियर शब्द के हिन्दी पर्याय को वे नहीं समझ सके।

श्री भक्त दर्शन : जैसा कि मैंने एक पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि वैज्ञानिक और प्रविधिक शब्दावली पर स्थायी आयोग को ऐसी शब्दावली बनाने का कार्य सौंपा गया है जो हिन्दी-भाषी क्षेत्रों की स्थिति के अनुकूल हो, परन्तु अन्य राज्य इसमें कुछ हेर फेर करके स्वीकार कर लेंगे।

Allotmcnt of Houses in Abohar

+

*776. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri U.M. Trivedi :
Shri Bade :
Shri Mate :
Shri Sinhasan Singh :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sheo Narain :
Shri D.D. Mantri :
Shri D.S. Patil :
Shri P.H. Bheel :
Shri Sham Lal Saraf :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Y.D. Singh :
Shri Lahri Singh :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that allotment of houses in Abohar, Punjab in which 400 refugee families had been residing so far, has been cancelled by Government;

(b) whether it is also a fact that those houses have been rented to some other persons ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (Dr. M.M. Das) : (a) Allotment of houses in Basties Jammu & Sukhera (Abohar) district Ferozepur, Punjab, was cancelled for fresh allotment according to rules.

(b) The evacuee house have been allotted to rural land allottees as appurtenant to their land allotment.

(c) The previous allotment was wrong and irregular as certain genuine allottees of Abohar were ignored and the houses has been allotted to allottees of other villages and non-claimants who could not be given preference over the land allottees of Abohar.

Shri Hari Vishnu Kamath : The Senior Minister should read it.

Shri Parkash Vir Shastri : According to my information these four hundred families which are being removed are refugees and those to whom these houses are being allotted are also refugees. What is the reason for removing these four hundred families, who are living there for the last 15 years without any alternative accommodation ?

Mr. Speaker : I think he has replied that they were removed because those people had been allotted land. We have passed a law that an allottee of land cannot get a house in a city and they will get a house only in the village where they have been allotted land. These particular families had lands in the villages, therefore they could only get a house in the village and not in a city.

डा० म० मो० दास : उन परिवारों में से कई परिवार शरणार्थी भी नहीं हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : What is the total number of members in these four hundred families who have been the victim of this scheme and whether the Government is thinking of some alternative on human grounds ?

डा० म० मो० दास : मुझे इन परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या के बारे में नहीं पता । परन्तु इनमें से अधिकतर लोगों को वैकल्पिक आवास, जिसके वे अधिकारी थे, दे दिया गया है । उन सदस्यों को भी, जो इसके अधिकारी नहीं थे परन्तु जो इन मकानों में 31 दिसम्बर, 1957 से पहले रह रहे थे सरकारी खर्चे पर वैकल्पिक जगह दे दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या मानवता के नाते उनको कुछ सहायता नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गांव में एकड़ का केवल चौथाई भाग मिला हुआ है और वे इस भूमि पर निर्वाह नहीं कर सकते और यदि उनको वहां रहना पड़े तो उनके लिये निर्वाह करना कठिन हो जायेगा ।

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : About 223 families are entitled to house but not here. Only those families will be allotted houses here who have been allotted land near this colony. Punjab Government is trying to provide them with alternative accommodation, as desired by Shri Prakash Vir Shastri. Some have already been provided.

श्री इकबाल सिंह : मुख्य प्रश्न यह है कि यह 400 परिवार शरणार्थी हैं कि नहीं जिनको शरणार्थी होने के नाते भूमि दी गई है ? क्या सरकार उनको वैकल्पिक स्थान देने पर विचार कर रही है अथवा नहीं ?

श्री त्यागी : इस मामले में यह कठिनाई इसलिये उत्पन्न हुई, क्योंकि इन लोगों ने एक गलत आवेदन पत्र दिया कि जिस गांव में इनको भूमि दी गई है वहां मकानों का अभाव है, और क्योंकि इस गांव में एक हजार मकान हैं इसलिये उन्हें यहीं मकान दिये जायें । पंजाब सरकार के अधिकारियों तथा स्थानीय अधिकारियों ने किसी प्रकार, नियमों के विरुद्ध उनको यहां मकान दे दिये, क्योंकि अन्य गांव वालों को यहां मकान नहीं दिये जाते ।

जब यह आवंटन का मामला न्यायालय में गया, तो यह पता चला कि बजाय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के मूल्यांकन भी उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने अपने नाम यहां बड़े-बड़े भवन लिखवा लिये थे । न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इन लोगों को इस गांव में मकान नहीं मिल सकते । पंजाब सरकार उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है ।

Shri Gauri Shankar Kakkar : What is the reason for removing these families all of a sudden without providing them with alternative accommodation when they have been in irregular occupation of these houses for the last 15 years.

Mr. Speaker : This has already been replied to.

Shri Tyagi : It has been carried out according to the decision of the Court. This delay of 15 years has occurred because these people managed to obtain stay order from the High Court and the Government cannot do anything during the pendency of the stay order.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Does the Government know as to many of these four hundred families have sold the land allotted to them in the villages and want to settle in the cities.

Shri Tyagi : 223 families are entitled to retain both the land and houses. The Punjab Government is making arrangements for them.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I want to know the number of those families who have sold their lands.

Shri Tyagi : I would request the Hon. Member to give a separate notice of question for this.

हेमाईसिन

+

*777. { **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 25 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से "हेमाईसिन" का वाणिज्यिक उपयोग करने के बारे में सरकार की बातचीत समाप्त हो गई है ;

(ख) क्या किसी समवाय के साथ करार पर भी हस्ताक्षर हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विदेशी फर्मों के साथ बातचीत जारी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते हैं ।

श्री रंगा : यह वस्तु क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह डाक्टरों के लिये है ।

डा० चन्द्रभान सिंह : यह बातचीत कहां तक पहुंच गई है ?

श्री अलगेशन : इस औषधि को विदेशी फर्मों को भेजा गया है, विशेषतया एक अमरीकी फर्म को । उन्होंने इस पर बहुत से परीक्षण किये हैं और परिणाम बहुत उत्साहवर्धक सिद्ध हुये हैं । यह सम्भव कि हम उनसे समझौता करके इस औषधि को मार्केट में भेज देंगे ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार अब भी यह दावा करती है कि इससे सिरकी खौंस दूर हो जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): यदि माननीय सदस्य परीक्षण करना चाहते हैं तो हम उन्हें हर प्रकार की सुविधा देंगे ।

श्री कपूर सिंह : दावा सरकारी तौर से किया गया था। यह दावा गलत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब भी सरकार का यह दावा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने यह दावा किया था कि इससे सिर की खौंस ठीक हो जाती है ?

श्री अलगेशन : यह तो नहीं किया गया था। यह शिशुकण्ठ रोग को दूर करने के लिये है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने यह दावा नहीं किया।

श्री कपूर सिंह : विदेशों में जो साहित्य उन्होंने भेजा था उनमें यह दावा किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु अब वे वह दावा नहीं कर रहे हैं . . . .

श्री कपूर सिंह : क्या हम विदेशियों को भ्रम में डालना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दिल्ली के स्कूलों में छात्र सैनिकों का प्रशिक्षण

*779. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अनेक सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल छात्र सैनिकों (सेना विंग) को शिक्षा देने के लिये प्रशिक्षित कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कमीशन प्राप्त अधिकारियों को प्रायः ऐसे स्कलों में तैनात किया जाता है जहां राष्ट्रीय छात्र सेना देल का कोई छात्र सैनिक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति को किस प्रकार सुधारने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इन नये अध्यापकों, कमीशन प्राप्त प्रशिक्षित अधिकारियों के प्रशिक्षण पर एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है परन्तु इन व्यक्तियों को उन स्कूलों में तैनात नहीं किया जा रहा है जहां पर राष्ट्रीय छात्र सेना दल के छात्र सैनिकों को प्रशिक्षण लेने के लिये भेजा जाता है ?

श्री मु० क० चागला : ये अध्यापकगण केवल मात्र राष्ट्रीय छात्र सेना दल के अध्यापक ही नहीं हैं क्योंकि ये केवल राष्ट्रीय छात्र सेना दल के छात्र सैनिकों को प्रशिक्षण ही नहीं देते; ये साधारण प्रशिक्षण पाने वाले साधारण अध्यापक ही होते हैं; राष्ट्रीय छात्र सेना दल का कार्य करने के लिये इनको 250 रुपये विशेष भत्ता मिलता है। यदि इनको पदोन्नति मिलती है तो इनको किसी दूसरे स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया जाता है और राष्ट्रीय छात्र सेना दल का कोई दूसरा प्रशिक्षित व्यक्ति उस स्थान पर लाना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा नहीं होता और थोड़ा समय व्यवधान आ जाता है और परिणाम यह होता है कि कुछ दिनों या कुछ सप्ताह के लिये स्थान रिक्त रहता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं विशेषरूप से यह जान सकता हूं कि दिल्ली क्षेत्र में अनेकों ऐसे स्कूल हैं जहां पर छात्र सैनिक तो हैं परन्तु वहां इस प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा मैंने बताया है कि मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली प्रशासन सभी स्कूलों में अध्यापक हैं। कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जिनमें थोड़े दिनों या थोड़े सप्ताह के लिये कुछ अध्यापक उपलब्ध नहीं हुए हों।

Kairon Murder Case

\+

*781. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S.M. Banerjee :
Shri Daji :
Shri P. C. Barooah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the alleged assassins of Sardar Partap Singh Kairon and his companions have been arrested ;

(b) if so, whether some more clues have been collected from them; and

(c) the nature of assistance given by the Central Government in arresting the assassins ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Two persons suspected to be involved in the crime have been arrested so far.

(b) Yes, Sir but it is not in public interest to disclose this.

(c) In addition to help being given by Delhi Police, the Central Government have rendered assistance by instructing the D.I.B. to keep in constant touch with the investigation, give necessary guidance and advice and ensure coordination of the efforts of the various State police forces. Services of experts from the Forensic Science Laboratory, Calcutta, have also been made available for technical advice.

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the manner in which the Indian Police arrested Sucha Singh, the prime suspect of Kairon's murder by endangering their lives, I would like to know the hurdles in his extradition from Nepal and as such we have not been able to get him back on account thereof.

श्री हाथी : जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश में गिरफ्तार किया जाता है तो प्रत्यर्पण कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है और जब तक वह देश इस बात से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो जाता कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया वाद नहीं है वह उसको वापस नहीं देते। अतएव प्रत्यर्पण कार्यवाही पूरी करनी पड़ेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : As to the charges against the criminals, the Government of India have communicated the information on Centre and State levels. Is there any political reason for which he has not been surrendered ?

Shri Hathi : There is no political motive behind it, but as I have already told that it required extradition proceedings. Until these proceedings are completed, there will be no outome.

Shri Surendranath Dwivedy : Have you taken up the extradition proceedings ?

Shri Bagri : I want to raise a point of order.

The Hon. Minister has stated in this House that the Indian Police arrested the accused persons in Nepal by endangering themselves and on the other hand the Nepalese Government have given a statement that there is no arrest had taken place. Thus the Central Government have given a wrong statement. Are these two statements not centradictory to each other ? It creates confusion and the true facts are not brought before the House.

Mr. Speaker : What decision I can give thereon ?

मैंने इस विषय पर अनेकों सूचनाएं प्राप्त की हैं । यदि सभा चाहे तो इसके लिए पांच मिनट और दे सकता हूं ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि नेपाल में चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही के सिलसिले में, हमने यह उल्लेख किया है कि दूसरे मामलों से सम्बन्ध होने के कारण सूचा सिंह की मांग है और उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कैरों की हत्या के सम्बन्ध में उनकी मांग है ?

श्री हाथी : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । ये गिरफ्तारियां वास्तव में भारत में की गई हैं । जब कोई गिरफ्तारी अपने देश से बाहर की जाती है तो ऐसी गिरफ्तारी वैध रूप में हमारे द्वारा नहीं की जाती बल्कि वह हमारी प्रार्थना पर दूसरे देश द्वारा की जाती है । यहां मैंने जिन दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया हैं उनमें सूचा सिंह सम्मिलित नहीं है । (**अन्तर्बाधा**) इसलिये चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही पिछले मामले के सम्बन्ध में है ।

श्री इकबाल सिंह : प्रेस को जानबूझ कर इच्छा से इस बारे में किसी भांति की कहानियां भेजी जा रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कहानियां पुलिस के व्यक्तियों अथवा पुलिस अधिकारियों द्वारा दी जा रहीं हैं क्योंकि प्रेस को पुलिस प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी सूचना नहीं दे सकता । एक ओर तो यह हो रहा है और दूसरी ओर जबकि पूछताछ चल रही है जानबूझ कर भिन्न प्रकार की जानकारी दी जा रही हैं जिससे सचाई सामने न आ सके । केन्द्रीय सरकार द्वारा और उनके द्वारा भी जिनका इस जांच में साहचर्य है क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे सचाई मालूम हो सके ।

श्री हाथी : जहां तक प्रेस में प्राप्त वक्तव्यों और रिपोर्टों का सम्बन्ध है, पंजाब सरकार ने तथा हमने भी अपील की है कि वक्तव्य न दिये जायें जिससे इस मामले के न्यायाधीश या जांच की कार्यवाही में बाधा उपस्थित हो । माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि अनेक वक्तव्य दिये जाते हैं जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अनावश्यक ही भ्रम में पड़ जाता है । ऐसे वक्तव्य नहीं दिये जाने चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह : इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि नेपाल तथा भारत के बीच कोई प्रत्यर्पण सम्बन्धी संधि नहीं हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब किन आधारों पर प्रत्यर्पण कार्यवाही चल रही है ?

श्री हाथी : मेरे विचार से प्रत्यर्पण सम्बन्धी एक संधि है । हमें नेपाल सरकार तथा अपने राजदूत से ज्ञात हुआ है कि प्रत्यर्पण कार्यवाही की जायेगी और इसलिए, किसी संधि के न होने का प्रश्न ही नहीं है । (**अन्तर्बाधा**)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that the persons who have been arrested in this case, are the true culprits ? Earlier it was reported by the Press that some politicians were behind this incident and they were not being arrested because of some pressure and it was got done by gratifying with the payment of forty thousand rupees. May I also know the amount spent by Government in this case ?

Shri Hathi : I cannot say whether these persons are the real culprits or not. We have only stated in the answer that we suspect like that. It is difficult to say whether they are the real culprits, until the Courts gives its judgement thereon.

So far as the expenditure is concerned, the Punjab Government have incurred the expenditure thereon and I have no statstics thereof.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had asked whether some politicians were involved therein.

Mr. Speaker : This case is being brought before the Court and hence you should not ask for such information.

श्रीमती यशोदा रेड्डी : जब कि इस प्रश्न पर कि क्या कोई व्यक्ति वास्तव में दोषी है अथवा नहीं, न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना है तथा इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि अपराधियों का पता लगाने का प्रयत्न करके पुलिस अधिकारी ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि प्रेस रिपोर्टें सही हैं तो किस कारणवश पुलिस अधिकारी का एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्वागत किया गया और गृह-कार्य मंत्री ने उनसे एक विशेष भेंट की आदि ।

श्री हाथी : क्या माननीय सदस्या इस को दुहरा सकती हैं ?

श्रीमती यशोदा रेड्डी: प्रेस रिपोर्टें ये हैं पुलिस के उपमहानिरीक्षक का एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्वागत किया गया और गृह-कार्य मंत्री ने उनसे एक विशेष भेंट की । मुझे नहीं मालूम कि क्या ये प्रेस रिपोर्टें सही हैं या नहीं ।

श्री हाथी : मेरे विचार से कोई स्वागत या ऐसी कोई बात नहीं हुई थी । वह गृह-कार्य मंत्री से मिलने आये थे और उनसे मिले ।

श्री ही० ना० मुकर्जी: शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी नेपाल के साथ प्रत्यर्पण सम्बन्धी संधि है . . .

एक माननीय सदस्य : हमारी संधि नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि उसके साथ प्रत्यर्पण सम्बन्धी हमारी संधि नहीं है तो हम उसके लिये नहीं मांग सकते ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई संधि नहीं है ; कुछ सदस्यों का कहना है कि केवल एक संधि है । मुझे ज्ञात नहीं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह शब्दों का मामला है । इस बात को देखते हुए कि चूंकि हमारी पुलिस ने संदेहपूर्ण एक व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास में नेपाल राज्यक्षेत्र में प्रवेश किया, मैं यह जान सकता हूं कि क्या नेपाल सरकार को इसकी पूर्व सूचना दी गई थी जिससे इस मामले की कार्यवाही में वह सरकार प्रतिकूल दृष्टिकोण न अपनाये ।

श्री हाथी : कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी । वे लोग उत्तर प्रदेश से होकर नेपाल में प्रविष्ट हुए थे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उत्तर से यह पता चलता है कि सूचा सिंह के विरुद्ध प्रत्यर्पण सम्बन्धी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है । किस कारण से अभी तक यह कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है और उन दो व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है जिनका उल्लेख उन्होंने किया था . . . ?

अध्यक्ष महोदय : वे दोनों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं । उनके मामले में प्रत्यर्पण का कोई प्रश्न नहीं होता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सूचत्या सिंह के बारे में क्या उन्होंने प्रर्पण सम्बन्धी कोई कार्यवाही अभी तक आरम्भ की है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके लिये आवेदन किया है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उस सरकार पर है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह हमें यहीं आरम्भ कर देनी चाहिये । जब तक हम प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं कर लेते वह सरकार उसको नहीं सौंपेगी ।

श्री हाथी : मेरे जानकारी के अनुसार तो कोई विलम्ब नहीं है परन्तु प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही को जा रही है । जहां तक संधि का सम्बन्ध है उनके साथ प्रत्यर्पण सम्बन्धी हमारी एक संधि है ।

Shri Bagri : Will the hon. Minister state whether the Central Government is deeply concerned with this question since our Prime Minister had welcome Shri Ashwini Kumar inspite of the fact that Government had to ask the other Government for pardon for the violation of its rules by Shri Ashwini Kumar and other Policemen after their release from Nepal ? What is the secret behind it ?

Mr. Speaker : This does not require any reply. He is asking about the reasons for which Shri Ashwini Kumar was given a reception.

Shri Bagri : Ashwini Kumar is an officer in Punjab Police. He went into the Nepal State to arrest these persons and Shri Nanda and the Prime Minister gave him a reception as if he had returned after having done a great deed and just next day Government had to ask the Neapal Government for pardon. This creates confusion in the country. What was the reason for according him a reception ?

Shri Hathi : Shri Nanda did not give any reception.

श्री हेम बरुआ : क्या सूचा सिंह की नेपाल में गिरफ्तारी के बारे में पुलिस अधिकारी, पंजाब पुलिस के उप-महानिरीक्षक, द्वारा दिल्ली में दिये गये वक्तव्य की ओर तथा उसके

प्रति नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो हमारी सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है या क्या विशेष कदम उठाने का विचार है जिससे कि नेपाल जैसे मित्र देश से हमारे संबंध न बिगड़ें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस जांच को करने वाले पुलिस अधिकारियों तथा दूसरे लोगों से हमने दो कारणों से इस बात पर जोर दिया है कि वे कोई वक्तव्य न दें, पहला कारण है कि इससे जांच पर तथा अंतिम न्यायिक परीक्षण पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और दूसरे ऐसा कोई कथन जिससे नेपाल से अत्यन्त अच्छे संबंध बिगड़ें या उनके बने रहने में बाधा उत्पन्न करें, नहीं देना चाहिये । मुझे आशा है कि सम्बद्ध अधिकारी इस बात का पूर्णतया पालन करेंगे । मैं यह भी कहूंगा कि नेपाल सरकार तथा वहां का प्रशासन बहुत ही सहायक रहा है और हमें उनसे पूरा सहयोग मिल रहा है । सभा में इस कारण से कोई भय नहीं होना चाहिये ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : मंत्री महोदय ने कतिपय विस्तृत बातें सभा के समक्ष बताने से इंकार करके ठीक ही किया है । क्या कारण है कि ये बातें पुलिस अधिकारियों द्वारा खोली जा रही हैं क्योंकि इस मामले से संबंधित लगभग समस्त विस्तृत बातें इस जांच से सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं ? ऐसा क्यों है ?

श्री हाथी : ठीक यही मैंने कहा था । हमने पंजाब सरकार से कहा है कि वह अपने पुलिस अधिकारियों को वक्तव्य न देने के लिये अनुदेश दे । (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त !

श्री हाथी : माननीय सदस्य ने क्या कहा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने श्री विद्यालंकार द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न को सुना ?

श्री हाथी : मैंने तो उन्हें यह कहते सुना कि इन पुलिस अधिकारियों को ये वक्तव्य देने से रोकने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । मेरा उत्तर है कि पंजाब सरकार ने सब पुलिस अधिकारियों को अनुदेश दे दिये हैं कि . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं !

श्री हाथी : मैंने उस आदेश को देखा है । पंजाब के गृह मंत्री ने भी मुझे बताया है कि उन्होंने समस्त पुलिस अधिकारियों को ये वक्तव्य न देने के लिये अनुदेश दे दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या समाचार पत्रों के समक्ष वक्तव्य न देने के लिये पुलिस अधिकारियों को बताने के लिये कोई नये अनुदेश आवश्यक थे ? सामान्य रूप से उनसे ऐसे वक्तव्य देने की आशा नहीं की जाती है ।

श्री हाथी : ठीक यही बात है । वक्तव्य देने की पुलिस अधिकारियों से आशा नहीं की जाती है । परन्तु हमने तथा इस सभा ने भी यह देखा कि अनेकों वक्तव्य दिये जा रहे हैं । अतएव उनसे इस बात पर बल देना आवश्यक है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये ।

श्री रंगा : श्रीमन्, यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रश्न आ जाता है, और जैसा कि स्वयं वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा है कि वे नेपाल सरकार से अधिकाधिक संभव सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुये मैंने सोचा कि वह यह कहने वाले थे कि उस सरकार को बिना पहले सूचना दिये हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा नेपाल में जाने के लिये हमने औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है । उन्होंने ऐसा खेद हमारे सामने व्यक्त नहीं किया ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि हमारे राजदूत ने उचित ढंग से स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे सभा को यह बताते हुए हर्ष है कि नेपाल सरकार ने परिस्थितियों की प्रशंसा की है । मुझे आशा है कि इसमें भ्रम के लिये कोई स्थान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने की सूचना को लें ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । हम इस बात के लिये कृतज्ञ हैं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर अनेकों अनुपूरक प्रश्नों को बारह बजे अर्थात् मध्यांन्ह पश्चात् भी आपने अनुमति दी । परन्तु यदि मैंने ठीक सुना है तो आपने कहा था कि इस मामले के बारे में अनेकों ध्यान दिलाने की सूचनायें होने के कारण आप अनुपूरक प्रश्नों को स्वीकार करेंगे । मुझे नहीं मालूम कि दूसरे माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाने की सूचनायें दी हैं या नहीं परन्तु मैंने ध्यान दिलाने की एक सूचना दी है परन्तु मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देना अस्वीकृत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ये सब सूचनायें अस्वीकार कर दी हैं । अतएव मैंने इस विषय पर प्रश्न स्वीकार कर लिये । यह वक्तव्य ध्यान दिलाने की किसी सूचना के उत्तर में नहीं दिया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्योंकि हमने ध्यान दिलाने की सूचनायें दी थी। इसलिये आपने कहा कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अतएव, मैंने प्रश्नकाल के पश्चात् भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा विचार था कि आप उन्हीं को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे जिन्होंने ध्यान दिलाने की सूचनायें दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह अभिप्राय न था ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु समझा यही जाता है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, kindly allow me to put a supplementary.

Mr. Speaker : Now I have gone farther and cannot be back.

Shri Madhu Limaye : I should also be allowed to put a supplementary while he has been given an opportunity to do so.

Mr. Speaker : No. Shri Kachhavaiya.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को ऋण

*778. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव किया है कि वह पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आये व्यक्तियों से वसूल न हुए ऋणों के कारण हुई हानि में हिस्सा बटायें ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य से इसी प्रकार के अन्य प्रस्ताव भी किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : शिक्षा तथा चिकित्सा संस्थाओं के अनुदान को छोड़ कर, पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में बहुत सी पुनर्वास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को ऋण के रूप में दी जाती हैं । आरंभ में विस्थापित व्यक्तियों को पुनः दिये गये ऋण की वसूली में जो असली हानि हुई है उस हानि में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के भाग का अनुपात 50 प्रतिशत था । इसके बाद जो विस्थापित व्यक्ति 1 जनवरी, 1950 या उसके बाद आये हैं उनके पुनर्वास के लिये दिये गये ऋण की वसूली की पूर्ण हानि उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सहमति दे दी थी । द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों को समक्ष रखते हुए 24 फरवरी, 1958 को इस सम्बन्ध में भी आदेश जारी कर दिये गये थे कि 1 अप्रैल, 1957 से सब प्रकार के ऋण की वसूली की हानि केन्द्रीय सरकार उठायेगी चाहे वह उन विस्थापितों के सम्बन्ध में हो जो 1 जनवरी, 1950 से पहले या बाद में आये हों । वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ--15(1)—बी/58, दिनांक 24-2-1958 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 24, फरवरी, 1958 के आदेश, जो ऋण राज्य सरकारों को पुनः ऋण देने के लिये विभाजन के बाद मार्च, 1958 के अंत तक दिये गये थे उन के लिये लागू होते हैं। जो ऋण 1 अप्रैल, 1958 के बाद दिये गये थे उनके बारे में सामान्य नियम ही लागू होंगे । इसका यह अभिप्राय हुआ कि राज्य सरकारों को पूर्ण ऋण उठाना होगा ।

2. वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ—15(1)—बी/58, दिनांक 15-9-1959 में कही गई स्थिति अब तक लागू होती है । तथापि आगे जो इस बारे में राज्य सरकारों को अर्जियां प्राप्त हुई थीं, जहां तक 31 मार्च, 1964 तक की अवधि का प्रश्न है, उदार मात्रा में कुछ कर्जों के बारे में जो 50 करोड़ की राशि से कम न हों, छूट दे दी गई है । इस अवधि तक पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को दिये गये ऋण के नुकसान के बारे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी न होगी ।

3. 1 अप्रैल, 1964 के बाद पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को अपने ऋण देने की शर्तों के बारे में चर्चा चल रही है ।

ऊंचे स्थानों में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण

*780. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1968 में मेक्सिको आलम्पिक की तैयारी के हेतु भारतीय खिलाड़ियों को ऊंचे स्थानों पर प्रशिक्षण देने के लिये कोई प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : भारतीय आलम्पिक संस्था और अन्य राष्ट्रीय खेल संघों से जब कभी भी सरकार को आवश्यक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होंगे, वह उन पर समुचित विचार करेगी ।

तेल की खोज सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए रूसी सहयोग

*782. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने भारत की तेल शोधन क्षमता बढ़ाने तथा तेल की खोज संबंधी अपने कार्यक्रम का विस्तार करने में रूस के अधिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने तेल के अतिरिक्त अन्य खनिजों की भूतत्वीय खोज के लिये भारत-रूस सहयोग की गुंजाइश के बारे में और विचार किया है ; और

(ग) क्या गंगा की घाटी में तेल का पता लगाने के उद्देश्य से कुएं खोदने के लिये कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना में सहायता के लिए रूसी अधिकारियों के साथ सामान्य रूप से बातचीत हो रही है और यह विषय अभी विचार-विनिमय की प्रारम्भिक स्थिति में है ।

(ख) और (ग). जी हां ।

Barauni Oil Refinery Pipe-Line

*783 **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kapur Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently some erosion has taken place in Barauni oil refinery pipe-line region; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) and (b) Yes, Sir. Oil India Limited is taking steps, to divert the pipeline where necessary and to build spurs on the eroded portion of the river bank.

गंधक के तेजाब का कारखाना

*784. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रासयन** मंत्री 25 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 493 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापनी फर्म द्वारा गन्धक के तेजाब कारखाने के लिये मशीनें दिये जाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा ;

(ग) क्या इस कारखाने के लिये स्थानों की जांच की जा रही है ; और

(घ) इस कारखाने पर कितनी लागत आयेगी और इसकी क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मैसर्ज गुजरात स्टेट फर्टीलाईज़र कम्पनी लि० ने अपनी उर्वरक परियोजना के लिए एक गंधक के तेजाब के संयंत्र की सप्लाई के लिए मैसर्ज हितैषी शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि० जापान को आर्डर दिये हैं । जापान में उपकरण का निर्माण हो रहा है और लगभग $2\frac{1}{2}$ साल में संयंत्र के निर्माण कार्य के पूरे होने की आशा है ।

(ख) परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में होगी ।

(ग) बड़ौदा में स्थान होगा ।

(घ) संयन्त्र की लागत लगभग 1 करोड़ रुपये है और गंधक अम्ल की उत्पादन क्षमता प्रति दिन 470 मीटरी टन होगी ।

पिलानी में टेलीविजन निर्माण एकक

*785. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, पिलानी में टेलीविजन बनाने वाले एक अग्रिम एकक का हाल ही में उद्घाटन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस एकक की स्थापना पर कितना व्यय हुआ है तथा उसकी निर्माण क्षमता क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 17 मार्च, 1965 को टेलीविजन रिसीवरों और दूसरी इलैक्ट्रानिक सामग्री के लिए एक बैच प्रोडक्शन यूनिट (समूह निर्माण एकक) का उद्घाटन किया गया था ।

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि हर तीसरे महीने टैलीविजन रिसीवर बनाने की क्षमता 250 सेट तक पहुंच जाएगी । वर्ष के अन्त तक पूंजीगत लागत 4 लाख रुपए होने का अनुमान है ।

Indian Institute of Technology, Bombay

*786 **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Indian Institute of Technology, Pawai, Bombay, has its annual examinations; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) To meet the situation arising out of the strike of the mess employees of the Halls of Residence with effect from the 2nd March, 1965 the Institute decided to postpone the examinations and to close for vacation with effect from the 8th March, 1965 earlier than the normal schedule.

Damage in Badrinath by Avalanche

*787. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the holy city of Badrinath has been damaged by an avalanche;

(b) if so, the estimate of the loss of life and property sustained in the said city ; and

(c) the steps being taken to rehabilitate it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes.

(b) and (c) No loss of life has been reported. It has not been possible to estimate the extent of damage to property or to undertake rehabilitation postponed measures as Badrinath is still under heavy' snow.

विज्ञान में भारत का योगदान

*788. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान तथा औद्योगिकी में भारत के योगदान का इतिहास तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या भारतीय विज्ञान तथा औद्योगिकी संबंधी साहित्य की ग्रंथ-सूची तैयार करने के लिये एक विशेष निकाय नियुक्त किया गया है ; और

(ग) विज्ञान इतिहासकारों की विशेष पदाली बनाने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के तत्वावधान में भारतीय विज्ञान का इतिहास तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है ।

(ख) आयोग ने प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल से संबंधित आवश्यक सामग्री तैयार करने की योजना बनाने के लिए तीन समितियां नियुक्त की है ।

(ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार की गई अनुसंधान यूनिटों की स्थापना के लिए बनाई गई योजना में विज्ञान-इतिहासवेत्ता तथा वैज्ञानिक होंगे । आयोग के अनुसार इन यूनिटों के शोध कार्मिक प्रारंभ में विज्ञान–इतिहासवेत्ताओं के संवर्ग की स्थापना करेंगे ।

माध्यमिक शिक्षा

*789. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने की दृष्टि से माध्यमिक अथवा भारत में अब भी कहीं होने वाली सीनियर केम्ब्रिज की परीक्षायें और समकक्ष परीक्षाओं के समस्त पाठ्यक्रमों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के स्तर के अनुरूप करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) माध्यमिक स्तर पर इस प्रकार की एकरूपता लाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Film on Kathak Dance

1999. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sangeet Natak Akademi has signed an agreement with some producer for the production of a film on Kathak Dance ;

(b) if so, when and with whom the agreement was signed and its terms;

(c) the amount paid to the producer and the date on which paid; and

(d) when the film was completed and if not the action taken so far against the producer ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri R. M. Hajarnavis) : (a) and (b) Yes, Sir. The agreement was signed on April 23, 1958 with Shri Rajbans Krishen Khanna, Proprietor, Nav-Umang Films

of Bombay. A copy of the agreement is laid on the table of the House. (Placed in *Library, See No. L.T. 4151/65*)

(c) (i) Rs. 20,000 in April, 1958

(ii) Rs. 20,000 on June 15, 1961, and

(iii) Rs. 20,000 on March 13, 1962.

(d) As the film has not been completed, the Akademi has filed a civil suit against Shri Khanna for the recovery of the amount advanced to him together with interest thereon.

Archaeological Excavations in Vaishali

2000. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any plan has been formulated for conducting further excavations in Vaishali from the archaeological point of view;

(b) if so, whether the 'Samadhi' of Miraji is also included in it; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Hindustani Akademi, Allahabad

2001 { **Shri K. C. Pant** :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustani Akademi, Allahabad had taken a grant of Rs. 30,000 in January 1962 by giving wrong information that they prossessed land for the construction of a building;

(b) whether it is also a fact that there was no land with the Akademi up to February, 1963;

(c) if so, the steps taken to recover the amount from the Akademi during this period; and

(d) whether the society had purchased land up to January, 1965 and if so, whether they have started the construction of the building ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) to (d) On the recommendation of the State Government the Hindustani Akademi was given a grant of Rs. 30,000/- in 1962 for construction of a building. But as the plan of the building has yet to be finalised and the money has not been utilised, they have been asked to refund the money to Government.

जलगोरा में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था

2002. **श्री कृ० चं० पन्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार की व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा देने के लिए 1960–61 से 1964–65 तक केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, जलगोरा को कोई अनुदान दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितनी राशि दी गई तथा क्या उसका सन्तोषजनक उपयोग किया गया था ;

(ग) इस मद के अन्तर्गत किन-किन अन्य संस्थाओं ने कब-कब और कितना-कितना अनुदान प्राप्त किया ;

(घ) क्या कोई जांच पड़ताल की गई है कि ये अनुदान उपयोग में लाये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जलगोरा में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान को 1960–61 से 1964–65 तक, संस्थान में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को अधिछात्रवृत्तियां देने के लिए रकमें दी गई थीं ।

इस योजना के अन्तर्गत, संस्थाओं को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

(ख) 1960–61 से 1964–65 तक संस्थान को दी गई रकमें इस प्रकार हैं ।

वर्ष	दी गई रकम	बांटी गई रकम	लौटाई गई रकम
1960–61 .	2,351.62	2,171.89	179.73
1961–62 .	3,236.45	2,684.84	551.61
1962–63 .	6,188.38	5,641.45	546.93
1963–64 .	8,994.57	7,937.42	1,057.15
1964–65 .	9,920.96	अन्तिम सूचना नहीं मिली है	

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सभी वर्षों में रकमों का समुचित रूप से उपयोग किया गया है ।

(ग) से (ङ) तक : मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय और खनन में व्यावहारिक प्रशिक्षण निदेशालय, धनबाद से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला गजेटियर

2003. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1963–64 में उड़ीसा राज्य सरकार को जिला गजेटियर का संकलन करने तथा छापने के लिए कितनी राशि का अनुदान दिया ; और

(ख) 1964–65 में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) 1963–64 में जिला गजेटियर के संकलन के लिए केन्द्रीय सहायक अनुदान के तौर पर उड़ीसा सरकार को 6 000 रुपया दिया गया था । उक्त वर्ष में कोई जिला गजेटियर नहीं छापा गया । अतः छापने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

(ख) 1964–65 में उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी ।

बिय्यूर, केरल में नजरबन्द व्यक्तियों को भत्ता

2004. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्पेशल सब-जेल, बिय्यूर, केरल में जो नजरबन्द रखे गये हैं उन्हें प्रति दिन कितना अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यह राशि किस वर्ष निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में कहा गया है कि यह भत्ता अपर्याप्त है तथा इस में वृद्धि की जानी चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 800 रुपये प्रति मास । इसके अलावा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नजरबन्दों को, कम से कम एक महीने के अन्तर पर, क्रमशः 20 रुपये और 10 रुपये और प्राप्त करने की इजाजत है । वे इन रुपयों को अथवा अपने निजी धन में से ऐसी ही राशियों को अपने जेल-जीवन में प्राप्त सुविधाओं को बढ़ाने के लिये खर्च कर सकते हैं ।

(ख) 1963 में ।

(ग) और (घ) जी, हां । इस अभ्यावेदन पर विचार किया जायगा ।

स्पेशल सब-जेल, बिय्यूर, केरल में नजरबन्द व्यक्ति

2005. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्पेशल सब-जेल, बिय्यूर, केरल में कितनी महिला नजरबन्दी हैं ;

(ख) क्या उन्हें अलग अलग कोठरियों में रखा जाता है;

(ग) क्या सरकार उन्हें अन्य नजरबन्दियों के साथ खाना खाने की अनुमति देती है;

(घ) क्या सरकार उन्हें अन्य नजरबन्दियों के साथ खेलों तथा बौद्धिक कार्य में भाग लेने की अनुमति देती है ; और

(ङ) क्या यह सुरक्षा बन्दी नियमों के विरुद्ध है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक ।

(ख) उसे महिलाओं के खण्ड में के एक कमरे में रखा गया है ।

(ग) और (घ) उसे पुरुष नजरबन्दियों के साथ खाना खाने की अनुमति नहीं दी गई है और न ही वह उनके साथ खेलों में भाग ले सकती है ।

(ङ) यह प्रबन्ध केरल सरकार के जेल नियमों के अनुसार किया गया है ।

लाला लाजपत राय और पंडित पन्त की मूर्तियां

2006. **श्री राम हरख यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाला लाजपत राय और पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त की मूर्तियां निकट भविष्य में संसद् भवन, नई दिल्ली के आस पास लगाई जानी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूर्तियां किस किस स्थान पर लगाई जायेंगी ; और

(ग) ये मूर्तियां कब तक तैयार हो जाएंगी और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) लाला लाजपत राय की मूर्ति संसद मार्ग के चौराहे पर संसद भवन के पास लगाने का प्रस्ताव है, और श्री गोविन्द बल्लभ पंत की चैल्म्सफोर्ड क्लब के कोने पर रायसीना रोड और रेड क्रास रोड के चौहाहे पर । ज्योंही प्रस्ताव पेश करने वाली संस्थाओं द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जायंगी, त्योंही ये मूर्तियां स्थापित कर दी जायंगी । इन मूर्तियों को लगाने का सारा व्यय वे गैर-सरकारी संस्थाएं करेंगी जिन्होंने प्रस्ताव रखे हैं । इसलिये सरकार इन पर आने वाली लागत के बारे में सूचना देने की स्थिति में नहीं है ।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

2007. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री राज्यवार जन संख्या तथा स्वतंत्रता के बाद अब तक विभिन्न राज्यों से भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किये गये पदाधिकारियों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : राज्यवार जन संख्या तथा स्वतंत्रता के बाद अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा

तथा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त अधिकारियों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4152/65]**

दिल्ली में रिक्त प्लाट

2008. **श्री राम हरख यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में रिक्त प्लाटों पर मकान बनाने के समय-सीमा नियम में ढील दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ढील का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं । जैसा कि श्री नवल प्रभाकर द्वारा 23-12-64 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1744 के उत्तर में बताया गया था, रिक्त प्लाटों का अधिग्रहण करने के लिये भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना तो केवल उन प्लाटों पर ही लागू होगी जिनके मालिक न तो आवश्यक वचन ही देंगे और न ही निर्माण कराने में अपनी असमर्थता का पर्याप्त कारण बता सकेंगे । दिल्ली प्रशासन ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खास खास मामलों की प्रामाणिकता पर ध्यान देगा ।

भोपाल में राष्ट्रीय लेखागार शाखा

2009. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल में राष्ट्रीय लेखागार की प्रादेशिक शाखा बन्द करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ईरानी अध्यापकों का प्रतिनिधि मंडल

2010. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की प्रार्थना पर ईरानी अध्यापकों का प्रतिनिधि मंडल भारत आया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल किस उद्देश्य से भारत आया है ; और

(ग) प्रतिनिधि मण्डल का सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां । प्रतिनिधि मंडल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निमंत्रण पर 21 मार्च, 1965 को भारत पहुंचा था ।

(ख) और (ग) प्रतिनिधि मंडल शैक्षिक तथा सद्भावना मिशन था और प्रतिष्ठित शिक्षा विशारदों से भेंट, विश्व विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के दौरे इसके कार्यक्रम में शामिल थे ।

Junior Technical School in Bastar

2011. **Shri Lakhmu Bhawani** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether any scheme to open a junior technical school in the district of Bastar is under consideration of Government ?

(*b*) if so, the place where it would be opened and when it would start functioning; and

(*c*) the expenditure to be involved on setting up this institute ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (*a*) Madhya Pradesh Government have already sanctioned the scheme to start a Junior Technical School in the district of Bastar.

(*b*) It is expected that the School will start functioning at Jagdalpur from 1965-66 Session.

(*c*) Non-recurring :

	Rs.
Buildings and equipment . . .	7,84,400
Hostels	2,50,000
Recurring :	1,31,000 annually.

कालका जी में विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि

2012. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री दिल्ली की कालका जी कालोनी में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भमि के बारे में 9 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामले को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ; और

(ख) देरी होने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) आशा की जाती है कि अर्जियां और पट्टेनामे के फार्मों को बहुत थोड़े समय में ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

(ख) विभिन्न प्लाटों की श्रेणियों के खाके, संख्या तथा उनके आकार आदि अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ सलाह कर के मामले की जांच की जा रही है ।

Booklet "India, Nepali Congress and King Mahendra"

2013. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government have proscribed the booklet entitled "India, Nepali Congress and King Mahendra";

(*b*) if so, whether some anti-Indian material has been published therein; and

(*c*) if so, what and the action taken against the writer ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) and (*c*) No anti-Indian material was published in the booklet and no action was taken against the writer.

मिजो की पहाड़ियों में बर्मी जासूसों की गिरफ्तारी

2014. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1964 में मिजों की पहाड़ियों में चिमपाई स्थान पर दो कथित बर्मी जासूस गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) उन्हें उनकी किन गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) क्या उनके पास से कोई दस्तावेज भी मिले थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : इस सूचना को सदन में जाहिर करना जन-हित की दृष्टि से ठीक न होगा ।

केरल इमारत पट्टा तथा किराया नियंत्रण अधिनियम

2015. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री केरल राज्य में केरल इमारत पट्टा तथा किराया नियंत्रण अधिनियम के बारे में 9 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1146 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : केरल इमारत (पट्टा तथा किराया नियंत्रण) अधिनियम 1959 की अवधि 31–3–1965 को समाप्त हो गई । ऐसा विचार है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति को, केरल विधान मंडल की, कानून बनाने की शक्ति दे दिये जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के अधि- नियम के रूप में स्वीकार कर लिया जाय । अधिनियम में संशोधनों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा ।

राजनैतिक बन्दी

2016. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न जनान्दोलनों के संबंध में गिरफ्तार किये गये कुछ राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को राजनैतिक बन्दी नहीं माना गया ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) राजनैतिक बन्दी की परिभाषा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) ज्यादहतर राज्यों के जेल नियमों में राजनीतिक बन्दियों के पृथक वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है । सभी बन्दियों को उन्हें सजा देने वाली अदालत की सिफारिशों पर जेल में मिलने वाले व्यवहार के लिये आमतौर पर दो या तीन वर्गों में बांटा जाता है ।

बहरे व्यक्तियों के लिए खेल

2017. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहरे व्यक्तियों के संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि खेल परिषद खेलों के विकास के लिये बनावटी संगठनों को भारी अनुदान देकर बढ़ावा देती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में अग्निकांड

2018. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 दिसम्बर, 1964 को शिक्षा मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आग से रिकार्ड को कोई हानि हुई ; और

(ग) यदि आग लगने के कारणों की कोई जांच की गई है तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हां । 20–12–64 को नार्थ ब्लाक में मामूली सी आग लगी थी ।

(ख) नहीं ।

(ग) जांच करने पर पता चला कि यह आग संयोगवश लगी थी ।

Privy-Purse of Ex-Rulers

2019. **Shri M. L. Dwivedi** :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether income tax is not charged on privy-purse which is being regularly paid to the ex-rulers and their family members and if so, the reasons therefor; and

(b) whether a statement containing figures relating to the amounts donated by each of the ex-rulers for the defence efforts since the beginning of the emergency and amount invested in small savings scheme, would be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir. The privy-purse amounts payable to the Rulers of the former Indian States are exempt from payment of income-tax by virtue of Article 291 of the Constitution.

(*b*) This information is not available.

गन्धक

2020. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल तत्व के रूप में गंधक के निर्माण के लिये फिनलैंड की "आटोकुम्पु ओय" नामक कम्पनी के सहयोग से "अंझोर पाइराईटस ओर" द्वारा किये गये अग्रिम संयंत्र परीक्षणों का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) विदेशी मुद्रा बचाने का ध्यान रख कर आत्म निर्भर होने के लिये उद्योगों की कितनी आवश्यकतायें देश में ही पूरी हो जायेंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपनी प्रक्रिया की तकनीकी सम्भाव्यता की जांच करने और मूल तत्व के रूप में गंधक को प्राप्त करने के लिये इस महीने में मैसर्ज "आटोकुम्पु ओय" "अझोर पाइराईटस ओर" के साथ अग्रिम संयंत्र परीक्षणों को शुरू करने की आशा करता है । परीक्षण 4 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह की अवधि तक जारी रहेंगे ।

(ख) यह परीक्षणों के परिणाम पर निर्भर होगा ।

बिहार में कास्टिक सोडे का कारखाना

2022. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुधांशु दास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में कास्टिक सोडे का कारखाना स्थापित करने के लिये बिहार सरकार को अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने परियोजना के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) कारखाने के चालू होने से विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Inspector-General of Police, Gujarat

2023. **Shri Bibhuiti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shrimati Johraben Chavda :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1762 on the 23rd December, 1964 and state :

(a) whether Government have finalised examination of the two cases for sanction of prosecution of the suspended Inspector-General of Police, Gujarat;

(b) if so, the conclusions arrived at; and

(c) whether it is a fact that the Gujarat Government have sought the permission of the Central Government to put him under arrest ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) In both the cases the Government of Gujarat were informed that it would not be appropriate to accord sanction to prosecute the officer. They were however advised to proceed against him departmentally if they so desire.

(c) No, Sir.

Correspondence Course for Higher Secondary Education

2024. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Education Commission visited Rajasthan and discussed the question of starting correspondence courses for Higher

Secondary standards with the Rajasthan Government and the Educational Institutions;

(b) if so, the decision taken in the matter; and

(c) the other proposals which were placed before the Commissions ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under examination of the Education Commission.

(c) A large number of proposals covering all sectors of education were placed before the Commission by the State Government and non-official educationists in the State whom the Commission met. All these are now being examined by the Commission.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पूल-अधिकारी

2025. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा रखे गये पूल-अधिकारियों के लिये कोई समय सीमा है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों को विदेश से लौटने पर काम देने के लिये, जब तक कि उन्हें कम या ज्यादा स्थायी तौर पर खपा नहीं लिया जाता, पूल में रखने की अस्थायी व्यवस्था है।

Central Universities

2026. Shri Sidheshwar Prasad :Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ministries of Education and Finance are not represented on Finance Committees of the Central Universities;

(b) whether it is also a fact that sometimes "unauthorised expenditure" is incurred due to that reason ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter of securing the Central Government's representation on these Committees ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) There is a provision in the Acts of the Central Universities that the President, who is the Visitor of these Universities, shall nominate two members on the Finance Committees of the Central Universities. Under this provision, an officer each of the Ministry of Education and Finance is nominated by the Visitor as his nominee on the Finance Committees.

(b) & (c). Do not arise.

P. W. D., Andaman & Nicobar Islands

2027. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the labourers of the Public Works Department of Andaman and Nicobar Islands have been retrenched causing great discontentment among the labour class there;

(b) whether the representatives of the labourers had submitted a memorandum to the Chief Commissioner of the Island;

(c) whether it is a fact that instead of redressing their grievances the Chief Commissioner threatened to resort to firing in case the labourers tried to start an agitation when these representatives met him on the 28th August, 1964; and

(d) the steps being taken to remove the discontentment prevailing among the labourers there as a result of this situation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Retrenchment of surplus casual labour during the monsoon season, when the Public Works Department cannot work economically to its full capacity is unavoidable and so 684 casual labourers were retrenched during monsoon season 1964.

(b) Yes, Sir.

(c) This is not correct.

(d) The retrenched labourers who were available in the Islands and offered themselves for re-employment were re-employed.

दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आवास

2028. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कोया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय दिल्ली के विद्यार्थियों को आवास के मामले में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिये 'डे'-होम्स" का निर्माण करने पर विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) (और (ख). उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये आवास की कोई कठिनाई नहीं है। कालेज विद्यार्थियों के मामले में निवासी विद्यार्थियों के लिये भी कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। किन्तु दिन के ऐसे विद्यार्थियों की काफी बड़ी संख्या है जिनके घरों में आवास की समस्या पढ़ाई में बाधक सिद्ध होती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अनिवासी छात्र केन्द्र के निर्माण करने के सुझाव को मान लिया है।

Smuggling of Bombs into Goa

2029. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bombs were smuggled in large scale into Goa through Karachi; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Some explosives were smuggled into Goa *via* Karachi.

(b) A steward of a steamer has been arrested and charge-sheeted. The case is before a Court of Law.

भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षायें

2030. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में कुल कितने उम्मीदवार बैठे तथा उनमें से कितने सफल घोषित किये गये ;

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1964 में कितने प्रतिशत सीधी भर्ती की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). 1964 की भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा के परिणाम अभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किये जाने हैं। इस लिये वह सूचना देना संभव नहीं जो मांगी गई है ।

नंगल उर्वरक कारखाना

2031. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री कोया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी योजना में नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब में एक अन्य उर्वरक कारखाना खोलने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) चौथी योजना के दौरान में उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित दूसरे प्रस्तावों के साथ-साथ नंगल उर्वरक कारखाने के विस्तार की स्कीम परीक्षाधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

न्यूयार्क में भारतीय मूर्तिकला की प्रदर्शनी

2032. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क के "मैट्रोपोलिटन म्यूजियम आफ आर्ट" में हाल ही में भारतीय प्राचीन मूर्तिकला की प्रदर्शनी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो जिस भारतीय मूर्तिकला का वहां पर प्रदर्शन हुआ उस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) प्रदर्शनी में, भारत के 20 अजायबघरों से चुनी गईं 118 वस्तुयें प्रदर्शित की गई थीं, जिनमें पत्थर की शिल्प कृतियां, मृत्तिकायें (टैराकोटा) और मोहनजोदड़ों तथा हड़प्पा से प्राप्त आकृतियां शामिल थीं ।

Swedish Scholarships

2033. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Sweden have announced an offer of some scholarships to Indian citizens for pursuing studies from the next academic session in Sweden.

(b) if so, the number of scholarships to be awarded and the amount of each scholarship; and

(c) the subjects of studies for which these scholarships will be awarded ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) Yes, Sir.

(b) Ten Fellowships. Their value is as under :—

(i) Maintenance allowance—Swedish Crowns 860-960 (Rs. 774 to 864 approx.) per month for tution, board and lodging, etc.

(ii) Clothing allowance—Swedish Crowns 600 (Rs. 540) initially for winter season.

(iii) Allowances for Books and Study material, according to course of study research.

(iv) Cost of passage to and from Sweden.

(v) Cost of travel connected with studies in Sweden.

(c) Post-graduate study or research in the fields of Technology, Medicine, Natural Sciences, Veterinary, Agriculture and Forestry.

सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

2034. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964 के अन्त तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ख) कितने मामले तीन वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) 2166 ।

(ख) 71 ।

उड़ीसा में युवक होस्टल

2035. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा राज्य को राज्य में युवक होस्टल बनाने के लिये वस्तुतः कितनी धनराशि नियत की गई ;

(ख) उस अवधि में ऐसे होस्टल कहां-कहां बनाये गये ; और

(ग) 1965–66 में इस प्रयोजन के लिये राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) कहीं नहीं ।

(ग) 20,000 रुपये ।

कार-निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी

2036. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार-निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी तथा नानकावरी ट्रेडिंग कम्पनी के गैर-आदिम जातीय भारतीय भागीदारों को निकोबार द्वीप समूह में व्यापार न करने देने संबंधी सरकार के निर्णय की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ताकि उन द्वीपों के आदिम जातीय व्यक्ति अपने स्थानीय उत्पादों, अर्थात् गोला और सुपारी का स्वयं व्यापार करके उसका लाभ उठा सकें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) मैसर्ज कार-निकोबार ट्रेनिंग कम्पनी के भागीदारों से चलते हुये व्यापार और व्यवसाय को अपने हाथ में ले लेने के उद्देश्य से कारनिकोबार के आदिम जातीय व्यक्तियों ने एक निजी सीमित कम्पनी बना ली है । उनका यह भी विचार है कि निकोबारी ट्रेडिंग कम्पनी के आदिम जातीय भागीदारों से अपने व्यापार को संगठित करने में सहयोग देने के लिये बातचीत चलाई जाए । आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

लेखक-पेंशन

2037. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने व्यक्तियों को लेखक-पेंशन मिल रही है ; और

(ख) 1964-65 में इस संबंध में उड़ीसा सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :(क) 67।

(ख) राज्य सरकार द्वारा होने वाला वास्तविक व्यय तब मालूम होगा, जब सरकार प्रतिपूर्ति की मांग करेगी।

उड़ीसा में पुस्तकालयों को सहायता

2038. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालयों और स्कूलों तथा कालेजों के पुस्तकालयों के नाम क्या हैं, जिन्हें 1964-65 में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई तथा कितनी कितनी सहायता प्राप्त हुई ; और

(ख) 1965-66 में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). 1964–65 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी गयी, सामान्य रूप से ऐसी सहायता, माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये तथा इंजीनियरी व औद्योगिकी संस्थाओं के संस्थापन/विकास के लिये केन्द्र से प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने में उड़ीसा सरकार को दी गयी थी, जिसमें पुस्तकालयों की सहायता के लिये भी कुछ व्यवस्था थी। 1965-66 में भी इसी प्रकार सहायता जारी रहेगी।

Arrest of Chinese spies on Indo-Nepal Border

2039. **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Chinese spies were arrested by the Officers of Damor Sursand Check-Post on India-Nepal Border, on the 14th February, 1965; and

(b) if so, the articles recovered from them and since when they were engaged in espionage activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b). It is not in the public interest to disclose this information on the floor of the House, at this stage.

पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों की सम्पत्तियां

2040. **डा० चन्द्रभान सिंह** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर छोड़ी गई सम्पत्ति का मूल्य क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी):(क) से (ग) अप्रैल, 1950 में प्रधान मंत्रियों के बीच हुये समझौते जोकि "नेहरू लियाकत पैक्ट" के नाम से प्रसिद्ध हैं, के अनुसार पूर्वी पकिस्तान में शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई जायदादों का अधिकार अभी उनका ही चला आ रहा है । इस लिये ऐसी जायदादों का मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों का नामांकन

2041. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री शिव दत्त उपाध्याय :
श्री बाडीवा :
श्री बाबू नाथ सिंह :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि के अन्त तक मध्य प्रदेश में 6—11 और 11—14 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के नामांकन का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो जायगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये आयोजना में निर्धारित संख्या को कम कर दिया है ।

Stabbing Cases in Tihar Jail

2042. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of stabbing cases that took place in the Central Jail, Tihar during 1964;

(b) whether Government have conducted judicial enquiry into these incidents;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons for not conducting an enquiry thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Two.

(b) No.

(c) Question does not arise.

(d) Under the provisions of the Punjab Jail Manual no judicial enquiry is called for.

'Oil Deposits in Himalayan Terai Area'

2043. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are indications of oil deposits being found in Himalayan Terai area; and

(b) if so, the efforts so far made by Government to explore the same ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) and (b). Detailed mapping in the region has been undertaken so as to delineate suitable structures. Shallow drilling is also in hand in the Terai region at Jaulasal in Nainital District (U.P.). No final results are yet available and investigations are continuing.

मध्य अन्दमान के स्कूल

2044. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य अन्दमान के स्कूलों के विद्यार्थियों को पिछले वर्ष नवम्बर तक अन्दमान प्रशासन द्वारा पाठ्य पुस्तकें नहीं दी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्धन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देने में इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). जी हां, कुछ हद तक। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रशासन पाठ्य पुस्तकें देता है। पुस्तकें देने में देरी का कारण यहां (मुख्य-भूमि) के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं की प्रशासन द्वारा दिये गये आर्डरों के अनुसार पुस्तकें सप्लाई करने में असमर्थता थी। ऐसी देरियां भविष्य में न हों, इसके लिये कदम उठाये गए हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की अंदमान यात्रा

2045. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जनवरी, 1965 के अन्तिम सप्ताह में अन्दमान की यात्रा की थी ;

(ख) क्या उन्हें अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों से अन्दमान प्रशासन के विरुद्ध कई शिकायतें मिली थीं ; और

(ग) यदि हां, तो शिकायतें किस तरह की थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मंत्री महोदय को अनेक शिकायतें मिली थीं जिनका संबंध, अन्य बातों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत तथा स्थानीय शिकायतों, औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की बेहतर शर्तों, तथा स्थानीय प्रशासन संबंधी अन्य विभिन्न मामलों से था। इनमें से ज्यादातर मांगों को पहले ही विचार कर के निपटाया जा चुका था। फिर भी, जहां कहीं जरूरत पड़ी, व्यक्तिगत शिकायतों को उपयुक्त कार्यवाही के लिये प्रशासन के सुपुर्द किया गया।

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

2046. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मुसलमानों को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिये केन्द्रीय वक्फ परिषद् ने एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के विचारणीय विषय क्या हैं ;

(ग) परिषद् ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं ; और

(घ) वे भारत सरकार को कहां तक मान्य हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) समिति का निर्माण और उसके विचारणीय विषय विचाराधीन हैं।

(ग) परिषद् द्वारा पास किये गये अन्य संकल्पों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4153/65]**

(घ) उक्त परिषद् द्वारा पास किये गये संकल्पों का केन्द्रीय सरकार आमतौर पर अनुमोदन करती है।

Refugees from East Pakistan

2047. **Shri Madhu Limaye**
Shri Kishen Pattnayak
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of refugees who came from East Pakistan into the Union Territory of Tripura after partition of the country upto 31st December, 1963; and

(b) the number of those rehabilitated and those who are still living in refugee camps ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) About 4 lakhs.

(b) Apart from 9,883 persons who came on exchange of properties and 192 persons sent to P. L. Homes in West Bengal, 3·23 lakhs displaced persons were given rehabilitation assistance in one form or another. None of those who came upto 31st December, 1963, are living in refugee camps.

Playing of National Anthem in Cinema Houses

2048. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that very few people stay in cinema houses when National Anthem is played at the end of a show;

(b) if so, whether Government would consider to get the National Anthem played before the start of feature film and at the end of news-reel so that the honour to the National Anthem and National flag is maintained; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) All people generally stand up and observe decorum when the National Anthem is played in Cinema Houses.

(b) and (c). The normal practice at functions where the National Anthem is played or sung is to have it either at the beginning or at the end of the function. To play the Anthem at the beginning of cinema shows will create confusion especially as several persons will be coming in late and there will be movement in the hall. It has therefore been considered that the best time for playing the Anthem is at the end of the cinema show. As soon as the show is over, all people stand up and it is not difficult for them to keep standing during the playing of the Anthem.

Supply of Arms to Dacoits

2049. **Shri Madhu Limaye** :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Indian Express' Bombay edition dated the 11th March, 1965 from Lucknow that the work of supply of arms to dacoits is being done on a large scale and in an organised way in Northern India ;

(b) whether it is also a fact that some ex-servicemen are also involved in this anti-social activity; and

(c) if so, the measures being taken by Government to prevent such activities

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the table of the house.

दिल्ली में भूखंडधारियों (प्लाटहोल्डर्स) के लिये ईंटें और सीमेन्ट

2050. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1964 में दिल्ली में विकसित भूखंडों (प्लाट्स) के अर्जन के लिए अधिसूचना निकाली थी ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा ऐसे कितने भूखण्ड थे ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1964 तक भूखंडों के कितने मालिकों ने ईंटों और सीमेंट के लिये दिल्ली प्रशासन से मांग की थी ;

(घ) दिल्ली प्रशासन ने 31 दिसम्बर, 1964 तक 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने मामलों में परमिट दिये ;

(ङ) शेष आवेदकों को मकान बनाने का सामान देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(च) जिन भूखंडों के मालिकों ने 31 दिसम्बर, 1964 तक ईंटों और सीमेंट के लिए आवेदन पत्र नहीं दिये थे उनके बारे में क्या कायवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अपनी 21 मार्च, 1964 और 16 अप्रैल, 1964 की अधिसूचनाओं द्वारा दिल्ली के नागरिक क्षेत्र की पूर्ण रूप से विकसित अथवा अर्द्ध-विकसित बस्तियों के 18,000 खाली प्लाटों के अधिग्रहण की अपनी मंशा जाहिर की थी।

(ग) 21-3-1964 से 31-12-1964 तक नये निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट और ईंटों के लिये 6,516 आवेदन पत्र दर्ज हुए थे।

(घ) जहां तक ईंटों का सवाल है, उनका काफी स्टाक है और आवेदकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार परमिट दे दिये गये थे। हां, सीमेंट के बारे में उत्तर के (ग) भाग में उल्लिखित 6,516 आवेदकों में से 6,155 को विभागीय अनुमान के आधार पर निम्नलिखित प्रतिशत के हिसाब से परमिट दिये गये :--

(i)	25 प्रतिशत तक . . .	186
(ii)	26 से 50 प्रतिशत तक . . .	808
(iii)	51 से 75 प्रतिशत तक . .	1279
(iv)	76 से 100 प्रतिशत तक	3882
		6,155

(ङ) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये दिल्ली प्रशासन, इस संघ राज्य क्षेत्र को दिये गये सीमेंट के अलावा, और सीमेंट प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

(च) सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार कार्यवाही पूरी करने के बाद प्रत्येक मामले में दिये गये कारणों के सन्दर्भ में विचार किया जायगा । यदि आपत्तियों की जांच करते समय इस बात का विश्वसनीय सबूत देदिया जायगा कि प्लाट के मालिक का विचार सचमुच ही निर्धारित समय में निर्माण करने का है और वह ऐसा करने में समर्थ है तो उसकी निर्धारित समयावधि में निर्माण पूरा करने की इच्छा को भी निर्णय करते समय ध्यान में रखा जायगा।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

2051. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन, 31 दिसम्बर, 1964 को दिल्ली के न्यायालयों में कितने मामले विचाराधीन थे ;

(ख) इन में से कितने मामले गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार अधिनियम के अधीन गन्दी बस्तियों के तौर पर अधिसूचित क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं ;

(ग) कितने मामले ऐसे हैं जो 6 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष तथा 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं ; और

(घ) गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1964 को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को निबटाने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 5,154।

(ख) अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

(ग) एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम . . 1323
दो वर्ष से अधिक 779

6 महीने पुराने और तीन वर्ष से अधिक

पुराने मामलों की संख्या अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।

(घ) गन्दी बस्ती सफाई सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1964 का लंबित मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण, इस बारे में कोई कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Central Book Production Bureau

2052. **Shri Sarjoo Pandey**: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 153 on the 18th November, 1964 and state :

(a) the progress made so far in respect of setting up of the Central Book Production Bureau; and

(b) whether Planning Commission has accorded its approval in this connection ?

The Deputy Minister of Education (Shri Bhakat Darshan) : (a) and (b). The existing schemes for preparation, translation and publication of standard works in Hindi and other Indian languages are proposed to be continued in the fourth five year plan with a larger allocation of funds. The question as to whether the scheme will continue to be implemented as at present in collaboration with Universities, Academic Bodies, private publishers etc. or a separate Bureau of Books Production should be set up will be examined after the Planning Commission has finally approved the Fourth Five Year Plan Schemes and allocation of funds therefor.

Central Hindi Directorate

2053. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Y. D. Singh :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the office of the Central Hindi Directorate is not situated at one place but it is spread over at three different places; and

(b) if so, whether it is proposed to Centralise these offices in one building with a view to ensuring efficiency, coordination and speedy disposal of work?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Yes, Sir.

Private Secretaries of Ministers

2054. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Y. D. Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministers and Deputy Ministers have the discretion to select their Private Secretaries of their own choice;

(b) whether the Private Secretaries are reverted to their previous posts either on the completion of the tenure of the Ministers or on their relinquishing the Ministership;

(c) whether it is also a fact that the Ministers and Deputy Ministers can upgrade the posts of their Private Secretaries during their tenure; and

(d) if so, in what circumstances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir;

(b) On relinquishment of Office by the Ministers, the Private Secretaries are reverted to thier parent cadres if they belong to any service.

(c) Basic scales of personal staff for Ministers/Deputy Ministers have been laid down by Government. The post of Private Secretary can be upgraded, if necessary, in accordance with the prescribed procedure.

(d) These posts are upgraded when there is increase in the responsibilities attached to them.

Medical Treatment of Shri Vir Savarkar

2055. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Vir Savarkar is unable to get proper medical treatment due to poverty;

(b) whether it is also a fact that his property confiscated during British regime has not yet been returned to him; and

(c) whether Government propose to provide medical treatment to him ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (c). According to the information available with the Government of India, Shri Savarkar was in need of financial assistance for medical treatment and other requirements. On the recommendation of the Government of Maharashtra a sum of Rs. 2,000/- was sanctioned from the Home Minister's Discretionary Grant in November, 1964 and placed at the disposal of the State Government for utilizing it in the manner considered suitable by them in the interest of Shri Savarkar. No request has been recieved for providing medical treatment to Shri Savarkar.

(b) Enquiries are being made from the State Government.

Pak. Intrusion in Dinhatta Thana Area

2056. **Shri Raghunath Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the third week of March, Pakistani soldiers intruded into villages under Dinhatta Thana, Cooch-Behar and hoisted Pakistani flag there; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) On March 19, 1965, a flag looking like a Pakistani flag was seen hoisted in in a paddy field at Tharai Khana in Dinhatta Police Station. There is no report, however, of any intrusion of Pakistani soldiers in that area.

(b) A case has been started by the Police and is under investigation.

दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय

2057. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार उन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय खोलने और खेल के मैदानों की व्यवस्था करने का है जो विश्वविद्यालय क्षत्र से दूर रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् ने भावात्मक एकता समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसकी सिफारिशों पर सहमति प्रकट की है कि पुस्तकालय आदि के रूप में अवकाश-समय के उपयवत क्रियाकलापों का विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के समावश की दृष्टि से विस्तार किया जाए। योजना पर होने वाले खर्च के बारे में ब्योरे अभी तैयार करने हैं।

Forged Passports

2058. { **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of forged passports seized during the current year;

(b) the action taken against the persons concerned; and

(c) the names of the countries those persons belonged to ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a), (b) & (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बड़ौदा विश्वविद्यालय

2059. **श्री प० ह० भील :**
श्री गुलशन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा के महाराजा साजी राव विश्वविद्यालय ने हाल में विश्वविद्यालय में तेल औद्योगिकी पाठ्यक्रम चालू किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आवश्यक अनमति दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं। किन्तु सन् 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय ने प्रथम डिग्री स्तर तक पेट्रोलियम औद्योगिकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए एक सुझाव भेजा था।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पैट्रोलियम इंजीनियरों की देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम औद्योगिकी की विशेषज्ञ समिति ने उस समय भारतीय खनन स्कूल, धनबाद केन्द्र के अतिरिक्त इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के अन्य केन्द्रों का आयोजन करना आवश्यक नहीं समझा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.

(1) भारतीय वायु सेना के एक विमान की हुई दुर्घटना

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"Crash of an I.A.F. Plane on the 5th April, 1965 resulting in the death of 5 I.A.F. Officers".

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्रीमान् जी, एक "औटर" विमान जो सैनिक दस्तों को सहायता के लिये साधारण दैनिक उड़ान कर रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप दो अफसर और तीन वायुसैनिक मारे गये और एक गम्भीर रूप से घायल

हुआ। दुर्घटना पूर्वी क्षेत्र (सैक्टर) में हुई। दुर्घटना के कारण का पता नहीं लगा है । एक जांच न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है । मृत अफसरों के नाम इस प्रकार हैं :

(एक) विंग कमांडर एम० एस० ग्रेवाल ;

(दो) फ्लाईंग आफिसर एल० कुमार ;

(तीन) वारेंट ऑफिसर बी० एम० मजूमदार ;

(चार) कैप्टेन के० रामन ;

(पांच) एल० ए० सी० ; ए० एन० राजन ।

फ्लाईट ऑफिसर टी० ए० रघु घायल हुए थे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether as a result of this aircrash the families of the deceased Officers have been given any immediate financial assistance ? Whether any enquiry has been made regarding airworthiness of this aircraft before its flight.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जांच न्यायालय अवश्य ही उन सभी कारणों की जांच करेगा जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई। परिवारों को सहायता देने के सम्बन्ध में निश्चय ही विचार किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : It had been stated in the House on behalf of the Government on a previous occasion that instructions had been issued that only two or three Officers should be allowed to travel in one aircraft. May I know whether this instruction has been followed in this case or not ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : साधारणतः इस नियम को कड़े रूप में लागू किया जाता है। उड़ान के लिए कम से कम इतने विमान चलाकों की आवश्यकता होती है ।।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम देश में होने वाली विमान दुर्घटनाओं का बहुत अधिक प्रचार न करें।

श्री रंगा : एक ही उड़ान में इतने अफसर इकट्ठे यात्रा करते हैं और इस प्रकार इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मत्यु हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें अपने अफसरों को प्रशिक्षण देना होता हैं और उस दौरान दुर्घटनायें होती ही हैं ।

Shri Bagri (Hissar) : May I know the number of passengers in that aircraft ? Whether any passenger survived or not ? At what time the flight took place and how the accident occurred ? What was the reason of the accident?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस विशेष मांमले की न्यायिक जांच हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई बचा भी या नहीं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : एक व्यक्ति बचा और उसका नाम मैंने बता दिया है ।

Shri Madhu Limaye : What was the type of this aircraft ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह 'ओटर' विमान था।

Shri Kishan Pattnayak : May I know whether the precautions suggested by the ministry after the air accidents that occurred during the last year, were taken in the present case or not ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पहले ही सभा में समिति की सिफारिशें और इस सम्बन्ध में किये गये उपायों के बारे में संक्षेप से बता चुका हूं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या जांच न्यायालय की कार्यवाही या कम से कम उसकी उपपत्तियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अधिक से अधिक मैं सारांश दे सकता हूं।

Shri Vishwa Nath Pandey : When will the court of enquiry submit its report.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अभी समय बताना कठिन है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

बासठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बासठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

बहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं पुनर्वास मंत्रालय—दंडकारण्य परियोजना के बारे में प्राक्कलन समिति का बाहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

दूसरा प्रतिवेदन

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : श्रीमन्, मै हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं "

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

प्रौद्योगिक संस्थायें अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत परिषद्

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रोद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (के) तथा 32(1) और (4) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, 15 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के अन्तर्गत स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (के) तथा 32(1) और (4) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, 15 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के अन्तर्गत स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

पुरावशेष (निर्यात नियंत्रंण) संशोधन विधेयक

ANTIQUITIES (EXPORT CONTROL) AMENDMENT BILL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुरावशेष (निर्यात नियत्रण) अधिनियम, 1947, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री मु० क० चागला : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा अब सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय सम्बन्धी **मांग** संख्या 8, 9 तथा 116 पर विचार करेगी और उस पर मतदान लिया जायेगा।

मुझे श्री सिंहासन सिंह का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पर मैं कल विचार करूंगा।

वर्ष 1965–66 के लिए सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
8	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	27,21,000
9	सामुदायिक विकास प्रायोजनाये, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सहकारिता	4,22,94,000
116	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	9,17,000

Shri Tan Singh (Barmer): Mr. Speaker, Sir, the ideas of our Government regarding Community development are basically defective..... Planning Commission is one end of our economic development while village institutions are on the other end and unfortunately there is no coordination between the two. The schemes of the Planning Commission regarding villages are made in the background of book knowledge but they almost fail due to lack of the knowledge of realities prevailing in the villages. It is, therefore, necessary that all the agricultural schemes should be formulated on the basis of the needs of villagers and the Planning Commission should only bring uniformity with regard to these schemes.

Economic schemes are not enough. Economy is not life but it is a single aspect of life. We should formulate our community development schems in such a way that moral degradation is prevented. As a result of industrialization moral degredation will come. The Government has given no attention to this matter.

Any person from any panchayat can do a worst type of thing but the village institutions and Panchayats have not developed any kind of individuality under whose influence and fear a person could be disuaded from such work.

The work of guidance of economic plans by Planning Commission is good in a way but it has bound panchayats in such a way that they have no alternative but to follow Planning Commission blindly. Gram Panchayats were not encouraged to submit their plans and requirements.

All the amenities are provided to the residents of cities without asking for any contribution from them whereas the villagers are asked to contribute some percentage of the expenditure on any amenity that they want in their villages either in the form of labour or in cash. This kind of differential treatment is totally uncalled for. Because of lack of amenities in the villages, the villagers are being attracted towards the cities. If the Government asks for contribution on the plea that they want to make the villages self-supporting then why the city dwellers are deprived of this privilege ?

The elections to Gram panchayats have become a very costly affair and the real representatives of the villagers cannot get elected to these panchayats for want of money. The work of administrative vigilance and audit of accounts is not proceeding satisfactorily. The charges of corruption against sarpanches remain unheard for a long time. The discrepancies brought to light after auditing are not rectified. All these things should be attendedto without delay especially when we are determined to root out corruption from the administration.

Recently panchayat elections were held in Rajasthan. Some influential persons were arrested under the Defence of India Rules and their jeeps were used by the ruling party for campaigning for its own candidates. If they are released after the elections, it clearly establishes that the ruling party is using the Defence of India Rules to serve its own ends. In such a situation we cannot blame the panchayats if they misuse their powers.

After judgment is given on a election petition, the charges against any administrative employee contained in the petition are not dealt with. There should be some provision for punishment in such cases where the charges are proved. Otherwise the people will lose all faith in pancyayats.

श्रीमती विमला देवी (एलरु) : पंचायती राज तथा सहकारिता का एक उद्देश्य भ्रष्टाचार तथा च्पव्यय को रोकना तथा ग्रामीणों को सभी प्रकार की सहायता देना है । परन्तु 13 वर्षों के पश्चात् हमें बिल्कुल उलटी तस्वीर देखने को मिलती है ।

सब राज्यों में पंचायत चुनाव पद्धति एक समान नहीं है । कहीं पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से । मेरे राज्य में भी अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू है । जहां पर ऐसी पद्धति लागू है वहां पर सदस्यगण लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं करते क्योंकि उन्होंने पैसा देकर चुनाव जीता होता है और वे गलत तरीके से उस पैसे को पूरा करना अपना अधिकार समझते हैं ।

महाराष्ट्र में चुनाव पद्धति बड़ी अच्छी है । मेरा निवेदन है कि समस्त देश में एक ही चुनाव पद्धति होनी चाहिये । समिति प्रधानों तथा जिला परिषद् के सदस्यों का सीधा चनाव होना चाहिये । 90 प्रतिशत पंचायतें भ्रष्ट हैं और अपने धन का दुरुपयोग करती हैं। ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसे मामलों की जांच के लिये एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिये, जिससे कि ऐसी पंचायतों के मामले में पक्षपात न बरता जा सके जिसमें अधिकतर सदस्य सत्तारूढ़ दल के हों ।

विभिन्न विभागों में पर्याप्त समन्वय न होने के कारण किसानों को छला जाता है । इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । कागजी काम कम किया जाना चाहिये ताकि विकास

[श्रीमती विमला देवी]

खण्ड अधिकारी काश्तकारों तथा अन्य ग्रामीण धंधों में लगे हुए लोगों को तकनीकी जानकारी दें सकें ।

मुर्गी, सूअर, मछली पालन पर बड़ी बड़ी धनराशियां खर्च करने की बजाय कृषि, जल निकासी, सिंचाई तथा पशुधन की रक्षा को सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये । भमि जोतने वालों को उनकी फसल के आधार पर ऋण देने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

सहकारी खेती के बारे में इतना शोर मचाया जाता है । इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाना था । परन्तु 13 वर्षों के बाद भी सरकार उनकी हालत में सुधार नहीं कर सकी है ।

सहकारी समितियों से मजदूरों को कोई लाभ नहीं हो रहा है । सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वास्तविक सहकारी खेतों का ही पंजीयन हो सके । छोटे किसानों को अपनी भूमि को काश्त करने में बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। सरकार को उनके भूमि अधिकार छीने बिना उन्हें सहकारी खेती करने के लिये प्रेरित करना चाहिये और उन्हें ऋण, बीज, कृषि उपकरण आदि उपलब्ध करने चाहियें ।

अब मैं सभी स्तरों पर काम कर रही सहकारी समितियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । ये समितियां चोरबाजारी का घर हैं और खूब पैसा बनाती हैं । खाद का वितरण जिला विपणन समितियों द्वारा किया जाता है उन्हें विभिन्न खादों को मिलाने की स्वतंत्रता दी हुई है । वे उसमें खूब उलट फेर करती हैं। खाद वितरण का काम ग्राम समितियों को सौंपा जाना चाहिय क्योंकि ग्रामीण उसके कार्य कर अधिक निगरानी रख सकते हैं। यदि यह उपाय भी असफल रहता है तो फिर खाद सीधा किसानों को ही दिया जाना चाहिये ।

ग्राम ऋण संस्थाएं भी कुछ ही प्रभावशाली लोगों के हाथों में है । वे बेनामी ऋण प्राप्त कर के ऋण समितियों का कार्य ठप्प कर देते हैं और जरूरतमन्द किसान ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है । समितियों को ऋण सदस्य संख्या के आधार पर नहीं दिया जाता है अपितु उनके प्रभाव के आधार पर दिया जाता है । यदि कोई व्यक्ति ऐसी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में लाता है तो उसकी जान की खैर नहीं । काकिनाडा के एक सब-रजिस्ट्रार श्री वेंकटासुब्बया ने वहां के एक बैंक की अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और उसका अब कोई पता नहीं है । ऐसा सन्देह है कि उस बैंक से सम्बन्धित व्यक्तियों के इशारे पर उसकी हत्या कर दी गई है । स्थिति यहां तक बिगड़ गई है । इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि पंचायती राज संस्थाएं तभी सफल हो सकती हैं जब दलगत हितों की बजाय राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि समझा जाये ।

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhaur): Extension service blocks and community development blocks are serving a very useful purpose in changing the face of rural India. They have made useful contribution in the villaers' fight against diseases, illiteracy, unemployment and other maladies. Drinking

water wells, soaking pits and drains etc. have been provided in the villages with the cooperation with and contribution from the rural population. Playing centres and schools have been opened for children by the extension service blocks. The opposition benches are jealous of the progress that the community development Blocks have been making in villages. They have raised this cry of withdrawing jeeps from the community development blocks on the plea that they are being misused by the development Block personnel. These jeeps are necessary for taking these employees to the remote villages in connection with development work. I do not however rule out the possibility of their being misused in some cases, but that does not warrant their withdrawal altogether.

Cowdung is still being used as fuel in the villages which should be used as manure. The cowdung gas plants should be made popular in the villages. This Ministry should see that irrigation facilities, improved seeds, manure and other similar things are available to the villagers and in time. Other village crafts should also we encouraged side by side with agriculture.

The Ministry of Community Development should draw the attention of the Education Ministry towards opening intermediate and degree colleges, agricultural universities and technical institutes in the villages so that the village youth may not have to go to far off towns to get higher and technical education.

Similarly the Health Ministry should be approached to provide drinking water and medical facilities there.

The farmers should be asked to pay more attention to animal husbandry. They should be encouraged to take to piggery, poultry, fishery, bee-keepings and oil extracting industry by advancing them loans. This will help check their march towards towns and cities.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair)

Electricity should be made available to the villagers at cheap rates for irrigation. It is very necessary for making the country self-sufficient in the matter of foodgrains. The farmers should be given remunerative prices for their produce. The prices should be such as would induce them to produce more and more. The Community Development Ministry should pointedly draw the attention of the food and Agriculture Ministry towards this.

The Government employees working in the villages should be spared of red-tapism and allowed to work in a proper atmosphere. The panchayati Raj institutions should be provided with adequte finances so that they can carry on smoothly.

[Shri Braj Bihari Mehrotra]

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	3	श्री यशपाल सिंह	किसानों को ऋण के रूप में खाद देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	4	श्री तनसिंह	पंचायत चुनाव व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	9	श्री यशपाल सिंह	सामुदायिक खण्डों से जीपें हटाने में असफलता ।	100 रुपये
9	10	श्री यशपाल सिंह	खण्डों में विकास की मन्द गति	100 रुपये
9	11	श्री यशपाल सिंह	किसानों को पर्याप्त ऋण देने में असफलता ।	100 रुपये
9	12	श्री यशपाल सिंह	समितियों तथा सम्मेलनों की संख्या कम करने में असफलता ।	100 रुपये
9	13	श्री यशपाल सिंह	किसानों को ऋण मंजूर करने में लालफीता शाही दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
9	14	श्री यशपाल सिंह	सामुदायिक खण्डों को खाद तथा धन देने के मामले में पक्षपात को दूर करने में असफलता ।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने हैं ।

Shri Baswant (Thana) : Considering the importance of the work which this Ministry has to do, this Ministry should be put under the charge of a Cabinet Minister. For bringing about socialism in the country, more and more emphasis has to be laid on co-operation and on this count too. This Ministry occupies a pivotal position and should be given more and more attention.

Instead of having Village Level Workers, the cooperation and advice of the progressive farmers in the country should be sought and utilized.Because the farmers would not be ready to accept advice from a youth having only two years training to his credit.

We should make radical changes in our present programme to improve the cattle breed.

To minimise the shortage of milk in the big cities, the cooperative dairies situated near those cities should be given fodder and other facilities and their progress should be kept under watch for two or three years. The cooperatives should be encouraged to collect milk from the villages for supplying it to near-by cities.

Pits in large numbers should be dug to conserve forest and crop and other wastes for being used as manure. With the added use of fertilisers we can raise our production appreciably. More grants should be given for popularisation of cowdung gas plants in the villages.

The villagers should be asked to make contributions on the basis of their capacity to pay and not arbitrarily. The needy villagers should be helped by cooperative societies. The recommendations of the Shankar Committee regarding cooperatives and community development should not be implemented because they are not practicable. Panchayti raj should be introduced throughout the country.

If cooperative institutions are indulging in malpractices in any state, they should be set right.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : कुछ लोग सामुदायिक विकास को झूठ समझते हैं । परन्तु पन्चायती राज एक प्रकार का आन्दोलन, प्रेरणा और चुनौती है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम ठीक दिशा में जा रहे हैं ?

देश में इस समय गरीबी और ग्रामीण पिछड़पन की समस्या सब से आगे है । यदि यह मंत्रालय इस चुनौती को स्वीकार करले तो इसे "संयोजक" (लिंक) मंत्रालय कहा जा सकता है सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय को ही प्रगति के समन्वय का कार्य करना है । जिस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में नई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उसी प्रकार भारत में कई नई समस्यायें उठ खड़ी हो रही हैं । निराश व्यक्तियों को हमें विकास के नये रास्ते दिखाने हैं । इसलिये इस मंत्रालय के लिये सबसे आवश्यक कार्य समन्वय एजेंसी स्थापित करना है । हमें विकास के कार्य को केवल सरकार के हाथ में ही नहीं छोड़ देना चाहिये, क्योंकि सरकार को अनेक अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान देना पड़ता है ।

कार्य के निष्पादन के लिये एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिये जिसमें ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर और जिला स्तर पर जो कदम उठाये गये हैं उनका विवरण होना चाहिये ; जहां आवश्यक हो, वहां तिथियां और अवधियां भी निश्चित कर देनी चाहियें और दायित्व भी निश्चित कर देना चाहिये । फि र जो कार्य किये गये हैं उनका पुनरीक्षण होना चाहिये और जहां कहीं भी कोई कमी रह गई हो उसको दूर करना चाहिये ।

पुनर्गठन के कार्य की जांच करने के लिये जो समिति श्री शंकर की अध्यक्षतामें बिठाई गई थी, क्या उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा ; समन्वय का कार्य ऊपर से नीचे चलना चाहिये और इस प्रकार होना चाहिये कि ग्राम-स्तर, खण्ड स्तर, जिला स्तर और केन्द्रीय स्तर पर कार्य का निष्पादन हो सके । हमें पंचायती राज्य के कार्यों और उत्पादक कार्यों में सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये और उसका नियमित रूप से पुनरीक्षण होना चाहिये ।

लेखा परीक्षा केवल लेखा की जांच के लिये है, परन्तु पुनरीक्षण का कार्य इससे भिन्न है और यह अवश्य होना चाहिये । हमें प्रत्येक राज्य में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति की जांच करनी

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

चाहिये । ग्राम स्तर के कार्य कर्ताओं को प्रशिक्षण देने तथा उनके काम में सुधार करने के लिये हमें श्रंखलाबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिये । उसे इस बात का आभास होना चाहिये कि वह अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी है ।

अब कृषि विकास के कार्य का औद्योगिक विकास के कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध है । खेती की जाने वाली भूमि पर दबाव कम करने के लिये यह आश्वासन दिया गया था कि गांवों से काफी जनसंख्या शहरों में भेज दी जायेगी , परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है । अमरीका में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के विकास के कारण लोग वापिस ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं । हाल ही में मैंने ग्राम विकास पर केन्द्र द्वारा जारी किया गया टिप्पण पढ़ा था :

"उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक 100 रुपये जो व्यय किये गये थे उसरो एक व्यक्ति को 60 दिन के लिये रोज़गार मिला ।"

परन्तु इस सम्बन्ध में आपको उत्तर बिहार की स्थिति बता दूं वहां पर दरभंगा जिले की 47 लाख जन संख्या है और वर्ष में केवल तीन महीने लोगों को रोज़गार मिलता है । सरकार को इन लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था करनी चाहिये और सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रभावकारी ढ़ंग से लागू करना चाहिये । यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम ग्रामीण उद्योगों का विकास करेंगे ।

सहकारी आन्दोलन का वास्तविक लाभ भी समृद्ध किसान उठा रहे हैं, क्योंकि एक गरीब किसान जिसके पास 3 एकड़ भूमि है, सहकारी संस्था से ऋण लेने के लिये प्रतिभूति कैसे दे सकता है । संयुक्त सहकारी खेती का उद्देश्य यही है कि छोटे-छोटे खेतों के मालिक उनको इकट्ठा करके खेती करें जिससे वे सहकारी ऋण तथा संग्रहण का लाभ उठा सकें । यदि शोधक उद्योगों का कार्य केवल सहकारी क्षेत्र तक सीमित रहे तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोगों को रोज़गार मिल सकता है । देश की दरिद्रता तभी दूर हो सकती है यदि लोग देश की सामाजिक तथा सामुदायिक प्रगति में भाग लें ; और यह केवल सहकारी संस्थाओं द्वारा ही हो सकता है ।

धनबाद जैसे छोटे नगर में जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, केन्द्रीय सहकारी स्टोरों द्वारा 20 लाख रुपये की बस्तुएं प्रति माह बेची जाती हैं । और कुछ ही महीनों में यह राशि 25 लाख रुपये हो जायेगी । देश भर में केन्द्रीय सहकारी स्टोरों द्वारा 100 करोड़ रुपये की रोज़ काम में आने वाली वस्तुएं बेची जा रहीं हैं और आशा है कि यह 1,000 करोड़ रुपये तक हो जायेगी ।

सहकारी आन्दोलन को सेवाव्रत के रूप में करना चाहिये । परन्तु इसे इस रूप में नहीं किया जा रहा क्योंकि कई लोग उसकी उपयोगिता पर सन्देह करते हैं । क्योंकि अब चौथी योजना आरम्भ होने वाली है, भारत सरकार को उन विभागों को पर्याप्त राशि में धन दे देना चाहिये जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित हैं । इस प्रसंग में मैं यह भी बता दूं कि स्थानीय पंचायतों अतिरिक्त करारोपण करने में घबराती हैं क्योंकि इससे वे लोकप्रिय नहीं रहेंगी । इस समस्या को सुलझाने के लिये जितना कर पंचायत लगाये उतना ही अनुदान केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये ।

योजना बनाते समय हमें रोजगारी की समस्या, सामाजिक शिक्षा, आवास और समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान को भी ध्यान में रखना चाहिये । मैंने यह सुना था कि इस मंत्रालय को किसी और मंत्रालय के साथ मिला दिया जायेगा, परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि इस मंत्रालय को मंत्रिमंडल की श्रेणी का बना देना चाहिये जिससे यह देश की समस्याओं को अधिक प्रभावकारी ढंग से सुलझा सके ।

Shri Dhuleshwar Meena (Udaipur) : Ever since this Ministry started, there has been some progress in the country. But last year the hon. Minister informed the House, while concluding the debate, that this Ministry will be merged with the Ministry of Food and Agriculture.

If this Ministry is handed over to the Ministry of Food and Agriculture I fear the work which this Ministry has undertaken will remain unfinished. Therefore my submission is that the present scheme of things should continue.

Now I would like to draw your attention to some of the bottlenecks. The money which you are giving for T. D. Blocks is not sufficient and the required number of T. D. Blocks are not being opened. While discussing the report of the Dhebar Committee also demand was made for more T.D. Blocks.

In the Udaipur division of my area there is much of tribal area. Tribal Blocks are very much in demand there. Tribal blocks are very much in need in Pratap Garh and Achnera tehsils of Chittor. This area as also Sarara, Kotra, Govind and Phalasi, have tribal seats for the Assembly. Tribal Blocks should be given to these areas at the earliest so that the Adivasis can be benefited.

Apart from this the Tribal Blocks should be given some money from the C.D. Blocks over and above their fixed grants because the money from C. D. Blocks can be utilised for other purposes whereas the money from Tribal Blocks cannot be utilised elsewhere.

Further, there is a tendency of depending on Shramdan for rural development which is unfortunate. All such works are lying incomplete. Government should provide funds and get those works executed. Some jobs which the State Government cannot get done should be got done by the Central Government.

At present Government is giving 500 rupees gratis for constructing wells to the Farmers. You know a well costs about 2,000 rupees. Because that sum is most insufficient the farmer utilises it in paying debts etc. for consumption purposes. Therefore my submission is that full thought should be given to this matter and instead of 500 rupees at least 1,000 or 1,500 rupees should be given.

Now, the primary schools are being run by the Panchayat Samities. I submit that these schools should be brought under the Control of the Education Department. Since the members of the Panchayats and the Sarpanch exercise their free will in appointing and dismissing teachers with the result the students have to suffer.

Shri Gokuran Prasad (Misrikh) : There might have been good intentions behind Community Development Projects but I want to draw the attention of the Government to the corruption behind it. About 70 or 80 per cent of the money given by Government to the blocks is being paid to the employees of the blocks in the form of their salaries wth the result the people get little benefit by these blocks. Likewhise, the Gram Sevaks indulge in party politics and do not explain to the farmers as to how the yield per acre can be increased which is their duty.

These people should tell the farmer about the use of seed implements and machinery, improved seeds, manure and the modern methods of cultivaton.

[Shri Gokuran Prasad]

But they not do it. When a farmer goes to a Sadhan Samati for loan or for seeds etc. he is asked first to purchase manure. He does purchase that but that is not utilised in the proper manner because he is not told how to make the best use of it. We wanted to establish Ram Rajya through Panchayats. But we find that only goondas and the men of bad character are the panches and surpanches. Therefore we cannot hope for justice. Thousands of rupees are spent on Punchayat elections and afterwards they indulge in bungling and misappropriation.

There are Sadhan Co-operative Committees in Uttar Pradesh, Their procedure for giving loans to the farmers is very defective. The amount of the loan multiplies every year with the money having actually passed from the Samiti to the farmer. This should be looked into and the defects remedied.

Our's is primarily an agricultural country. Government is giving assistance in a number of ways but what I see is this that only the persons belonging to the party in power can avail of these and not others. I can cite several such instances in my District. People have taken loans of 10, 15 thousands rupees and have not paid even one instalment. When the instalment falls due they take the leaders with them and exert pressure on the officers who postpone the repayment. Such things are happening.

What I want to say is this that community development project is a good thing but immediate changes are necessitated.

Further I want to say that the farmers and the shopkeepers are already overburdened with taxes and this new tax is the name of community development is not justified by any means or manner.

Shri Samnani (Jammu and Kashmir) : As my other friends have already said community development is for those people who are deprived of the benefits of big projects for whom heavy machines are not imported, who live far away from the modern facilities and amenities which are gifts of scientific knowledge.

I have been wandering through the villages all these years and my experience is that the main defect to this system is the lack of co-operation at all levels.

If we ask the Centre to do a certain thing we are replied that this is a State subject. When we approach the Chief Minister he says it is being done. If we complain to the Centre about delay we are replied that the Chief Minister does not do it. So, there is no co-operation at the highest level. At the lower levels there is red tapism. Nobody bothers about the orders of his superiors and the result is that the people to whom this cooperative movement is desired to benefit, have to suffer. Another cause of the failure of this movement is that officers who are misfit for this department,who have no interest in it are sent to work there. The foremost requisite is that such officers should have sympathy. for the co-operative movement and he should have thorough understanding of all its aspects. These officers should be trained and they should have faith in this system. Only then we can achieve some success.

Further to aggravate the situation the officers are transferred soon after they acquire some experience. If some one is to be promoted to a higher post he is sent there. I appeal to the hon. Minister to check this wave of non-co-operaton.

Coordination is wrongly interpreted at the official level. They feel as if their powers are being snatched. This means that the officers in the department of Agriculture or Animal Husbandry should help the panchayats in executing the work given to them. I want to know from the hon. Minister the amount of success achieved in bringing about coordination so far.

There is a team of officers in community development such as B.D.O., Social Welfare Officer, Extension Officer etc. After paying their salaries very little amount is left for the Community development. I agree that in a planned economy staff for office work is necessary but we should bring down the expenditure.

If any developmental work is to be carried out in cities, such as provision of water taps or construction of roads, the people are not required to contribute in any shape whether money or manpower. The Government itself bears the whole expenditure . But in villages there is the wrong practice and the people are asked to contribute. There is no justification for it.

The Government will have to pay attention to the Adivasis and tribals, They have lands but they cannot pledge it. For loans he has to go to money lender (Sahukar) and pledge whole of his produce. He has no other means to get loans. The Minister should look to this problem of the tribals and evolve means to rectify it.

There is need for full co-operaton between cooperatives and panchayats. There should be co-ordination at all levels from the highest to the lowest. I want to know what success has been achieved. Unless this is done specialization will not avail us.

श्री सोनावने (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

एक समय था जब कि इस मंत्रालय के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था । शंकर समिति ने सिफारिश की थी कि इसको खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ मिला दिया जाना चाहिये। परन्तु उस समिति को समिति की सिफारिश को हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने स्वीकार नहीं किया था। अब हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। इस मंत्रालय का काम ऐसा है कि इसको कई कार्यों के लिये स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा मंत्रालयों की सहायता चाहिये । इसलिये इन सब मंत्रालयों में समन्वय की बड़ी आवश्यकता है । इस मंत्रालय का काम बड़ा कठिन है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय का कार्यभार मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के पास होना चाहिये और इसके लिये वर्तमान मंत्री को पदोन्नति दे दी जानी चाहिये ।

इस मंत्रालय का काम है गांवों की जनता का कल्याण करना । वहां के लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं। वे पैसे के जरिये कोई काम नहीं करवा सकते । समाचार पत्रों में वे अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। सरकार को चाहिये कि शहरी लोगों के दबाव में न आ कर गांव के लोगों की भलाई का ख्याल करें। जो लोग अब तक गरीबों को दबाते रहे हैं, उनका खून चूसते रहे हैं आज वे ही लोग पचायतों में हैं। वे गरीबों का भला कैसे कर सकते हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है और सरकारा को इस कार्य को अपने हाथों में लेना चाहिये और पंचायतों को नहीं देना चाहिये ।

[श्री सोनावने]

गांवों में एक गांव को दूसरे गांव से, स्टेशन से, मंडियों से मिलाने वाली सड़कें होनी चाहिये ताकि गरीब किसान अपनी पैदावार को आसानी से ले जा सकें। शहरों में तो सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। परन्तु गांवों में, तीसरी योजना समाप्त होने को आई, अब तक भी कुछ नहीं किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की महिला कार्यकर्ताओं के साथ सौतेली मां का सा सलूक किया जाता है। उन्हें प्रचार के लिये गांवों में बहुत घूमना पड़ता है। परन्तु जब पदोन्नति का प्रश्न आता है तो पुरुष अधिकारियों की पदोन्नति कर दी जाती है। उनको कोई अवसर नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं होना चाहिये। उनको ऊंचे पदों पर लगाना चाहिये।

इसमें सन्देह नहीं कि सहकारी समितियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। परन्तु जहां बेईमान कार्यकर्ता होते हैं वहां काम बहुत खराब होता है। हमारे गांव में एक सहकारी समिति है, परन्तु उसका काम बहुत असंतोषजनक है। हम दूसरी उपभोक्ता सहकारी समिति बनाना चाहते हैं, परन्तु हमें कहा जाता है कि इसी में शामिल हो जाइए, एक के होते दूसरी नहीं बन सकती है। हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते। ऐसे मामलों में जिस गांव की जन संख्या 3,000 से अधिक है, दूसरी सहकारी समिति की अनुमति दे दी जानी चाहिये।

पंचायती राज की सभी संस्थाओं की रचना, शक्तियों, कृत्यों और संसाधनों के मामले में एक रूपता होनी चाहिये।

अब मैं खाद्य उत्पादन के प्रश्न को लेता हूं। जब तक किसानों को प्रोत्साहक मूल्य नहीं दिये जायेंगे, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने का हमारा स्वप्न पूरा नहीं हो सकता है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this Ministry had been established with the purpose of forming pachayats as the primary units of administraton. Now we see that the Ministry has failed in its objective. Therefore the existence of this Ministry is not warranted.

While on the one hand no efforts were made for farming panchayats the primary units of administraton, on the other hand whatever little rights were there of the villages, they were snatched away by Panchayat Samiti, Development Samiti or by the formation of the District Councils. Nowdays the Panchayat Samities are overburdened with officers and infact the construction and development work in the villages is not progressing.

I want to know whether Gram Panchayats in any part of the country have been given any powers. Are they empowered to suspend even the lowest employee, *i.e.*, the chowkidar ? We see that these rights have not been given.

Coming to the rural development we find that in villages no sanitation, lighting and irrigation facilities exist. Has any thing been done to provide employment to them and to keep them in better state of health. You have no right to tax the village people.

It was said that they will be given a share in the land revenue. But it could never materialise because they have no voice in the Government. They have no means and they have have no power to exert pressure. It is said that the people in the Pachayats are illiterate, unsophisticated and have no broad vision and therefore they should not be entrusted with any responsibility.

It is sheer injustice to distrust these Panchayats. Have you not heard scandals about those who have knowledge--Biju Petnayak, Biren Mittra and T. T. Krishnamachari ?

Real power have not been given to the Gram Panchayats. In their places Development Samities and Panchayat Samities have been constituted. When the question of their Constitution and that of District Councils arises the same 100,50 votes remain. Some influential persons allure them and by their votes they occupy the seats and the question of reconstruction of villages ends and that work gets confined upto Development Blocks. Twelve and a half lakhs of rupees given for five years is spent on the motor, petrol, and pay and allowances of Government servants. This generates corruption whch I do not want to mention.

These indirect elections are not a healthy practice. I feel the Panchayat Samities should not be given this right. In U. P. thre are 51 districts. Out of these only one member belongs to the opposition, whereas in the Vidhan Sabha there are 150 opposition Members.

If you are keenon making Panchayats the Primary units of administ ration then you should do away with the Development Blocks which are better remembered by the people as *Vikash Khands*. The staff of these blocks should be absorbed in the Pan- chayts which should be given more power and funds. The Panchayats should make laws for the villages. Only then can the multitude of villages in India rise together. This will lead to their development and reconstruction.

There was a debate regarding jeeps in this House. The Prime Minister had said that Jeeps will be withdrawn. But they have not so far been withdrawn because our Minister cannot go against the wishes of their officers. These jeeps serve no useful purpose but are simple used to take officers to cinemas and other places for their personal work.

This development project is spreading corruption and therefore there is no need for it. No money should be givn to this Ministry.

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : इस मंत्रालय ने अब तक जो महत्वपूर्ण कार्य किया हैं उसके लिये मैं बधाई देता हूं ।

मेरे विचार में सामुदायिक विकास खण्डो का काम आत्म निर्भरता, स्वप्रेरणा और स्वशासन की भावना उत्पन्न करना है । पिछले वक्ता की बातों से मैं तो यह समझ पाया हूं कि वह जिस तरीके से पंचायतें इस देश में कार्य कर रही हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं । यदि वह यह कहते कि मंत्रालय को यह काम करना चाहिये तो वह ठीक था परन्तु उनका यह कहना कि मंत्रालय को समाप्त कर देना चाहिये कुछ समझ में नहीं आता । मैं उनके विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि ग्राम पंचायतें गांव के स्तर पर प्रशासन के एककों के रूप में काम नहीं कर रही हैं ।

माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सभी राज्यों में एक जैसा कानून बनाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि इस मार्ग में उनके लिये कौनसी चीज़ रुकावट डाल रही है ।

प्रतिवेदन को देखने से पता चलता हैं और दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में पंचायत राज ने अभी तक कार्य करना आरम्भ नहीं किया है जब कि 1962 में इसके लिये कानून

[श्री मान सिंह पटेल]

बन गया था। लगभग 10 या 15 राज्यों में पंचायती राज आरम्भ किया गया है और वह अलग-अलग तरीकों से। कहीं-कहीं जिला परिषदों और खण्ड समितियों को शक्तियां नहीं दी जाती हैं ; और जहां तक ग्राम पंचायतों का सम्बन्ध है उनको सभी राज्यों में बहुत कम शक्तियां दी जाती हैं।

इस लिये मेरा निवेदन है कि यदि हम पंचायत राज को इस देश में सफल बनाना चाहते हैं तो गांव के स्तर पर पंचायत और जिला के स्तर पर जिला परिषद् को प्रशासन एकक के रूप में काम करना चाहिये। और खण्ड समिति को दोनों के बीच समन्वय का काम करना चाहिये।

मेरे राज्य, गुजरात, में जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी पचायत राज का जिला विकास अधिकारी है। यह बहुत अच्छी बात है कि इस दिशा में कुछ कार्य आरम्भ किया गया है। परन्तु पंचायती राज अधिनियम में जो शक्तियां दी गयी हैं वे अभी भी पूर्णरूप से उस अधिकारी को नहीं दी गई हैं।

हमने यह नया काम शुरू किया है इस लिये इसके बारे में मेरे माननीय मित्र के मन में कुछ सदेह हो सकते हैं। हमें जिला परिषद् अथवा पंचायतों को भू-राजस्व आदि के पूरे अधिकार देने हैं तथा तभी यह संभव हो सकेगा कि जनता यह समझे कि वास्तविक प्रशासन इन संस्थाओं के हांथों में हैं तथा ये जिलाधीश आदि से ऊपर हैं। मेरा यहीं सुझाव है कि पुलिस तथा सिविल दोनों प्रकार के प्रशासनाधिकार इन संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों आदि को करारोपण के अधिकार भी दिये जाने चाहिये जिससे इनको अपनी योजनाओंके लागू करने के लिये पर्याप्त धन मिल सके। मैं यह भी चाहता हूं कि पूरे देश में खण्ड (ब्लाक) एक जैसे ही बनाये जाने चाहियें आज महाराष्ट्र और गुजरात में पुरानी ही तालुका पद्धति लागू है और उन्होंने नई ब्लाक पद्धति को लागू नहीं किया है। इसी कारण बहुत से कामों की क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है।

खण्डों में आज कागजी कार्यवाही ग्रामसेवकों तथा अन्य अधिकारियों को करनी पड़ती है। इस कारण से अन्य महत्वपूर्ण काम जैसे कृषि संबंधी तथा सहकार सम्बंधी कार्य, जो कि उनके मुख्य काम हैं, वह नहीं कर पाते हैं। इस लिये हमें खण्डों में कागजी कार्यवाही को कम करना चाहिये।

आज हमारे देश में उद्योग धंधों के बारे में दो क्षेत्र हैं। एक सरकारी क्षेत्र तथा दूसरा गैर-सरकारी क्षेत्र। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों के अतिरिक्त एक और क्षेत्र हमारे यहां काम कर रहा है और वह है सहकारी क्षेत्र। परन्तु इस क्षेत्र के कार्य-कलाप उतनी तेज़ी से नहीं आगे बढ़ाये जा रहे हैं जितनी तेजी से उनको बढ़ाया जाना आवश्यक है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए तथा इसके कार्यों का उचित समवन्य किया जाये तो इस क्षेत्र में आशा से भी अधिक उत्पादन होने लगेगा।

अब मैं कार्यकारी वर्ग के प्रतिवेदन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इस वर्ग का मैं भी एक सदस्य था। ये वर्ग तीसरी योजना के लिये बनाये गये थे। इन्होंने अपने प्रतिवेदन दे दिए हैं परन्तु इन पर अभी भी विचार हो रहा ह? मेरा निवेदन है कि इन कार्यकारी वर्गों के प्रतिवेदनों पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाना चाहिये।

इस मंत्रालय के अधीन ब्लाकों को दी गई जीपों के बारे में सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है । इस बारे में मेरा निवेदन है कि यदि एक आदमी तालुका, ग्राम तथा आय विभिन्न स्तरों पर एक साथ काम करना चाहे तो जीप होने पर या कोई और वाहन व्यवस्था होने पर ही वह काम कर सकेगा । यदि छः अधिकारियों को 2,35,000 जनसंख्या वाले 108 गांवों में एक जीप में एक दिन में जाना है तो वह किस प्रकार जा सकेंगे यदि उनके पास कोई वाहन नहीं होगा । इस लिये इन लोगों को जीपें जरूर दी जानी चाहिये । परन्तु इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि इन जीपों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ।

Shri Shiv Charan Mathur (Bhilwara): Mr. Deputy Speaker Sir, I am attended with the working of this Ministry since long. Therefore I would like to tell the House the reasons for the setting up of this Ministry. Our Late Prime Minister was of the opinion that we should try to develop our six lakhs villages so that the lot of eighty per cent population of India may be improved.

I know that first of all in 1952 Panchayat Raj Programme was introduced in Rajasthan and now I am happy that in all the states of India it has been introduced. Rajasthan Government constituted Panchayats at these levels. At village level there was village Panchayat at tehsil or Block level there was Panchayat Samiti and at District level there was Zila Parishid. These institutions, were given money powers. But the difficulty which came in their way was lack of Co-operation from Public. I am of the opinion that if we get the co-operation of the public then we can introduce this system effectively within five or ten years in this country.

When Community Development Blocks were constituted. Government were spending 25 or 26 lakhs of Rupees over them. But now Government is not spending anything therefore there is less interest left. I suggest Government should try to give some finances to these Blocks so that the programmes which are stopped due to scarcity of money may again be started and completed.

Our Members of Parliaments are getting complaints daily that there are many drawbacks and discrepancies in the implementation of this programme. In this regard I submit that when a big work is being started, everybody feels some difficulties. Therefore if we try to appreciate their difficulties and try to solve them instead of complaining. It would be better and the person responsible for its implementation also get encouragement.

My hon. friend Shri Ranga told us so many times that Swatantra Party is against collective farming and co-operative farming. I want to tell him that due to small holdings only our Agricultural Production has gone down and after that experience wherever we have introduced collective farming we found that agricultural production has gone up. What is collective farming ? In this type of farming some farmers mobilised their resources and consolidate their holding at one place and start agricultural production. The ownership of land etc. remains with the farmers who is actual owner. They only start ploughing etc. with the help of each other. I am sure that by this, our production. will go up and our farmers also will get more money for their upliftment.

At the end I want to draw the attention of the minister towards Gram Sewak. He is the man who is mainly responsible of the introduction of these programmes. But unfortunately there are no avenues of promotion, etc. for

[Shri Shiv Charan Gupta]

him. Therefore I suggest that some provision should be made for his promotions etc.

Shri Shree Narain Das (Darbhanga) : Mr. Deputy Speaker Sir, in my opinion this ministry is the main machinery by which we can propogate on ideas more effectively amongst our people. I agree with some members that there are some discrepancies in the working of this ministry but we should also consider this fact that this is in its initial stages. We have sowed a seed and gradually it will become a tree and then start giving us fruit. Therefore we should wait and and see the results.

When we started the work of community Development, it was hoped that people will themselves take interest and start this work at the Gram Panchayat, Block Development Samiti and Zila Parishad levels, but unfortunately our people have not come forward.

I have also seen that the elections conducted for these Panchayats etc. a re not conducted properly. The officers who go there for these work are not impartial. Therefore I suggest that the elections for these bodies should be conducted in the same manner as are being conducted for Lok Sabha, Rajya Sabha and other State Legislature.

Second thing which I want to point out is that the finance which these bodies get are not enough for them. I know that in some States these bodies have been authorised to levy taxes. But this is very unpleasant work. People become restless assoon as they hear that some taxes are going to be levied on them. So I suggest that State Governments should give moroe money out of their revenues to these bodies for successful execution of wrk. I think that when these bodies will be fully developed they will themselves collect money from this subjects but in the initial stages Government should provide finances for them. In addition I submit that state Governments should give all the money which they are spending for development work to these bodies.

In this connecton I know that a committee was appointed to consider this question. This Committee has recommended that a finance Corporation should be established through Reserve Bank of India, State Bank of India or Co-operative societies. I accept this suggestion and appeal to Government to accept this.

People . . . that Co-operation is a ministry. I want to tell them that this is a movement and we have to propogate this movement. I find that Government servants have been entrusted with this work and they have not got that missionary zeel which should have been there in their mind. Therefore we should appoint such persons for this work who really wants to do this development work.

I find that uptil now we have introduced this system in a very few States *i.e.*, in Kerala, Kashmir, Bihar and M. P. I suggest that Hon. Minister should try to introduce this system in all the states of India.

I find that Agricultural credit stabilisation fund, Relief and gaurantee fund and Agricultural finance corporation fund jhas been established. After

seeing the report I find that these are not working satisfactorily. We should try to make all these alright.

When there are natural calamities , we find crops are destroyed, and farmers take loan from Co-operative societies which they sometimes cannot repay. I suggest that we should provide for crop-insurance so that they may have confidence and can put themselves in village development work.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Mr. Deputy Speaker, Sir I want to say that Gram Panchayats are in existance since Moghal period and we are also stating time and again in our Five Year Plans that gradually power will be transferred to the people we have introduced Panchayats at Block, village at Zila Parishad level but if we see the working of these bodies, we are not satisfied. If we visit the villages we find that the same old familiar sight which was there previously.

To day there are 2 lakhs 14 thousands and 848 Panchayats, 3155 Panchayat Samities at Block and 280 Zila Parishads in the country. But I do not find that much development which was expected from them. Possibly some influential persons would have got tractors and other facilities but the poor farmers who were in need of assistance have not got any assistance from them. Therefore I sugegest that hon. Ministers should try to remove these discripencies which are visible and try to improve the working of these institutions.

Some Member has referred to the Mehta committee. I daily hear that these committees are useless. Members of these committees meet, get their allowances, take tea, biscuits etc. and disperse. They do not take any decision. They waste public money. Hon. Minister should look into it.

Just now somebody referred to village level worker. I find 8 A.D.Os. in a block but only one village level worker. All these A.D.Os issue orders to this one village level worker and he is to carry out them in one week. It becomes very difficult for him to do that. Therefore, I suggest that there should be one village level worker under one A.D.O. I also want to submit that we should also provide a house for Gram Sewak just as we have provided houses for A.D.Os.

Due to the failure of Government in executing same works our villagers or those who offer "Sharamdan" get less interested. I illustrate.In my constituency some people has constructed a road by 'Sharamdan' and it was suggested that Government will make it mettelled. But uptil now after two years even now it has not been touched. Government also provide some assistance in Hilly Areas, for that work which is executed through Sharamdan. I am of the opinion that this assistance should be given in the other parts of country.

Today finances are not being provided properly to Panchayats etc. for executing development work. I want that the whole country should be devided into four parts and the revenue collected should be distributed to these four Parts to execute the work allotted to them.

In the end I appeal to the Minister to consider the suggestion I have made and try to uplift the villages of our country.

Shri A. S. Saigal (Janjgir): Mr. Deputy Speaker, Sir, Dantwala Commimittee was appointed to consider the report of Balwant Rai Mehta Committee. But it has not submitted any report yet. Mirdha Committee has also not

[Shri A. S. Saigal]

given any opinion. I find that due to this work of the Ministry is not going on smoothly. Therefore I appeal to the Minister to get these report immediately.

I am of the opinion that Government should set up Institute of Management of consumers business on the lines of Central institute because it has done a very good job.

Government should try to find out that what work has been done in the Pilot and Non-Pilot projects. I emphasised this point last year also and again say that we should form separate sector for this Farming societies.

I congratulate the minister for providing earnest money and security deposit for labourers. We should try to make co-operative societies more effective so that they can be beneficial to these labourers.

I also suggest that these should be proper co-ordination in the various ministries and specially with this Ministry.

Some people were of the opinion that we should abolish this Ministry. I think that their thinking was not good and this Ministry is quite useful.

I also suggest that the work of primary education should be entrusted to Panchayats. In the villages all the work is being done through Panchayats.

The Centre should take over education in its own hand and carry on its work through this Ministry. It can be argued that this subject comes under the the jurisdiction of the State Governments but since the Central Government is giving aid to State Governments for this purpose, it can also persuade them to transfer this subject to the centre. It is very important to give spiritual education to children and it would be very easy for the Centre to make arrangements for imparting this kind of education if the Central Government take over education in its own hands. Through this kind of education we can make our children honest, hard-working and sincere. It would, therefore, be very useful not only for them but also for the country itself. With these words I support the Demands for Grants of this Ministry.

Shri D. S. Chaudhuri (Mathura) : I support the Demands for Grants of the Ministry of Community Development and Co-operation. I realise that the amount allotted to this Ministry is not adequate. In view of the functions entrusted to this Ministry it can be said that this is the only Ministry which is functioning for the welfare of the weaker sections of the population and to ameliorate the condition of those backward classes who are residing in the rural areas.

Kindly allow me to say that this Ministry has not been invested with those powers which are necessary for carrying on its work. We should give it more powers even if we have to amend the Constitution or introduce a Bill to this effect. We must enlarge its powers otherwise we would not be able to achieve the desired success in this field. The Minister-in-charge of this Ministry should be of cabinet rank.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

Some Members have remarked that this Ministry is doing nothing. I would like to place before the House some figures to show as to how much work this Ministry has done. According to the Rural Credit Survey Report, the total amount of loan which was advanced to farmers through the Co-operative Societies in 1951-52 was Rs. 27 crores but in 1963-64 it increased Rs. 325 crores. In June 1961 the total membership of the co-operative societies was 1 crore and 70 lakhs, it rose to 2 crores and 17 lakhs in June 1963 and in June, 1964 it was 2 crores 42 lakhs. One can very well imagine as to the speed with which the membership is going on increasing. The capital was Rs. 58 crores, in June, 1961, Rs. 80 crores in June, 1963 and Rs. 90 crores in June 1964. There has been increase in the short-term and medium-term loans also. The total amount of loans advanced was Rs. 257 crores in 1962-63, it rose to Rs. 290 crores in 1963-64 and Rs. 340 crores in 1964-65. If we compare the speed of progress with which this Ministry has been carrying on its work with those of other Ministries, we will find that this Ministry has been making more progress than the other Ministries. If we want to increase the agricultural production, the Department of Agriculture should come under this Ministry as this Ministry is playing a great role in the field of agriculture. It has distributed chemical fertilisers, seeds and agricultural implements respectively of Rs. 55.34 crores, Rs. 10·39 crores and Rs. 3.72 crores and consumer's goods of Rs. 67.20 crores. It is clear from the above figures that how this Ministry has been making efforts to increase the agricultural production. Besides this , it is this Ministry which is educating ordinary farmers and is creating in them a feeling of self-respect and making them aware of their rights. In 1955-56, there were only three co-operative sugar mills and now licences have been issued to 57 mills so far and those mills are producing 6 lakhs tonnes of sugar which works out to 23 per cent of the total production of the country. If we are going on getting the necessary opportunity to make further advance in this field, I am sure, we would be able to make all round progress.

Some Members have made comments and criticisms about the performance of this Ministry. Such criticism is made either by those people who have some vested interests or by those who are victim of jealousy and dishonesty. I was simply surprised to hear the comments made by an hon. lady-Member belonging to the Communist Party to the effect that this Ministry is going ahead of all as far as blackmarketing is concerned. I may be excused for saying that she does not know the correct position about it. I would like to say that those political workers or political parties who have no interest in the people and who build castles in the air instead of doing some constructive work, believe only in criticising others. Their criticism is hollow and has no importance whatsoever.

As far as corruption is concerned, it is certain that there is less corruption in this Department in comparison to other Departments. Corruption is there but it is only at the lowest level *i.e.*, at village or Supervisor level which can very easily be noticed by the public and the people come to know of it soon. The people are now becoming more and more conscious of their responsibilities and the day is not far off when there will be no corruption at the lowest level also. But in case of other Departments it is prevalent at all levels.

[Shri D. S. Chaudhuri]

The Government are trying to establish an Agriculture credit Stabilisation Fund out of the profits of the Co-operative Banks, so that the unpaid short-term loans could be converted into medium or long-term loans. In this connection I would like to point out that it would take 5 to 10 years to establish such a Fund out of the profits of the Co-operative Banks and in order to avoid this delay, I would suggest that the Reserve Bank of India should advance the requisite amount of money for this fund. If farmers are allowed to get their short-term loans which they are not able to repay in time converted into medium term or long term loans, not only their difficulty would be over but also there would be no room for complaints about recovery of these loans.

The existing laws should be amended so as to make them more effective so that the Co-operative Societies which indulge in corrupt practices and bungling could be dealt with severely.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : Mr. Chairman, Sir, we had entrusted the work relating to Welfare of weaker sections of the population of rural areas to this Ministry with great expectations. But nothing appreciable has been done. The picture of villages remain as it was 17 years ago when we attained independence. It is regretted that we have not been able to change the picture of our villages during this long period of 17 years. We are, however, satisfied that atleast we have built a road which would definitely lead us to success one or the other day. Our efforts which now we are making, would not go waste but would bear fruits. Since there are a number of bottle-necks in the way, we would not be able to make rapid progress but, I am sure, we would succeed in achieving our goal of raising the standard of our people ultimately. According to a news item a capitalist had threatened that those persons who spoke against them, would be playing with their lives. It is a challenge to those persons of this country who are interested in the welfare of the people. This challenge should be met by the Department of Community Development. It is this Department which would bring about economic, educational, and religious revolution in the country. It is what the 70% people residing in rural India are hankering for.

The work of this Ministry is in no way less important than those of other important Ministries. The responsibilities of this Ministry are heavy. It has undertaken to ameliorate the condition of 75 % of the population to arrange for their education and health. It has been playing a great role in the field of agriculture and it would therefore be a right thing to bring the Departments of Food and Irrigation under this Ministry. The Department of Transport should also be under this Ministry since it is concerned with the most of the work relating to the Department of Transport.

Panchayats should be given full powers to govern themselves without any fear and hesitation. The villagers should be provided with the opportunity of deciding their own fate by themselves. It is they who know about their requirements. They should be allowed to formulate important schemes for their welfare themselves. They are the best judge to see what is good for them and what is not good for them. It is rather dangerous that we should decide their fate by formulating schemes for them. Panchayats should, therefore, be provided more finances so that they could set up industries in villages. On the one hand a huge sum of money is being sent for providing luxurious for a very people who are residing in urban areas, whereas on the other hand very little is being done for the welfare of people of rural areas who are 75% of the total population.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : Mr. Chairman, Sir, whenever the budget relating to community Development Scheme and Co-operation is submitted, I find, that the central cabinet is not clear in its mind as to whether this Department should be under the Ministry of Food or whether the Department of Food should be under the Ministry of the Community Development and Co-operation and or whether the Department of Irrigation should come under it. As a result of this indecisiveness the situation is deteriorating right from this level to the district-level for want of co-ordination among the various Departments.

It is beyond doubt that there is no other way except co-operation by which we can set up Socio-economic order in the country. But it is regretted that we have not succeeded in achieving our target of Co-operation which has been envisaged by us and for which we have introduced various programmes in our country. In spite of the fact that a number of committees and commissions have been set up and a large number of reports have been submitted, but the Ministry is still not sure as to what should be the role of Co-operation in our country in regard to credit side and other such things. Even there is no relationship among the various regional co-operative societies, then what kind of co-operation is this. How can this movement succeed.

Our aim was to make the co-operative movement of the people to be organised by the people themselves . But it is regretted this aim has not been achieved and thus this had not become people's movement. Still the old laws are in force. In Uttar Pradesh even now the Collector is the president of the Central Co-operative Bank . The Registrar still enjoys full powers to get any bye-law amended and to get it enforced on any co-operative society. Actually the field Supervisor, the Co-operative Inspector and the Assistant Registrar are masters of Co-operative Societies. They are all in all. The result is that the people have not actually been benefited by this movement in spite of the that a huge sum is being spent on it. The members of societies are being charged a very high rate of interest ranging from 9 percent to 12 percent. There is no mention in the report which has been submitted, as to whether any concession would be given to the members of co-operative societies in regard to interest. A committee should be appointed to see that the loans advanced for agricultural purposes are actually spent on agriculture. The loans which are advanced by the societies do not reach the actual cultivators. The result is that the weaker sections are not benefited by these loans.

As regards Community Development, I want to point out that the aim of establishing Panchayats under Article 40 of the Constitution was that it would be a unit of Administration. But we have failed to achieve this aim because of the system of indirect elections and secondly the Panchayats have no finances of their own and, therefore, these also the Panchayat Inspector eilds the real authority and the chairman does not enjoy any real powers, whereas it is said that Panchayat is a unit of village Administration.

If this is the state of Affairs, we should think over this matter seriously as to what this Ministry is doing for our 75 per cent country-men . Since the 75 percent country-men are not getting any benefit, the demands for Grants of this Ministry should not be sanctioned.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अदोनी): सभापति महोदय, श्रीमान, इस मंत्रालय में चाहे कुछ भी त्रुटियां अथवा खामियां क्यों न हों, परन्तु कम से कम इस में कोई सन्देह नहीं है कि

[श्री पें० वेंकटासुब्बया]

इस मंत्रालय ने भारत के ग्रामों को सचेत कर दिया है । और पद-दलित लोगों को गहरी नींद से जगा दिया है । लोग अपने कर्त्तव्यों को समझने लगे हैं और उन्होंने इस देश की राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों में संयोग देना आरम्भ कर दिया है । इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के पूरा करने के बारे में आलोचना होती रही है क्योंकि देश भर में कृषि उत्पादों की कमी है और मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है । वर्तमान आर्थिक स्थिति के कई कारण हो सकते हैं। परन्तु यह तो बिल्कुल निश्चित है कि कृषि-उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है । इसका एक कारण अकाल और बाढ़ें जैसी राष्ट्रीय विपत्तियां हो सकती हैं। परन्तु ऐसी अवस्था में हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि आयोजन और समुन्नत प्रोद्योगिकी द्वारा अर्थव्यवस्था को दुर्बल तत्व-लक्षणों से बचाया जाय। समूचे कार्य-क्रम को अवांछनीय और अनुपयोगी कह कर रद्द करने की बजाये हमें इस में यथार्थ त्रुटियों को बताना चाहिये और भविष्य में इनको दूर करने के लिये ठोस सुझाव देने चाहिये देश में प्रत्येक पांच व्यक्तियों के पीछे चार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वे राष्ट्रीय आय के लिये प्रत्येक 2 रुपये के पीछे लगभग एक रूपया देते हैं। हमारी पहली असावधानी के कारण कई जटिल समस्यायें खड़ी हो गई हैं जिनको देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के उचित रूप से आयोजन द्वारा ही हल किया जा सकता है । इस बारे में अभी तक कोई तेज़ी से विकास नहीं हुआ है और ऐसा सीमित संसाधनों तथा कुछ अन्य बाधाओं के कारण हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत सरकारी व्यय और उस में लोगों के सहयोग के सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा "वार्षिक कुरुक्षेत्र", 1964 में दिये गये कुछ आंकड़ों का उल्लेख करूगा । प्रथम योजना के दौरान सरकार ने 45.98 करोड़ रुपये खर्च किये और लोगों ने 25.13 करोड़ रुपये लगाये । दूसरी योजना में सरकार ने 187.12 करोड़ रुपये लगाये और लोगों का सहयोग 77.13 करोड़ रूपये का था। तीसरी योजना के दौरान 1961–62 में इस में 52.8 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1962–63 में 53.97 करोड़ रुपये और 1963–64 में 52.14 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस प्रकार सरकारी लागत और लोगों के सहयोग में वृद्धि होती रही है परन्तु जब इस राशि के ब्लाक-वार निर्धारण को देखते हैं तो इसे बहुत कम पाते हैं। सामान्य वृद्धि के बावजूद भी इन शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय योजना के कुल व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है । इस से सिद्ध होता है कि हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में ग्राम विकास कार्यक्रम की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । यही नहीं, परन्तु जो राशि निर्धारित की गई उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया । प्रशासनिक बाधाओं के कारण कार्यक्रमों को पूरी गति से नहीं चलाया जा सका और परिणाम यह है कि देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में बहुत ही असमता है । इस असमता को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ठोस आयोजन द्वारा ही दूर किया जा सकता है । इस नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये संसाधनों में वृद्धि करना और इनका उपयोग करने के लिये अच्छी व्यवस्था करना अनिवार्य है । हम चाहते तो हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चौमुखी विकास हो परन्तु उसके लिये हमारे पास संसाधन नहीं हैं। कई प्रकार के कार्यक्रमों को चलाने की बजाये हमें प्रत्येक प्रदेश में उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकतायें नियत करनी चाहियें । उदा-हरणार्थ यदि किसी क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है तो वहां पर इस कमी को दूर करने के कार्य को शिक्षा और अन्य कार्यों पर प्राथमिकता देनी चाहिये। जिस क्षेत्र में सिंचाई के साधन ही नहीं हैं वहां पर हमें अन्य सामाजिक गतिविधियों की बजाये सिंचाई को प्राथमिकता

देनी चाहिये। केवल इस प्रकार ही हम उन्नति कर सकेंगे। सभी प्रकार के कार्यक्रमों को साथ साथ चलाने से हम संसाधनों की कमी के कारण क्रियान्वित नहीं कर सकते तो ऐसा करने का कोई लाभ नहीं होगा।

ग्राम निर्माण कार्यक्रमों के बारे में भी समाज के शक्तिशाली वर्ग विभिन्न संस्थाओं में अपनी उच्च स्थिति का अनुचित लाभ उठाते रहे हैं। जिस से समाज के कमजोर वर्गों को विकास करने का अवसर ही नहीं मिला। जब तक विकेन्द्रीकरण और प्रजातंत्रात्मक कृत्यों के नाम पर की जाने वाली इन समाज विरोधी गतिविधियों को बन्द नहीं किया जायेगा तब तक हम इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे, जिनको हम ने जन संख्या के कमजोर वर्गों तक पहुंचने और यह सुनिश्चित करने के लिये बनाया है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रजातंत्रात्मक समाजवाद अपनाया जाये।

मेरा सुझाव है कि कोई भी उपाय काम में लेने से पहले सरकार को लोगों की आवश्यकता जानने व सभी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त कार्यक्रम का सामान्य रूप तैयार करने के लिये गांव को एक अकेली इकाई मानकर तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहिए। पंचायत के चुनाव संबंधी सन्थानम समिति की सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये। अन्त में मैं चन्द शब्द सहकारिता आन्दोलन के विषय में कहूंगा। मैं ने इस सभा में तथा विभिन्न परामर्श समितियों की बैठकों में सहकारी संस्थाओं की अर्थ-क्षमता तथा विपणन समितियों की स्थापना की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि सहकारिता आन्दोलन दृढ़ आधार पर स्थापित हो ताकि सहकारी व पंचायती राज की संस्थायें अच्छी प्रकार से कार्य करें तथा जनता को लाभ पहुंचे।

श्री राजेश्वर पटेल (हाजीपुर): मेरे माननीय मित्र श्री राम सेवक यादव ने कहा है कि सामुदायिक विकास मंत्रालय को बन्द कर देना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई व्यवस्था कि राज्य स्व-शासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिये ग्राम पंचायतों को शक्तियां प्रदान करें, कार्यरूप में पूरा नहीं हुआ है।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*)

मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम इसके लिये सारा दोष मंत्रालय के सिर मढ़ सकते हैं।

उपबन्ध का तात्पर्य यह है कि इसका उत्तरदायित्व राज्यों पर है न कि केन्द्रीय मंत्रालय पर। बलवन्तराय मेहता समिति द्वारा स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायत का पुनर्गठन करने की सिफारिश के बाद इस मंत्रालय ने कुछ कदम उठाये तथा राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया जिस के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में कुछ कानून बनाये गये हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार मंत्रालय ने अपना कर्त्तव्य पूरी तरह निभाया

[श्री राजेश्वर पटेल]

पंचायती राज संबंधी एक विचार गोष्ठी उदयपुर में हुई थी जिस में प्रायः सभी राज्यों ने व सामुदायिक मंत्रालय ने भाग लिया था । विचार-गोष्ठी ने अपनी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संविधान में कुछ संशोधन करने के लिये कहा। श्री बलवन्त राय मेहता के सभापतित्व में स्थापित परिषद् की एक समिति ने इन सिफारिशों पर विचार किया और कहा कि संविधान में संशोधन करना एक जटिल मामला है । राज्यों के संबंधित मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए जो विचार गोष्ठी की सिफारिशों को स्वीकार करें तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् को एक अभिसमय के द्वारा इनको क्रियान्वित कराना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि ऐसा सम्मेलन बुलाया जायेगा जो पंचायत समितियों को आवश्यक अधिकार प्रदान करेंगा ।

15 वर्ष हुए कि हम ने संविधान में यह व्यवस्था की थी कि राज्य प्रभावशाली तथा स्वशासी ग्राम इकाइयों के निर्माण के लिये कदम उठायेंगे । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी भी इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं । देश में शहरों में रहने वाले 20 प्रतिशत लोग 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता का भार भी अपने ऊपर लेना चाहते हैं क्योंकि उन के विचार में गांवों के लोग अपनी देखभाल करने के लिये कुशल नहीं हैं। इस संबंध में मैं 1882 में लार्ड रिपन द्वारा रखे गये संकल्प का उल्लेख करूंगा जिस में उन्होंने इस धारणा को अस्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार के लिये उचित योजना केवल यह होगी कि जहां तक हों सके लोगों को अपने मामलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्रेरित करे। यह खेद का विषय है कि लोगों में विश्वास नहीं व्यक्त किया गया और उनकी उचित रूप से आजमाइश नहीं की गई । हम उन्हें शक्तियां प्रदान नहीं करना चाहते । ग्रामीण जनता की स्थिति बड़ी दयनीय है । हमने उन के मार्ग में जो रुकावटें उत्पन्न कर दी हैं, यदि हम उन्हें हटा लें और उन्हें इनकी प्रगति व विकास का कार्य उन्हें सौंप दें तो वे अपनी योग्यता का प्रमाण देंगे ।

देश के विभिन्न भागों में पंचायतों के काम, चुनाव आदि में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं । मैं इन तथ्यों का खण्डन नहीं करता । लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि क्या ये यथार्थ भावना में उत्तरदायी संस्थायें जैसा कि हम इनका विकास चाहते हैं । ये कुछ राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली हैं और कुछ अधिकारियों की मुट्ठी में हैं। अतः इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि वे सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहीं । मुझे आशंका है कि यदि संस्थाओं को पूर्ण शक्तियां व उचित अधिकार प्रदान नहीं किये जाते, तो पंचायत राज प्रणाली बिना उचित परीक्षण किये असफल हो जायेगी ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दूं कि मैं वर्तमान सामुदायिक विकास मंत्री का विरोधी नहीं हूं । मैं इस मंत्रालय को चालू रखने के पक्ष में इसलिये नहीं हूं कि इसका निर्माण किसी प्रकार के अस्त-व्यस्त विचारों का परिणाम है । तीन विभिन्न विषयों को, अर्थात् पंचायत राज, कृषि-प्रसार तथा ग्रामीण ऋण मिला कर एक मंत्रालय के अन्तर्गत ले आना एक विचित्र बात है । मैं सुझाव दूंगा कि तीनों विषयों को संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित कर के

इस मंत्रालय पर व्यर्थ खर्च हो रहा देश का करोड़ों रुपया बचाना चाहिये तथा इस मंत्रालय में काम करने वाले लगभग पांच लाख व्यक्तियों की सेवाओं का कहीं और उपयोग करना चाहिए । हमें देश की रक्षा के लिए एक एक पाई और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है ।

मुझे समझ नहीं आता कि अल्प-कालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण किस के मस्तिष्क की उपज हैं । विशेषतया अल्पकालीन ऋण की दशा अत्यन्त असन्तोष-जनक है । अन्य उन्नत देशों की तरह केवल एक प्रकार का ऋण होना चाहिए । किसान की संपत्ति का मूल्यांकन करके उस के नाम बैंक में स्थायी ऋण की एक निर्धारित राशि जमा कर देनी चाहिये, उस में से जितनी जब चाहे वह निकाल ले और जब चाहे उसका भुगतान करे। यह सब केवल वाणिज्यिक आधार पर करना चाहिये ।

ग्राम सेवक अनेक काम जानता है लेकिन दक्ष किसी में भी नहीं है । उसको चन्द महीनों में कुछ पाठ पढ़ाया गया होता है और विशेष योग्यता न होने के कारण वह उपयोगी कार्य नहीं कर पाता है । इसका संबंध कृषि मंत्रालय से है जिस के प्रतिनिधियों को उपयुक्त योग्यता प्राप्त होगी । इस कार्य को कृषि मंत्रालय को हस्तांतरित कर देना चाहिए ताकि खेती के उन्नत तरीकों व अन्य प्रकार से कृषि में सुधार करने के बारे में किसानों को जानकारी दी जा सके। मैं पुनः इस बात पर जोर दूंगा कि इस मंत्रालय को समाप्त कर के इसके तीन कार्यों को इन क्षेत्रों से संबंधित अन्य मंत्रालय को सौंप देना चाहिये ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : उपाध्यक्ष महोदय स्वर्गीय प्रधान मंत्री के अनुसार विश्व के किसी देश में सामुदायिक विकास मंत्रालय सर्व-प्रथम 1956 में स्थापित भारत में हुआ था। सारे देश को गत वर्ष अनेक प्रकार से कठिनाईयों का सामना करना पड़ा । चाहे यह अनाज की कमी, जनसंख्या में वृद्धि, असैनिक दंगे, बाढ़ या सूखे की स्थिति हो, प्रायः प्रत्येक घटना का अन्त में अप्रत्यक्ष रूप से इस मंत्रालय के काम पर प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक बीते वर्ष में मंत्रालय के समक्ष समस्याओं व इस के काम को अधिक उत्तम अच्छे रूप में तथा पूर्ण रूप से समझा गया है ।

हम ने पिछला वर्ष स्थापित की गई संस्थाओं की देख भाल तथा उन के ढांचे व आन्तरिक रूप को सुदृढ़ करने में लगाया । हम ने पिछले वर्ष पंचायती राज, सहकारी समाज तथा सामुदायिक विकास के विषयों संबंधी समस्याओं पर महत्वपूर्ण अध्ययन करने के लिये जो भी व्यक्ति मिल सकते व चुने जा सकते थे, उन को अध्ययन कराया । आज राष्ट्रीय विस्तार सेवा व सामुदायिक विकास कार्यक्रम सारे देश में फैल गया है । पंचायती राज 12 राज्यों में क्रियान्वित हो रहा है । मुझे दुख है कि बिहार सरकार से प्राप्त आश्वासन के आधार पर मैं ने सभा में बिहार में पंचायती राज कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का जो वचन दिया था, उसे हम अनेक कठिनाईयों के कारण पूरा नहीं कर सके । मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि आज प्रातः मुझे बिहार के मुख्य मंत्री से तार मिला है कि बिहार के दो जिलों में पंचायती राज कार्यक्रम क्रियान्वित हो गया है तथा अन्य दो ज़िलों में मई के महिने में चालू हो जायेगा । इस से अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी कि वे सारे राज्य में यह कार्यक्रम कम से कम अवधि में क्रियान्वित करने की एक क्रमानुसार समय-सूची

[श्री सु० कु० डे]

तैयार कर रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से भी आश्वासन मिला है कि मानसून के आरम्भ होने से पहले ही वहां तीनों स्तर पर पंचायती राज कार्यक्रम क्रियान्वित हो जायेगा ।

सहकारिता के विस्तार के संबंध में सभा को मालूम है कि सहकारी विभाग 6 वर्ष पहले स्थापित हुआ था। सहकारिता को अधिकतर किसान व शहरों में कुछ लोगों को ऋण देने के तरीके के रूप में जानते थे। यद्यपि गुजरात व महाराष्ट्र इन दो उन्नत राज्यों में चीनी, कपास व तेल तैयार करने के क्षेत्र में सहकारिता का आरम्भ हो गया था। किन्तु अन्य राज्यों में इन क्षेत्रों में बहुत कम काम हुआ है । मुझे सभा को यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध है, अन्ततः कम से कम हम राज्यों को यह समझा सकने में सफल हो गये हैं कि सहकारिता कृषकों अथवा अन्य लोगों को कम ब्याज पर देने का एक मात्र साधन ही नहीं अपितु यह वास्तव में जीवन का एक साधन है तथा आर्थिक लोकतंत्र कको स्थापना का एक महत्वपूर्ण तरीका है जो सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक शक्ति के रूप में प्रभावी रूप से काम करता है । राज्य इस कार्य-क्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं ।

किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि सामुदायिक विकास विभाग अथवा सहकारिता विभाग अन्य मंत्रालयों की भांति आपने आप पूर्ण विभाग हैं । विभागों को संसाधनों पर निर्भर करना पड़ता है जिनका सरकार के विभिन्न राष्ट्र निर्माणकारी अभिकरण, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं।

इस विभाग ने जनता को अपने अधिकारों को समझने तथा राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए जागृत किया है । इस कार्य के लिए अपेक्षित धन, तकनीकी सहायता तथा वास्तव में कृषि, लोक स्वास्थ्य तथा उद्योगों से सम्बन्धित प्रायः सभी विषयों में कठिनाइयां हुईं । ग्रामीण क्षेत्रों में आज अधिक धन, अधिक ऋण, अधिक लघु सिंचाई योजनाओं, अधिक उर्वरक, अधिक कीटनाशी दवाइयां, अधिक उपकरणों, अधिक सीमेंट, अधिक इस्पात, अधिक तकनीकी सहायता, अधिक तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रदर्शन की मांग है । लोगों की सभी मांगें पूरी करना कठिन है । यह गर्व की बात है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीण जनशक्ति की कमी है जब कि उस की मांग सभी क्षेत्रों में है । अतः जनशक्ति के अभाव और उसकी कम योग्यता का, जिसका हम धीरे धीरे उपयोग कर रहे हैं, सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा । चाहे वे इस समय कैसे भी हों किन्तु समय के साथ साथ सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर लेंगे । हम लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए सहकारिता तथा सामुदायिक विकास, दोनों क्षेत्रों में सभी प्रकार की प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । आशा है यह कार्यक्रम तीव्र गति से प्रगति करेगा ।

अब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है । इस योजनामें हमें उपलब्ध संसाधनों तथा जनशक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिये । हमने इस सुझाव को प्रधान

मंत्री के सम्मुख रखा। उन्होंने हमारा सुझाव योजना आयोग के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त उप-समितियों के विचारार्थ भेज दिया है। ये उप-समितियां इस बात का विशेष अध्ययन करेंगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक से अधिक राशि किस प्रकार नियत की जा सकती है। उपसमितियां मंत्रालय के सहयोग से इस पर विचार कर रही हैं ।

आज देश में समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान की समस्या बड़ी गम्भीर बनी हुई है। हम उसे उठाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के कहने पर कमजोर वर्ग का प्रश्न भी राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति को सौंप दिया गया है और योजना आयोग समस्या को हल करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि कमजोर वर्ग को किन उपायों से सहायता दी जा सकती है। हमने इस के लिए अनेक उपायों की, यथा सहकारी खेती, आदि की व्यवस्था है ।

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.* }

यद्यपि श्रीमती विमला देवी संयुक्त सहकारी खेती के विरुद्ध हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि दुर्बल वर्ग को उठाने का यह एक अच्छा तथा आसान तरीका है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संयुक्त सहकारी खेती कार्यक्रम धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है ।

श्रीमती विमला देवी (एलुरु) : मैं कार्यक्रम की आलोचना नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी कि इससे कमजोर वर्ग को लाभ नहीं पहुंच पाता क्योंकि धनी लोग इस से स्वयं लाभ उठा लेते हैं।

श्री सु० कु० डे : संयुक्त सहकारी खेती कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी छोटी छोटी जोतें हैं। यदि हमें यह बताया जाये कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के कार्यक्रमों पर जमीदारों अथवा बड़े लोगों का प्रभुत्व है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रभुत्व कार्यक्रम के उद्देश्य के प्रतिकूल है ।

हमने 1300 सहकारी कृषि फार्म खोले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूना के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पोलिटिक्स के प्रॉफेसर डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में प्रसिद्ध विशेषज्ञों का एक दल इस कार्यक्रम पर सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहा है। हम उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहेहैं। प्रॉफेसर गाडगिल के साथ हुई बातचीत से मै इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि कई क्षेत्रों में असफलताओं के बावजूद भी सहकारी खेती कार्यक्रम जड़ पकड़ने लग गया है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यवाही की है कि संयुक्त सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यक्रम सहकारिता विभाग का ही एकमात्र उत्तरदायित्व न रहे। अतः यह कार्यक्रम प्रत्येक राज्य के लिए समूचे तौर पर खंड संगठन के रूप में स्वीकार किया गया है। जहां बड़ी संख्या में सहकारी फार्म खोले गये हैं वहां के लिए हमने यह निर्णय किया है कि राज्य-स्तर और जिला स्तर पर कृषि अधिकारी नियुक्त किए जायें जो उन सहकारी खेती संस्थाओं की सहायता करेंगे ।

श्रमिक सहकारी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। हमने इन संस्थाओं के विस्तार के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। हमें आशा है कि ये संस्थाएं 12 करोड़ रुपये का कार्य पूरा कर लेंगी। हम

[श्री सु० कु० डे०]

डेरियों, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वनों के विकास के लिए तथा देश के गरीब वर्ग द्वारा उद्योगों के लिए उपयोग करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की निधि में से अलग राशि रक्षित कर रहे हैं। कुटीर तथा ग्राम्य उद्योगों सम्बन्धी कार्यक्रम पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड में चार उद्योग स्थापित किए जायेंगे। प्राय: सभी राज्यों ने इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है तथा कई राज्यों ने इसे लागू भी कर लिया है। कुटीर तथा ग्राम्य उद्योग मुख्य रूप से कमजोर वर्ग को सहायता पहुंचाने के अभिप्राय से चालू किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन तथा मकानहीन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय से निकट सम्पर्क स्थापित किया गया है। इस कार्य में सभी मंत्रालय सहयोग दे रहे हैं ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों की समस्याएं हल हो सकें।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त उपसमिति समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार कर रही है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि और ग्रामोद्योग के क्षेत्रों में उत्पादन के लिए पंचायती राज तथा सहकारी समाज संस्थाओं के कार्य का संचालन किस प्रकार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देने को कहा है ताकि उनके निष्कर्षों के आधार पर उचित निर्णय किया जा सके।

सरकार ने कुछ समय पूर्व मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, आवास, परिवहन, उद्योगों, रेलवे तथा डाक तार का अध्ययन करने के लिए कार्यकारी दल नियुक्त किए थे। ये दल अपनी रिपोर्टें दे चुके हैं। उनके द्वारा की गई सिफारिशों को विभिन्न मंत्रालयों के चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। यह कार्य पूरा हो जाने पर योजना आयोग इस पर विचार करेगा यदि आवश्यक हुआ तो सभा में इस पर विचार किया जा सकता है।

ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में योजना आयोग द्वारा एक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया था। इसके लिए पर्याप्त धन राशि भी निर्धारित की गई थी। किन्तु दुर्भाग्यवश कई कठिनाइयों के कारण हम इस दिशा में अधिक कार्य नहीं कर सके। पिछले वर्ष से यह कार्यक्रम जोर पकड़ रहा है। हम चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। प्रधान मंत्री महोदय ने पूर्ण समर्थन के साथ यह आश्वासन दिया है कि हम पूरी प्रशासनिक क्षमता के अनुसार इस धन को प्रयोग में लाएंगे और इस प्रयोजन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त धन राशि देने में कठिनाई के बारे में प्रश्न उठाया गया है। इस प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप-समिति विचार कर रही है। मुझे पूरी आशा है कि कम से कम चौथी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय कठिनाई नहीं होगी।

हमने गत वर्ष पंचायती राज के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए कई समितियां नियुक्त कीं। विपणन सम्बन्धी दांतवाला समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने वाली है। नकली सहकारी समितियों तथा सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए राम निवास मिरधा समिति तथा पंचायती राज वित्त सम्बन्धी सन्तानम समिति ने बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन कार्य किया है। माननीय सदस्य श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ने यह प्रश्न उठाया है कि पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस

बात का यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है कि पंचायती राज के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ भी अतिरिक्त साधन जुटाए जायें उसके आधार पर उन्हें बराबर की सहायता दी जाये। पंचायतों के लिए विशेष धन की व्यवस्था करने का प्रश्न अगले वित्त आयोग को सौंपने का विचार किया जा रहा है। इन सब प्रश्नों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप-समिति द्वारा विचार करने के पश्चात इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायती राज चुनाव के बारे में प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न हमने सन्तानम समिति को विशेष अध्ययन के लिए सौंपा था। कुछ प्रमुख सदस्यों ने इस अध्ययन से अपना सहयोग दिया। सभा को ज्ञात है कि समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं सभा में आगामी सत्र में इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

पंचायती राज की लेखा परीक्षा तथा लेखे के लिए हमने महालेखा परीक्षक की सहायता से एक विशेष समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सदस्यों की जानकारी के लिए उसे संसद के पुस्तकालय में रखा गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है।

राजस्थान में पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए सादिक अली समिति नियुक्त की गई थी। इससे राजस्थान में पंचायती राज में कई सुधार किए गये हैं। इसी प्रकार गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर में भी अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों के बहुत अच्छे परिणाम रहे।

हमने पंचायती राज से सम्बधित प्रश्नों पर मंत्रालय की सहायता करने के लिए एक परामर्श-दात्री परिषद् स्थापित की है। परिषद् की दो बैठकें हो चुकी हैं। इसमें देश के सभी राजनैतिक तथा सामाजिक विचारों के प्रतिनिधि हैं। परिषद् ने पचायती राज के कार्यकरण की तथा तरीके की, जिसके अनुसार सन्तानम समिति की वित्त सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सकता है, जांच करने के लिए एक विशेष अध्ययन दल नियुक्त किया था। इस दल की रिपोर्ट को परिषद् की पिछली बैठक में पेश किया गया है। इन सिफारिशों पर चर्चा की जा सकती है।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ ने प्रश्न उठाया है कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता कानून 20 वर्ष पुराना है। अधिकांशतः सभी राज्यों ने सहकारिता पर राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार नये कानून बनाये हैं। उत्तर प्रदेश में भी विधान का एक प्रारूप विधान सभा के सामने रखा गया है। आशा है वहां शीघ्र कानून लागू कर दिया जायेगा।

सामुदायिक विकास और सहकार आन्दोलन तथा सहकारी समाज आन्दोलन इस समय सरकारी रूप से आयोजित कार्यक्रम से लोगों के कार्यक्रम में परिवर्तित किये जाने की दिशा में अग्रसर है। इस कार्य में हम तभी सफल हो सकते हैं जब गैर सरकारी नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहे, जो अपनी सेवायें लोगों को समर्पण करने के लिए तत्पर हों, इस दिशा में कार्य आरम्भ हो गया है। यद्यपि अभी इसमें धीरे धीरे प्रगति होगी। इस मंत्रालय ने उन उत्तरदायित्वों को गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंप कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिन्हें वे वह सौंप सकता था। उदाहरणार्थ, हमने सहकारिता में समस्त प्रशिक्षण कार्य सम्बन्धी सभी उत्तरदायित्व तथा संसाधन राष्ट्रीय सहकारी संघ को, जिसका काफी विस्तार हो चुका है, सौंप दिये हैं। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राज्य स्तर पर तथा सहकारिता के सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार की कार्यवाही की जाये। मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय उपभोक्ता व्यापार, विपणन आदि में इस दिशा में प्रगति हो रही है।

[श्री सु० कु० डे०]

तदनुसार राष्ट्रीय संघों का भी साथ साथ विकास हो रहा है और मंत्रालय इन संस्थाओं के विकास के लिए उनके उत्तरदायित्वों का भार वहन करते हुए उन्हें यथासम्भव सहायता देने का प्रयत्न कर रहा है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च महत्व दिया था और इसीलिए उन्होंने 1952 में सामुदायिक विकास प्रशासन को स्वायत्तशासी बनाकर योजना आयोग के एक भाग के रूप में इसकी स्थापना की थी, बाद में इसके बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का एक अलग मंत्रालय के रूप में निर्माण किया गया। देश के सभी भागों में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की स्थापना करके, सम्पूर्ण देश में पंचायती राज संस्थाओं का राजनैतिक प्रजातंत्र पद्धति के आधार पर स्थापना करके और विशेषत: सभी क्षेत्रों में सहकारी समाज संस्थाओं की स्थापना करके मंत्रालय तथा उसके कार्यक्रमों को फिर से योजना आयोग के काम के अनुकूल बनाते जा रहे हैं। अत: ऐसी आशा है कि कुछ वर्ष बाद यह मंत्रालय योजना आयोग की भांति योजना सम्बन्धी कार्यों की क्रियान्विति करने लगेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् और योजना आयोग यह आशा करते हैं कि यह मंत्रालय योजना आयोग की ओर से जिलों, खण्डों और गांवों में कुछ व्यवहारिक योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा। इसलिए हम योजना आयोग की ओर से योजना कार्यक्रमों के बारे में अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में एक जिले को, आदर्श जिले के रूप में लेकर वहां योजना सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर देंगे और उस जिले की वास्तविक कठिनाइयों तथा समस्याओं का यथा प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की, पता लगाने और उन्हें दूर करने अथवा हल करने की दृष्टि से पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा रही है और कई कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं।

गत वर्ष उपभोक्ता सहकारी समितियों के क्षेत्र में हमें सबसे महत्वपूर्ण और हमारी आशा से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई है। जनवरी, 1964 में हमारा कुल व्यापार केवल 2 करोड़ रुपये का था जो इस वर्ष जनवरी में बढ़कर 9 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। यह एक जनता का आन्दोलन है जो सच्चे अर्थ में जनता की मांगों का उत्तर है और यह मंत्रालय उन्हें रिजर्व बैंक से, भारत के राज्य बैंक से सहायता देने के सभी सम्भव प्रयत्न कर रहा है। यह मंत्रालय उनके लिये खाद्य विभाग तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न कारखानों से सामान की सप्लाई करवाने में भी उनकी सहायता कर रहा है और उत्पादन विभाग द्वारा जब्त किये गये विदेशी सामान का वितरण भी उपभोक्ता भाण्डारों के द्वारा करते हैं। हमने सहकारी क्रय-विक्रय के विकास पर सर्वाधिक बल देने का प्रयत्न किया है। तीसरी योजना के अन्त तक हम 300 करोड़ रुपये का क्रय-विक्रय करने की आशा करते हैं और यह भी सम्भव है कि हम इससे भी और अधिक क्रय-विक्रय कर सकें। चौथी योजना के अन्त तक हम 750 करोड़ रुपये का क्रय-विक्रय करने की आशा रखते हैं।

परिष्करण क्षेत्र में, हमारे सहकारी चीनी के कारखाने हमारे गौरव हैं और संसार के सामने उन्हें मूल उत्पादकों की सहकारी कार्यकलापों के विशिष्ट उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की तुलना में तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता में आगे बढ़ा हुआ एक उद्योग के रूप में मजदूर और उत्पादक दोनों के ही हितों की रक्षा करते हुए कार्य कर रहा है।

जहां तक चावल की मिलों का सम्बन्ध है, हमने सहकारी क्षेत्र में और अधिक चावल की मिलों की व्यवस्था करने के लिए विशेष सहायता देना आरम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने, राज्य योजना परिसीमा के बाहर, राज्यों के लिए चावल की मिलों को खोलने के लिए सारवान रूप से असीमित धन की व्यवस्था की है। हम 500 तक चावल की मिलों को वित्त पोषित

करने को तयार हैं। इस समय चावल की पांच बड़ी मिलें बन रहीं हैं।और हमें आशा है कि एक विशष कार्यक्रम के अन्तर्गत 250 से 300 तक छोटी नई मिल भी स्थापित की जायेंगी।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य ने पंचायती राज तथा सहकारिता दोनों में ही बहुत सराहनीय कार्य किया है। निस्संदेह अन्य राज्य भी यही सफलता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु कोई भी राज्य महाराष्ट्र जितनी प्रगति नहीं कर सका। महाराष्ट्र द्वारा किये गये इस शानदार काम का वर्णन करते हुए मैं बहुत गौरव अनुभव कर रहा हूं।

जीप गाड़ियों को हटाने के विषय पर इस सभा में चर्चा पहले ही हो चुकी है किन्तु यह प्रश्न फिर उठाया गया है। सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि विकास खण्डों से जीपों को पूर्ण रूपेण न हटाकर उनका दुरुपयोग रोका जाए। मंत्रालय ने इस सभा के अधिकतर सदस्यों द्वारा की गई इस सिफारिश को मान लिया है कि चुनाव के दौरान जीपों का दुरुपयोग रोकने के लिए उन्हें हटा लिया जाये। मैंने स्वयं राज्य सरकारों के सम्बंधित मंत्रियों को लिखा है कि आम चुनावों के लिए किसी उम्मीदवार के नामनिर्देशन की तिथि से लेकर चुनाव समाप्त होने तक विकास खण्डों से जीपों को हटाकर उन्हें कलेक्टर की निगरानी में सोंप दिया जाए। हम इस सभा के आदेश का पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

अब मैं शंकर प्रतिवेदन के बारे में प्रकाश डालूंगा। सभा को विदित है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय काम के बीच और अधिक समन्वय प्राप्त करने तथा प्रत्येक मंत्रालय को एक दूसरे के कामों से पूर्ण रूपेण अवगत रखने की दृष्टि से भी शंकर को उक्त मंत्रालयों के काम का अध्ययन करने तथा उसके आधार पर सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। श्री शंकर ने यह सिफारिश की है कि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के काम को विभिन्न मंत्रालयों में बांट देना चाहिए और मंत्रालय को उसके बचे हुए शेष काम सहित खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ उसके एक अभिन्न अंग के रूप में मिला देना चाहिए। भारत सरकार ने इस सिफारिश पर विचार करने के लिए गृह-कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने इस पर विचार करने के बाद प्रधान मंत्री से सिफारिश की है कि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। राज्य के कृषि उत्पादन बोर्ड को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए ताकि वह समन्वय के काम को और अधिक अच्छी तरह कर सके और इस प्रयोजन के हेतु उसे आवश्यक सचिवालय सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जायें।उसने यह भी सिफारिश की है कि कृषि उत्पादन बोर्ड की एक उपसमिति हो जो खाद्य तथा कृषि मंत्री के अधीन काम करे और जो सहकारी नीतियों के मामलों में समन्वय स्थापित करने का काम करे। प्रधान मंत्री ने इन सभी सिफारिशों का अनुमोदन किया है।

यह सदन जो कि इस देश के लोकतन्त्र का संरक्षक है इसने अपनी शक्ति पंचायत राज की संस्थाओं से प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के देहान्त से जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, एक बड़ा स्थम्भ खो दिया है। इसी प्रकार एक और व्यक्ति के स्वर्गवास होने से सहकारी संस्थाओं को क्षति पहुंची है और वह थे वैंकुंठलाल मेहता। वह एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे।

ऐसे ही श्री जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास हो जाने से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे यतीम हो गये हों।

[श्री सु० कु० डे०]

यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस कार्य को अपना आशीर्वाद दे दिया है और उन्होंने ठीक ही इसे नया मार्ग दिखाया है जिससे अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो। यह भी प्रसन्नता की बात है कि संसद् तथा समाचारपत्रों में भी इस योजना को ठीक रूप से समझा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अनुभव करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि 13 वर्ष तक जो लाखों व्यक्तियों ने इस कार्य को किया उसके फलस्वरूप एक ऐसी संस्था का निर्माण हो गया है जिसको अब हटाया नहीं जा सकता। मैं इस सदन की सेवा में हूं जो भी कार्य आने वाले वर्ष के लिए यह मुझे दें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of Community Development and Co-operation were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
8	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	27,21,000
9	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सहकारिता	4,22,94,000
116	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	9,17,000

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान की सीमा के निकट गुजरात के कच्छ जिले में गृह-कार्य मंत्री का हाल का दौरा

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान की सीमा के निकट गुजरात के कच्छ जिले में गृह-कार्य मंत्री का हाल ही का दौरा।"

श्री रंगा (चित्तूर) : महोदय, कुछ देर पूर्व हमने भी एक ऐसा ही नोटिस कच्छ के बारे में दिया था परन्तु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। क्या अब आप हमारे एक दो सदस्यों को जिन्होंने वे प्रस्ताव दिये थे अब प्रश्न करने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो मेरे लिये बहुत कठिन है क्योंकि कार्यप्रणाली के अनुसार बाद में नाम नहीं लिखा जाता। फिर यह भी पता लगा है कि वह दूसरे विषय पर है। अब हमें उत्तर सुनना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन्, मेरे सहयोगी, परराष्ट्र मंत्री महोदय ने पहले ही सदन में 3 मार्च, 1965 को एक वक्तव्य देकर कच्छ-सिंध सीमा के दक्षिण में भारतीय क्षेत्र के कंजरकोट-कच्छ इलाके में पाकिस्तानियों की घुसपैठ का ब्योरा दिया था और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि सरकार ने इन घटनाओं को कितनी गम्भीरता से लिया है। समस्या के महत्व को देखते हुए और खुद व्यक्तिगत रूप से हमारी सीमाओं की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए किये गये उपायों और उन उपायों को जानने के लिए जो आगे करने जरूरी हों 31 मार्च, 1965 को गुजरात के मुख्य मंत्री महोदय के साथ मैंने कंजरकोट में अपनी सीमा के पास के क्षेत्रों का दौरा किया; और 1 अप्रैल, 1965 को गुजरात के मुख्य मंत्री तथा गृह-मंत्री और इस समस्या पर लगे हुए अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।

पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने प्रथा स्थिति को भंग किया है। उन्होंने गैर-कानूनी तौर पर हमारे क्षेत्र के लगभग 1300 और 2000 गज अन्दर दो चौकियां बना ली हैं। हमारे बार-बार स्मरण पत्र देने पर भी उन्होंने राजकोट रेंज के उप महानिरीक्षक तथा पश्चिम पाकिस्तान रेंजर्स के महा-निरीक्षक की बैठक करने का कोई इरादा नहीं जाहिर किया। हमारी कूटनीतिक चेष्टाएं जारी हैं। साथ ही, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार हमारे क्षेत्र की रक्षा तथा सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रभावी उपाय कर रही है और करती रहेगी।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने वहां बहुत संख्या में अपनी सेना एकत्रित कर रखी है ? यदि हां, तो अपनी भूमि को पाकिस्तान से वापिस लेने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

श्री नन्दा : आप भी यह अनुभव करेंगे कि मैं यहां सारा विवरण दूं। हम अपनी ओर जो कुछ करेंगे वह इस बात को ध्यान में रख कर करेंगे कि पाकिस्तान अपनी ओर क्या कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को पता है कि दूसरी ओर क्या हो रहा है ?

श्री नन्दा : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो परस्पर विरोधी वक्तव्यों की ओर दिलाऊं जो हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्री ने तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने दिये। एक ने कहा कि केवल बलात् प्रवेश किया है और दूसरे ने कि

[श्री हरिविष्णु कामत]

उन्होंने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और वहां के निवासियों को तंग कर रहे हैं । और मंत्री महोदय ने संसद् सदस्यों को वहां जाने से को रोका ?

श्री नन्दा : जो तथ्य इस समय हैं वे मैं ने बता दिये हैं । उनके दो स्थानों पर चौकियां हैं । इससे अधिक कुछ नहीं । वहां कोई निवासी रहते नहीं हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Is the minister in a position to tell the country that our border with Pakistan on other sides will also be prtected ?

Shri Nanda : My reply is an emphatic "Yes".

Shri Bagri (Hissar): Are Government prepared to shed their old policy of weakness and adopt a policy of strength ?

Shri Nanda : Whatever is possible is being done but there is no question of weakness.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या सरकार इस आश्वासन पर संजीदगी से चलेगी भी ?

Shri Nanda : There can be no dispute about it.

श्री जसवंत मेहता (भावनगर) : सरकार इस क्षेत्र को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिये क्या कर रही है ?

Shri Nanda : It is not proper to disclose all these here.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) **:** Will Government declare clearly the boundary of this country and what steps are being taken to protect it ?

Shri Nanda : All this is our area and we are taking necessary steps in this direction.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I raise a point of order. The newspapers say that the minister will make a statement about it. Had that been the case we would have asked questions but now you have converted into call attention notice and only they can ask who had given notices.

Mr. Speaker : Others will not be permitted to put question.

अनुदानों की मांगें--(जारी)

DEMAND FOR GRANTS—*contd.*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सदन अब सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांग संख्या 69 से 71 और 134 पर चर्चा करेगा ।

वर्ष 1965-66 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
69	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	14,83,000
70	प्रसारण	5,38,73,000
71	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,12,29,000
134	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,58,42,000

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : महोदय, इस मंत्रालय के अधीन बहुत से विभाग हैं। इन सूचना और प्रसारण के माध्यम से सब यह चाहते हैं कि यह निष्पक्ष हो कर कार्य करे और साथ-साथ जनता की जो कामनायें विद्या, मनोरंजन तथा संस्कृति सम्बन्धी हैं, वे पूरी हों।

श्री नरिपौल ने अपनी पुस्तक जिसका नाम "एरिया आफ डार्कनेस" है में कहा है कि भारत "प्रतीकों" का देश है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह "नारों" का देश है। यही कार्य अब सूचना तथा प्रसारण के माध्यम का हो रहा है। इसी कारण यह माध्यम जनता को प्रेरणा देने के कार्य में असफल रहा है। जब कोई निपुण व्यक्ति इस मंत्रालय में जाता है तो लोग कहते हैं कि "चांदी के कुछ सिक्कों के लिए वह हम से पृथक हो गया है।" इस बात से पता चलता है कि इस माध्यम से हमने क्या प्राप्त किया है। यदि सरकार अपना प्रचार इसमें मिलाती रही तो फिर इस में कला के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। उदाहरण के लिए प्रकाशन विभाग ने अभी एक पुस्तक छापी है जिसका नाम है "जवाहरलाल नेहरू—ए होमेज़"। इस पुस्तक में नेहरू जी के देहान्त पर इज़राईल के राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया संदेश सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका कारण क्या यह है कि कहीं इस से अरब लोग नाराज न हो जावें। मैं कहता हूं कि इस संदेश को सम्मिलित न करके न केवल इज़राईल के राष्ट्रपति का अपमान हुआ है अपितु हमारे राष्ट्रपति का भी अपमान हुआ है जिसने यह संदेश प्राप्त किया।

महोदय, चीन आक्रमण के समय और उसके पश्चात भारत के बारे में दूसरे राष्ट्रों को जानकारी देना बहुत आवश्यक हो गया है।

अब स्थिति यह है कि हमारे चारों ओर ऐसे देश हैं जो हमारे मित्र नहीं हैं और वे चीन के प्रसारण सुनते हैं। इस समय चीन विश्व में प्रसारण के मामले में दूसरे नम्बर पर है। हमारे से तो संयुक्त अरब गणराज्य भी प्रसारण पर अधिक व्यय करता है। हम से बार-बार यह कहा गया है कि हमारी सरकारी सोवियत संघ से एक 1000 किलोवाट के ट्रांसमिटर की बात कर रही है परन्तु 26 मार्च, 1965 को मास्कों से यह समाचार आया कि वे हमें दो ट्रांसमीटर देंगे जो कि पांच-पांच सौ किलोवाट के होंगे। यह तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कोई व्यक्ति एक 16 वर्ष की लड़की के स्थान पर दो लड़कियों से विवाह कर ले जिनकी आयु आठ-आठ वर्ष की हो। इस लिए कुछ भी हो हमारी आवश्यकता तो एक ट्रांसमीटर की है जो 1000 किलोवाट का हो।

[श्री हेम बरुआ]

अब मैं अखिल भारतीय आकाशवाणी को इसके दो कार्यों के लिए बधाई देता हूं। एक तो इसके लिये कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला की चाऊ-एन-लाई से अलजियर्स की में हुई भेंट का प्रसारण किया जब कि हमारे विदेश विभाग को इसका पता भी नहीं था। दूसरे इस लिये कि इसने ओलम्पिक हाकी प्रतियोगिता के अन्तिम खेल के बारे में कमेन्ट्री अच्छे प्रकार दी।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
69	1	श्री यशपाल सिंह	जिलों से प्रकाशित होने वाले भाषाई और छोटे अखबारों को अखबारी कागज देने की आवश्यकता।	100
69	2	श्री यशपाल सिंह	प्रचार कार्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता	100
69	3	श्री यशपाल सिंह	आकाशवाणी में भाषाओं के समाचार सुनाने वालों की सेवा-शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता।	100
69	4	श्री यशपाल सिंह	सामुदायिक रेडियो सेटों की मरम्मत न करना।	100
69	5	श्री यशपाल सिंह	रेडियो कलाकारों की सेवा-शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता।	100
69	6	श्री यशपाल सिंह	चलचित्रों के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता।	100
69	7	श्री यशपाल सिंह	सेंसर बोर्ड द्वारा काट दिये गये दृश्य दिखाने वाले विज्ञापनों को रोकने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
69	9	Shri Prakash Vir Shastri	Non-broadcasting of all Hindi bulletins from All India Radio.	100
69	10	Shri Prakash Vir Shastri	Negligence of Hindi publications by Publications Division.	100
69	11	Shri Prakash Vir Shastri	Absence of a definite policy regarding broadcasting of news by all All India Radio.	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
69	12	Shri Prakash Vir Shastri	Need for proper check by the Central Film Censor Board on obscene films.	
69	13	Shri Prakash Vir Shastri	Increasing complecency in the Press Information Office.	
69	14	Shri Prakash Vir Shastri	Non-achievement of required results due to lack of co-ordination in the programmes of the Ministry.	

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 8 अप्रैल, 1965/चैत्र 18, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 8th April, 1965/Chaitra 18, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—670(As)LS—20-7-65—600.